महिला जागरण की दिशाधारा

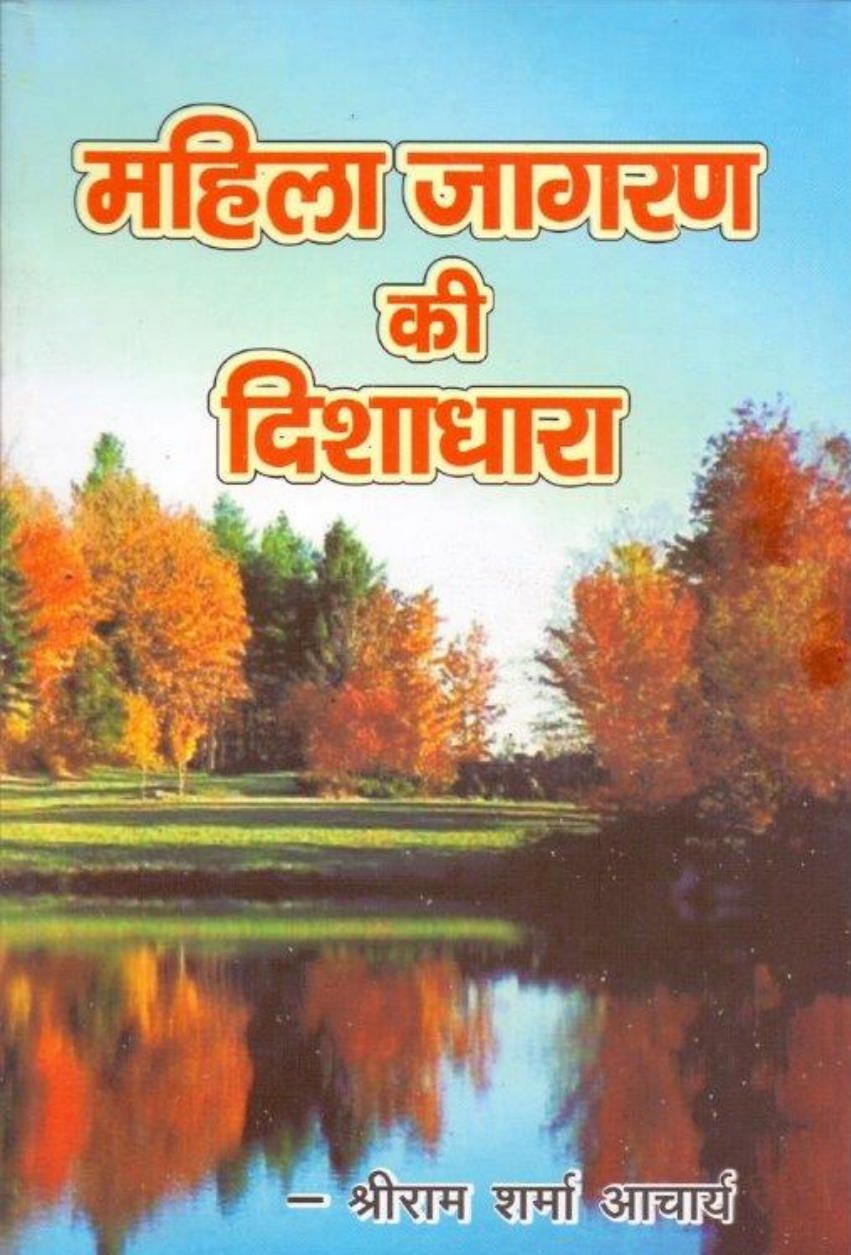

— श्रीराम शर्मा आचार्य

महिला जागरण की दिशाधारा

लेखिका :
माता भगवती देवी शर्मा

प्रकाशक :
युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट
गायत्री तपोभूमि, मथुरा
फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९
मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९
फैक्स नं०- २५३०२००

पुनरावृत्ति सन् २०११ मूल्य : १५.०० रुपये

दो शब्द

'महिला जागरण – उद्देश्य एवं कार्यक्रम' शीर्षक से प्रकाशित पूर्व पुस्तक को आवश्यक संशोधनों एवं परिवर्तनों के उपरांत निम्नलिखित दो शीर्षकों से दो पुस्तकों में विभाजित कर प्रकाशित करने में हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है :–

१. महिला जागरण का उद्देश्य

२. महिला जागरण की दिशाधारा

वंदनीया माता जी द्वारा लिखित उनकी उपर्युक्त पुस्तक का अपना विशिष्ट महत्व है । इसीलिए *'मातृसत्ता श्रद्धांजलि पुस्तकमाला'* के अंतर्गत इसे प्रकाशित करने का लोभ हम संवरण न कर सके । आशा है हमारे आत्मीयजन एवं विज्ञ पाठक नारी जागरण की आवश्यकता और महत्व को हृदयंगम करते हुए इस दिशा में अवश्य क्रियाशील होंगे ।

लेख क्रम

१. महिला संगठन ५

२. अभियान का स्वरूप एवं रूपरेखा ९

३. महिला संगठन का स्वरूप एवं कार्य १५

४. हर घर में उपयुक्त प्रेरणाओं का प्रवेश किया जाय २४

५. प्रौढ़ महिला शिक्षा – आवश्यकता एवं स्वरूप ३२

६. तीसरे प्रहर का समय उत्कर्ष प्रयोजनों में लगाएँ ४१

७. वातावरण ऊर्ध्वगामी बनाएँ ! ४५

८. प्रबल प्रचार तंत्र की आवश्यकता ५०

९. महिला सम्मेलनों की रूपरेखा ६४

१०. अगले चरण अधिक सशक्त हों ७२

लेखकीय वक्तव्य

आज की स्थिति में नारी की सहज भूमिका अनिवार्य रूप से, हर दृष्टि से आवश्यक हो गई है । उसका समग्र जीवन स्नेह, दुलार, वात्सल्य, सेवा, करुणा जैसे दिव्य तत्वों का मूर्तिमान समन्वय है । यदि उसे इस दैवी सम्पदा को प्रभावी बना सकने का अवसर दिया जाय तो निश्चित रूप से अपने साथ सम्बद्ध लोगों को उस अमृत तत्व से सुसिंचित कर सकती है । वह अपने अभिभावकों को, संतान को, साथी-सहचर को, परिवार को, सम्पर्क एवं परिचय क्षेत्र को ऐसी सुकोमल संवेदनाएँ दे सकती है जिनके सहारे वे पशुता से ऊँचे उठ सकें, मनुष्य स्तर पर दृढ़ रह सकें और देवत्व की ओर अनवरत गति से अग्रसर होते रह सकें ।

देव लोक में रहने वाली लक्ष्मी के संबंध में अनेक ललचाने वाली आख्यायिकाएं कहीं-सुनी जाती हैं । उनमें कितना तथ्य है यह कहा नहीं जा सकता, पर मूर्तिमान गृहलक्ष्मी के अनुदानों का परिचय कोई भी प्राप्त कर सकता है । संतुष्ट, प्रसन्न और उल्लसित नारी मूर्तिमान गृहलक्ष्मी है । उसके अनुदान से सारा परिवार स्वर्गीय अनुभूतियाँ उपलब्ध करता है । घर का प्रत्येक पदार्थ जीवित प्रतीत होता है उसमें सुंदरता महकती है । प्रत्येक परिस्थिति देखने में प्रतिकूल लगते हुए भी हल्की-फुल्की और सह्य बन जाती है । स्नेह-स्वजन, विपत्ति की घड़ियों और अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहते हुए भी हँसते-हँसाते दिन गुजार लेते हैं ।

नारी को साथ लिए बिना नर प्रगति के पथ पर दूर तक चल नहीं सकेगा । एक पैर से लंबी मंजिल चढ़ सकना और दुर्गम पर्वत पर चढ़ सकना कठिन है । इसके लिए दोनों पैर समान रूप से समर्थ होने चाहिए । हर बुद्धि रखने वाला प्राणी इतना तो जानता ही है कि

दूसरे पक्ष द्वारा उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है । यदि वह मानवोचित नहीं है तो उसकी सहज प्रतिक्रिया सच्चे सहयोग में बाधा ही उत्पन्न करेगी । उपभोक्ता और उपभोग सामग्री के रिश्ते में, मालिक और सम्पत्ति के दृष्टिकोण में उस स्नेह-सौजन्य की गंध नहीं है जो दो व्यक्तियों को परस्पर स्नेह-सहयोग के सघन सूत्र में बाँधती रही है, बाँध सकती है ।

मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन सामाजिक परिस्थितियों के कारण बहुत ही विक्षोभकारी बन गया है, पारिवारिक उलझनों में हर व्यक्ति बेतरह उलझा हुआ है, मँहगाई ने आर्थिक तंगी को चरम सीमा तक पहुँचा दिया है । जीवनयापन की नाव इतनी भारी हो गई है कि एकाकी गृहस्वामी उसे खींच नहीं पा रहा है । खींचते हुए उसकी कमर टेढ़ी हुई और गर्दन मुड़ी जा रही है । सहधर्मिणी, सहचरी कहलाने वाली नारी इस दयनीय स्थिति में भी मूक दर्शक बनी खड़ी है । वह किसी प्रकार का सहारा नहीं दे सकती । इस दबाव को यदि हटाया जा सके तो वह बहुत कुछ कर सकती है ।

अतीत के महान गौरव को वापस लौटाने के लिए, विश्व विभीषिकाओं को निरस्त करने के लिए, खोये हुए मानवी मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए, पति को नई सहधर्मिणी, बच्चों को नई निर्मात्री और परिवार को नई गृहलक्ष्मी दिलाने के लिए, राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए, अनीति अपनाने के कलंक से मुक्त होने के लिए नारी को मनुष्य स्तर पर लाया ही जाना चाहिए । इससे कम में आज की सर्वभक्षी विभीषिकाओं की चुनौती का सामना किया ही नहीं जा सकता ।

– माता भगवती देवी शर्मा

महिला संगठन

जहाँ भी महिला जागरण का संदेश पहुँचे, जहाँ भी उसकी उपयोगिता समझी जाय, वहाँ इस अभियान को बढ़ाने के लिए पहला कदम स्थानीय महिला संगठन बना देने के रूप में उठाया जाय । नारी समस्या किसी व्यक्ति विशेष की कठिनाई नहीं है जिसे एकाकी प्रयत्न से हल किया जा सके ।

नारी उत्कर्ष यों एक वर्ग विशेष की कुछ कठिनाइयाँ दूर करने वाला विरोधात्मक आंदोलन दीखता है पर वस्तुतः वह है नहीं । फसल बोने के लिए खेत जोतना पड़ता है और भवन बनाने के लिए नींव खोदनी पड़ती है । जुताई और खुदाई का कार्य तोड़-फोड़ जैसा लगता है, पर वस्तुतः उसे उत्पादन का, निर्माण का अविछिन्न अंग ही कहना चाहिए । वस्तुतः अपना अभियान विशुद्ध रूप से सृजनात्मक है । घृणा और द्वेष को, विरोध और विद्रोह को भड़काने में हमें कोई रुचि नहीं है । ये विष बीज किसी भी क्षेत्र में बोये जाँय, आगे चलकर सर्वनाशी प्रतिफल ही उत्पन्न करते हैं । इस लक्ष्य और सत्य का हमें पूरा-पूरा अनुभव है । अस्तु, सुधार प्रक्रिया को स्नेहसिक्त बनाये रहने का विलक्षण प्रयोग भी अपनी गतिविधियों का अंग बनकर चलेगा ।

इतना विस्तृत और इतना महत्वपूर्ण अभियान एकाकी प्रयत्नों से नहीं चल सकता । व्यापक प्रयोजन सदा जन सहयोग से ही संभव होते हैं, उनके लिए जन शक्ति जुटानी पड़ती है । जन मानस का परिवर्तन-परिष्कार जिन गतिविधियों को अपनाने से संभव हो सकता है, वे जन सहयोग के बिना किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकतीं । नारी उत्कर्ष के सुदृढ़ आधार तभी बनेंगे जब उनकी सुविस्तृत पृष्ठभूमि बने और उसे समर्थन प्राप्त हो । इसके लिए संगठित प्रयत्न ही सफल हो सकते हैं । अस्तु, जहाँ भी अपने मिशन की प्रकाश किरण पहुँचे, जहाँ इसका औचित्य अनुभव किया जाय और कुछ ठोस कदम उठाये जाने के लिए उत्साह हो, वहाँ महिला जागरण संगठन की शाखा स्थापित करने से श्रीगणेश किया जाय । यह शुभारंभ जहाँ भी होगा, वहाँ पर अपेक्षा की जा सकेगी कि आरोपित कल्पवृक्ष निकट भविष्य में उत्सावर्द्धक प्रतिफल उत्पन्न करने लगेगा ।

अभियान की सफलता का सबसे बड़ा लाभ पुरुष जाति को मिलने वाला है । आज गले में लटका हुआ अनगढ़ पत्थर कल उसी के लिए पारस बनकर स्वर्गीय सम्पदाएँ उत्पन्न करने वाला है । पिछला दुर्भाग्यपूर्ण कलुषित इतिहास उसी की अनीति द्वारा सृजा गया है । नारी के उत्पीड़न और उसके कारण दुःखदायी अधःपतन में उसी का हाथ है । इस कलंक का प्रायश्चित भी उसी को आगे बढ़कर करना है । इसके लिए आज का समय ही सर्वोत्तम मुहूर्त है । प्रत्येक भावनाशील और विवेकशील पुरुष का काम है कि अपने प्रभावक्षेत्र में नारी उत्कर्ष के लिए आवश्यक विचार-विस्तार करने और उत्साह उत्पन्न करने के लिए तत्परतापूर्वक प्रयत्न करे ।

ऐसे विवेकशील व्यक्ति अपने घरों की उत्साही महिलाओं को आगे करके एक छोटा महिला संगठन स्थापित कर दें । हर प्रभावशाली व्यक्ति का कुछ व्यक्तियों से संपर्क और कुछ घरों में प्रभाव होता है । मिशन का परिचय उस क्षेत्र में दिया जाय, उपयोगिता समझाई जाय और पुनरुत्थान के लिए कुछ करने के लिए अनिवार्यता बतायी जाय । इसके लिए एक दो सप्ताह भी दौड़-धूप कर ली जाय तो आरंभ में उपेक्षा करने वाले लोग भी धीरे-धीरे सहमत होते चले जायेंगे और प्रचार चालू करने के कुछ ही दिन बाद संगठन खड़ा करने की स्थिति बन जायेगी ।

महिला जागरण अभियान का श्रीगणेश करने और उसे आगे बढ़ाने का कार्य यों प्रत्यक्षतः प्रबुद्ध नारी का ही है । उसी को अपनी गई-गुजरी स्थिति से उबरने के लिए आगे बढ़ना चाहिए । जो स्वयं ऊँचा उठता है उसी को दूसरों की सहायता के हाथ संभालते हैं । उठना नारी को अपने ही पैरों पड़ेगा । अतएव जिनमें तनिक भी आत्माभिमान जीवित हो, जिनके बंधन तनिक भी ढीले हों, जिनमें व्यक्तिवाद से आगे बढ़कर समूहगत चिंतन करने की प्रकाश चेतना विद्यमान हो उन प्रतिभावान महिलाओं को अपने युग के इस अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक अभियान का अंग बनना चाहिए, उसमें अपना योगदान देना चाहिए । वे शाखा-संगठन की स्थापना एवं उसकी गतिविधि को अग्रगामी बनाने में अपने प्रभाव, साहस, कौशल एवं वर्चस्व का उपयोग कर सकती हैं । इस दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम इतना सराहनीय होगा कि उसके लिए मानवता चिरकाल तक कृतज्ञ बनी रहेगी ।

इन जागृत महिलाओं के पीछे प्रत्येक सद्भावना संपन्न पुरुष का प्रखर योगदान रहना चाहिए । असल में प्रायश्चित नर को ही करना है और इसके लिए उसे बढ़-चढ़कर त्याग, बलिदान का परिचय देना है । महिला जागरण के अग्रिम मोर्चे पर नारी ही रहेगी, उसे रहना भी चाहिए । युद्ध में अनेकानेक साधनों की जरूरत पड़ती है उसे सैनिक नहीं कारीगर बनाते और श्रमिक जुटाते हैं । यह दूसरा मोर्चा भी लड़ने वाले सैनिकों का जीवन प्राण है । अस्तु, हर वर्ग के भावनाशील परिजनों को महिला जागरण का दूसरा मोर्चा सम्भालना चाहिए । इससे उनके कंधों पर सहज ही निम्नलिखित कर्तव्य आते हैं :-

(१) अपने घर-परिवार में से, जो महिलाएँ इस अभियान में कुछ योगदान कर सकती हों, उन्हें वस्तुस्थिति समझाएँ, कुछ करने के लिए उत्साह उत्पन्न करें और इतना अवसर प्रदान करें कि आंदोलन के कार्यों में कुछ समय लगा सकें ।

(२) सम्पर्क क्षेत्र में ऐसी ही अन्य महिलाएँ ढूँढ़ें जो अभियान की सदस्या बन सकें और उसकी गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें । जिनमें ऐसी प्रतिभा हो जिन तक अपनी पहुँच हो उन्हें प्रोत्साहन करके आंदोलन में सम्मिलित किया जाय । इसके लिए अपने अन्य पुरुष साथियों से भी सहयोग लिया जाय ।

(३) तब तक चैन न लिया जाय जब तक कि स्थानीय महिला जागरण अभियान शाखा की स्थापना न हो जाय । सदस्य बनाना, कार्य समिति का चुनाव, कार्यवाहक की नियुक्ति की सूचना हरिद्वार, मथुरा भेजकर शाखा को पंजीकृत करा लिया जाय तो समझना चाहिए प्रथम चरण पूरा हुआ ।

(४) साप्ताहिक सत्संगों का ढर्रा आरंभ करने के लिए यदि प्रतिभाशाली महिलाएँ नहीं हैं, तो परोक्ष रूप से अपने में से किन्हीं वयोवृद्ध व्यक्ति को सहायक बनाकर महिलाओं द्वारा क्रम को आरंभ कराया जा सकता है । दो-चार बार के अभ्यास-अनुभव से तो वे स्वयं ही उस कार्य का संचालन करने लगेंगी ।

(५) महिला जागरण संबंधी युग साहित्य - प्रज्ञा पुराण भाग-३ (परिवार निर्माण भाग) को युग निर्माण योजना, मथुरा से मँगाकर हर परिवार में गायत्री ज्ञान मंदिरों की स्थापना की जाकर स्वाध्याय परम्परा प्रारंभ की जानी

चाहिए । सामूहिक स्वाध्याय परंपरा भी शाखा में प्रारंभ की जा सकती है ।

(६) अपनी शाखा में अनुभवी कार्यकर्त्ता-परिव्राजक स्थानीय शाखाओं से या शांतिकुंज हरिद्वार, युग निर्माण योजना, मथुरा से शाखा में आमंत्रित करके ९ दिन के प्रशिक्षण सत्र भी प्रारंभ किए जा सकते हैं इससे सुयोग्य एवं प्रतिभावान महिलाएँ, लड़कियाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत स्थानीय अभियान को अधिक अच्छी तरह आगे बढ़ा सकें ।

(७) सदस्यता का शुल्क तो नहीं रखा गया है, पर पैसा तो विभिन्न कार्यों के लिए चाहिए ही । इसके लिए आपस में ही चंदा करके इतना धन शाखा की मुट्ठी में पहुँचा देना चाहिए कि धनाभाव के कारण सामान्य कार्य संचालन में बाधा न पड़े । यज्ञ आदि के आवश्यक उपकरण तो शाखा के पास रहने ही चाहिए ।

(८) बिना श्रेय लिए किए गए सार्वजनिक सेवा कार्य ही सद्भाव संपन्न और सात्विक माने जाते रहे हैं । यह प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर प्रत्येक लोकसेवी के सामने हैं । उसे महिला जागरण अभियान में पूरी तरह तत्परता और सक्रियता बनाये रहनी चाहिए किंतु नाम, यश, श्रेय की दृष्टि से महिलाओं को ही आगे रखना चाहिए । श्रीगणेश से लेकर एक वर्ष में जड़ जमाने योग्य बनने तक शाखा के क्रिया-कलापों में पूरी दिलचस्पी रखनी चाहिए । कार्यकर्ती महिलाओं से समय-समय पर परामर्श करते रहकर उनका मार्गदर्शन करने, कठिनाइयों का हल बताने एवं आवश्यक साधन जुटाने में आगे रहना चाहिए । इस कार्य में अन्य पुरुषों का भी सहयोग उपलब्ध करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए ।

महिला जागरण अभियान का ढाँचा जिन योजनाओं एवं संभावनाओं के साथ खड़ा किया गया है उन्हें ध्यान में रखकर विचार किया जाय तो यह चित्र स्पष्ट रूप से उभर कर आवेगा कि यह कोई सामान्य संस्था, संगठन, छुट-पुट आंदोलन या अनेक उठती-बुझती सार्वजनिक हलचलों में से एक नहीं है वरन् इस बट बीज से अत्यंत विशालकाय संभावनाएँ जुड़ी हुई हैं जो कल नहीं तो परसों मूर्तिमान बनकर सामने आवेंगी और आधी मानव जाति का भाग्य निर्माण करने वाले महान् परिवर्तन की भूमिका संपादित करेंगी । यह बड़ा काम है, बड़ा कदम है, इसकी संभावनाएँ इतनी बड़ी हैं जिनका

शिलान्यास करते हुए हम सब अपना मस्तक गर्व से ऊँचा कर सकें ।

नव निर्माण के संदर्भ में महिला जागरण के प्रयत्नों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसके महत्व को अधिकाधिक समझा जाना चाहिए और हममें से जिससे जो बन पड़े उसके लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए ।

शांतिकुंज से इस अरुणोदय का सूत्र संचालन हो रहा है, पर उनमें हम लोग 'अकेला चना ही भाड़ फोड़े' वाली कहावत सार्थक नहीं कर सकते । लंकाकांड में जो भूमिका रीछ-बानरों की, गोवर्धन पर्वत उठाने में जो भूमिका ग्वाल-वालों द्वारा लाठी का सहारा लगाने की, धर्मचक्र प्रवर्तक में भिक्षु-भिक्षुणियों की, गाँधी के स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रहियों की रही है, वैसे ही पूरे परिवार का समर्थन ही नहीं, बढ़ा-चढ़ा सहयोग भी अपेक्षित है । इन अभियानों में जन-शक्ति भी चाहिए और धन शक्ति भी । हमें अपना समय देना चाहिए । महिलाओं को इसके लिए प्रोत्साहन, प्रशिक्षण एवं अवसर देना चाहिए । जिनके ऊपर परिवार के व्यक्ति नहीं हैं उन महिलाओं को पूरा समय इस युग चेतना के लिए समर्पित करना चाहिए । पुरुषों को अपने प्रभाव, अनुभव, समय एवं कौशल का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए पूरे उत्साह से करना चाहिए, जिससे महिला जागरण अभियान के लिए जिस जन-शक्ति की आवश्यकता है उसे आवश्यक मात्रा में जुटाया जा सके ।

अभियान का स्वरूप एवं रूपरेखा

अपने देश में सुशिक्षित और सुयोग्य महिलाओं की संख्या कम है । जो हैं वह अपनी नौकरी-चाकरी तथा घरेलू काम-काज में बेतरह व्यस्त हैं । सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकने और उस दिशा में निरंतर श्रम करने की स्थिति में जो हैं उनमें से कदाचित् ही कुछ इस विषय में सोचती हैं । समय की पुकार नारी जागरण अभियान को आँधी तूफान की तरह व्यापक बना देने की है । उसे दावानल की भाँति द्रुतगामी और गगनचुंबी बनाना चाहिए । इसलिए उसका प्रथम उत्तरदायित्व प्रगतिशील पुरुष वर्ग पर डाला गया है और जोर देकर कहा गया है कि पश्चाताप, प्रायश्चित के रूप में भी और उज्ज्वल भविष्य की अनिवार्य आवश्यकता समझ कर भी नारी पुनरुत्थान का संचालन उसी को करना चाहिए ।

नारी अग्रिम मोर्चे पर खड़ी जरूर होगी, पर उसे इसकी सफल भूमिका निभा सकने की स्थिति तक पहुँचाने के लिए उसी को अपने घरों की नारियाँ आगे करनी होंगी । प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, अवकाश देने से लेकर साधन जुटाने के लिए उसे पर्दे के पीछे रहकर भी पूरा-पूरा योगदान देना होगा ।

प्रारंभिक ढाँचा मजबूत पैरों पर खड़ा होते ही चिंतन और कार्यक्रम को सुविस्तृत बनाना होगा और तदनुरूप योजनाएँ बनानी होंगी । समस्या आधी जनसंख्या की है और उस पिछड़ेपन की है जो एक हजार वर्ष से क्रमशः सघन और भारी ही होता चला आया है । टूटी हुई नारी को उठाना और नर को उपलब्ध निरंकुशता की पकड़ ढीली करने के लिए मनाना यह दुहरी कठिनाई है । क्षेत्र की व्यापकता और कार्यों की गुरुता को देखते हुए सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके लिए कितने अधिक प्रयत्न करने होंगे और कितने बड़े साधन जुटाने होंगे । नारी पुनरुत्थान का कार्य स्वतंत्रता आंदोलन जीतने से कहीं अधिक बड़ा काम है । जिनने भारतीय स्वाधीनता का इतिहास पढ़ा है, उसे निकट से देखा है वे जानते हैं कि उसमें कितनी जनशक्ति और साधन शक्ति झोंकनी पड़ी थी । नारी पुनरुत्थान के लिए उससे बड़ा ही चक्रव्यूह रचना होगा और उससे अधिक ही साधन जुटाने का प्रयत्न करना होगा । इस संदर्भ में कुछ ध्यान रखने योग्य तथ्य इस प्रकार हैं :-

(१) जन-साधारण के मस्तिष्क में नारी पुनरुत्थान की आवश्यकता-उपयोगिता बिठाने और उसे पद-दलित स्थिति में रखने की हानियाँ समझाने के लिए इतना बड़ा प्रचार तंत्र खड़ा करना पड़ेगा जो शिक्षित और अशिक्षित नर और नारी सभी को वस्तुस्थिति समझा सके, परिवर्तन के लिए आकुलता उत्पन्न कर सके । इसके लिए लेखनी, वाणी एवं अन्य कला स्रोतों से जितने प्रकार के साधन संभव हो सकते हैं वे सभी जुटाये जाँय । निबंध, उपन्यास, कविताएँ, पत्रिकाएँ, पुस्तिकाएँ लिखने, छापने और घर-घर पहुँचाने का व्यापक प्रबंध किया जाय । भाषण, गायन, अभिनय, नाटक, फिल्म आदि सभी श्रव्य और दृश्य उपायों को इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाय । हजार वर्ष की रूढ़ि मान्यताएँ जो अब एक प्रकार से मान्यता प्राप्त परंपराएँ बन चुकी हैं, उन्हें बदलने की इच्छा उत्पन्न करने के लिए इतने व्यापक साधन होने चाहिए जो समूची मनुष्य जाति को झकझोर कर रख सकें ।

(२) आज की अशिक्षित नारी को शिक्षित बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का इतना बड़ा संगठित प्रयास हो कि उसके प्रभाव क्षेत्र में समूचा राष्ट्र आ सके । इसे युग धर्म माना जाय और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ अनुदान प्रस्तुत करने के लिए कहा जाय । तीसरे प्रहर दो से पाँच बजे चलने वाली प्रौढ़ महिला पाठशालाओं का प्रबंध गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले में किया जाय । शिक्षित नारियाँ इनमें अध्यापन के लिए समय दें । प्रत्येक घर में एक मुट्ठी अनाज या पचास पैसा प्रतिदिन संग्रह करने वाले ज्ञानघट स्थापित किये जाँय । उनसे महिला पाठशाला तथा चलते-फिरते पुस्तकालय के आवश्यक साधन जुटाये जाँय । इन पाठशालाओं में मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला, व्यक्ति, परिवार और समाज का पुनर्निमाण करने वाला पाठ्यक्रम रहे । साथ ही संगीत और गृह-उद्योगों की शिक्षा भी सम्मिलित रहे । जहाँ संभव हो वहाँ कन्याओं एवं महिलाओं के लिए नये विद्यालय खड़े किए जाँय और पुरानों को विकसित किया जाय ।

(३) आर्थिक स्वावलंबन के लिए कुटीर उद्योग सिखाने की व्यवस्था हो । कच्चा माल पहुँचाने और तैयार माल लेकर बेचने वाली सहकारी समितियाँ हर जगह खड़ी की जाँय । फालतू समय का सदुपयोग करके कुछ कमा लेने और कुशलता विकसित करने की दृष्टि से यह व्यवस्था नितांत आवश्यक है । विधवाएँ, परित्यक्ताओं तथा दूसरी अभावग्रस्त महिलाओं को नियमित काम देने और निवास की व्यवस्था करने वाली महिला शिल्प शालाएँ जगह-जगह स्थापित हों ताकि निराश्रिताएँ तिनके की तरह उड़ने-फिरने की अपेक्षा कुछ निश्चित आधार प्राप्त कर सकें । ऐसी महिलाओं की संख्या इन दिनों निरंतर बढ़ती ही जा रही है ।

(४) सामान्य धातृ विद्या सिखाने के लिए हर जगह प्रबंध हो । प्रसूतिशालाएँ चलें । शिक्षित दाइयाँ प्रसव में सहायता देने के लिए उपलब्ध रहें । पिछड़े क्षेत्र में इस जानकारी के अभाव से हर साल लाखों मृत्यु होती हैं और अगणित महिलाएँ इसी कुचक्र में जीवन भर के लिए भयंकर यौन रोगों से ग्रसित हो जाती हैं । इनका जीवन बचाने के लिए हर जगह प्रबंध हो । प्रजनन सीमित करने की आवश्यक शिक्षा भी इन्हीं केन्द्रों में दी जाय और अनचाही एवं अनावश्यक संतान रोकने के लिए क्या सतर्कता रखी जानी चाहिए – इन

जानकारियों के होने से अत्यधिक संतान के भार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गँवा बैठने वाली नारी को बहुत राहत मिल सकती है ।

(५) शिक्षा, आजीविका, चिकित्सा आदि के आवश्यक कार्यों के लिए जाते समय बच्चों को सम्भालने, सिखाने वाले ऐसे शिशु-गृह बनाये जाँय जिनमें उतने समय तक बच्चों को सम्भालने की व्यवस्था रहे जिससे महिलाएँ उतने समय तक अन्य आवश्यक कार्य कर सकें । घर में खेलने और ज्ञानवर्द्धन का अभाव रहने से बच्चों की आदतें बिगड़ती हैं उनकी कमी भी इन शिशु गृहों में पूरी होती रह सकेगी । उनकी आयु के हिसाब से अच्छी आदतें डालने, ज्ञान बढ़ाने और स्वास्थ्य सम्भालने का कार्य भी इन शिशु गृहों के माध्यम से होता रह सकेगा ।

(६) घर-परिवार की आवश्यक वस्तुएँ शुद्ध और सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करने वाली 'महिला सहयोग समितियाँ' स्थापित की जाँय । इनके माध्यम से उन्हें सुविधा भी रहेगी और खरीदने-बेचने का अनुभव भी बढ़ेगा । यह सहकारी समितियाँ अपने सदस्य परिवारों के लिए सामूहिक भोजन बनाने का उत्तरदायित्व भी सँभालें, इससे साथ बैठने, साथ खाने की सहयोग प्रवृत्ति पनपेगी और हर घर की स्त्रियों की छोटे से परिवार के लिए भोजन बनाने जैसे काम के लिए सारा समय नष्ट करना पड़ता है, उसकी बचत हो सकेगी । इस बचे समय का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कामों में हो सकता है । घर-घर में चौका, चूल्हा, धुँआ, लकड़ी-कचरा आदि के कारण जगह भी घिरती है और गंदगी भी होती है । यह सामूहिक भोजनालय से सहज ही दूर हो सकती है । कुछ महिलाओं को पकाने, परोसने और बर्तन आदि माँजने की आजीविका मिल सकती है और शेष समय में अपने और परिवार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिल सकता है ।

(७) नारी समाज सेविकाओं के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था हो जिसमें वे महिला वर्ग के लिए आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन, स्वावलंबन, परिवार निर्माण आदि उपयोगी प्रवृत्तियों का घर-घर जाकर या एकत्रित करके प्रशिक्षण करती रह सकें, साथ ही इन कार्यों में उन्हें सहयोग देती रह सकें । प्रौढ़ पाठशालाओं का संचालन तथा अध्यापन कैसे किया जाना चाहिए आदि का ज्ञान भी उन्हीं पाठशालाओं में उपलब्ध हो । व्यायाम,

मनोरंजन, व्यवस्था, समाज सुधार जैसी अनेक सत्प्रवृत्तियाँ नारी समाज में प्रचलित करने के लिए इन मार्गदर्शिकाओं और स्वयं सेविकाओं की बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी । स्वेच्छा, सहयोग से सेवाभावी श्रमदान तो इतने बड़े अभियान का मूल आधार होगा ही, पर इसी प्रयोजन में पूरा समय देने वाली समाज सेविकाओं की संख्या ऐसी होगी जिनका निर्वाह व्यय जुटाना पड़े । इसकी आर्थिक व्यवस्था भी जुटाई जाय ।

(८) सार्वजनिक सेवा संस्थानों में नारी को प्रवेश दिलाने की भूमिका बनाई जाय । ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, सहकारी समितियों, विधान सभाओं, लोक सभाओं में प्रवेश पाने के लिए उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए । इस दिशा में नारी को वोट का महत्व, उसका सदुपयोग और उचित व्यक्तियों को ही वोट देने का आधार समझाया जा सकता है । जब छोटे-छोटे वर्ग अपनी संगठन शक्ति के सहारे अपने प्रतिनिधियों को सफल बना सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि नारी की आधी जनसंख्या संस्थाओं और सरकार में अपना उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न कर सके । इन संस्थाओं के माध्यम से नारी उत्कर्ष के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है । इस क्षेत्र में नारी की अरुचि, उपेक्षा एवं अनभिज्ञता को दूर करने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाय ।

(९) नारी को भोग्या के रूप में प्रस्तुत करके उसे अपमानित, पतित बनाने वाले कामुक प्रचार को रोका जाय । साहित्य, चित्र, फिल्म, गीत आदि माध्यमों से नारी को वासना की पुतली के रूप में प्रस्तुत करने में शालीनता की समस्त मर्यादाएँ तोड़ी जा रही हैं । इन प्रवृत्तियों का घोर विरोध खड़ा किया जाय । नारी को फूहड़, उत्तेजक एवं शृंगारी सजधज में सन्निहित आत्महीनता से विरत किया जाय । नर की तरह नारी को भी मात्र मनुष्य ही रहने देने का वातावरण बनाया जाय । उसे वासना की पुतली के रूप में प्रस्तुत करने वाले समस्त प्रयासों को प्रबल विरोध खड़ा करके निरस्त किया जाय । अश्लीलता तथा दूसरे प्रकार की दु:खद परिस्थितियों में धकेलने वाली दहेज, बाल-विवाह, अनमेल विवाह आदि कुरीतियों को रोकने के लिए स्वयंसेवक सेना खड़ी की जाय जो आवश्यकतानुसार विरोध के सभी उचित उपायों का सहारा लेकर अनीति को रोक सके ।

(१०) महिला जागरण अभियान को सुविस्तृत करके उसे राष्ट्रीय और

अंतर्राष्ट्रीय विशाल संगठन के रूप तक पहुँचा दिया जाय । जिस प्रकार राष्ट्र संघ अनेक राजनैतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ सोचता, करता रहता है उसी प्रकार नारी जाति से संबंधित संसार भर की समस्याओं को समझाने के लिए यह संगठन बहुमुखी प्रयत्न करे । कानून में तथा सामाजिक प्रचलनों में जहाँ नारी के साथ अन्याय हो रहा हो उसे बदलवाने का प्रयत्न करे । उसके स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समय-समय पर होते रहें जिससे समस्त विश्व में नारी की संगठित चेतना का विकास संभव हो सके । हिन्दू समाज के ही नहीं, भारत के ही नहीं, समस्त विश्व में जहाँ कहीं जिस भी स्तर की कठिनाइयाँ नारी के सामने हैं उनका सर्वे करना और तदनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तर के आंदोलन खड़े करना और प्रगति के साधन जुटाना इस विश्व संगठन का काम होगा । उसकी शाखा-प्रशाखाएँ समस्त संसार में फैली पड़ी होंगी और वे नारी एवं नर की समानता तथा सघन सहकारिता उत्पन्न करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही होंगी ।

इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर अगणित प्रयास करने होंगे । इस दिशा में हर व्यक्ति का, हर जगह, हर स्तर पर किया गया यत्किंचित प्रयास भी अभिनंदनीय है । किन्तु छुटपुट प्रयासों से इतना बड़ा कार्य हो नहीं सकता । कार्यक्रम में सूत्रबद्धता न होने से प्रयास करने वालों की दिशायें बहक जाती हैं तथा पुरुषार्थ का अपेक्षाकृत बहुत कम लाभ ही प्राप्त हो पाता है ।

नारी जीवन अपने आप में एक अगणित विशेषताओं से भरा ईश्वरीय वरदान है । उसका स्वरूप और उपयोग यदि जाना जा सके तो स्थिति ऐसी आनंद युक्त और उत्साहवर्द्धक हो सकती है जिसकी कल्पना मात्र से सिहरन उत्पन्न हो । पति, परिवार और पीढ़ी के निर्माण में सुसंस्कृति नारी का कितना बड़ा योगदान हो सकता है यह आज सुखद कल्पना मात्र तक सीमित रहने वाला विषय बना हुआ है उसे मूर्त रूप में प्रस्तुत कर सकने वाले साधन अभी बने ही कहाँ हैं ?

संगठन, प्रचार और प्रवृत्तियाँ –

देशव्यापी, विश्वव्यापी महिला जागरण अभियान चलाने के लिए उसका संगठनात्मक ढाँचा खड़ा करना आवश्यक है । अखंड ज्योति और युग निर्माण

परिवार योजना के सदस्यों और सदस्याओं के लाखों परिजनों के सहारे ही यहाँ आरंभिक चरण पूरा किया गया है । पीछे तो और लोग भी इसमें सम्मिलित होते चले जाँयेंगे । स्थानीय संगठन पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े होते हैं । उनका सूत्र संचालन एवं मार्गदर्शन भर हरिद्वार एवं मथुरा से होता है । संगठन के लिए आरंभिक प्रयासों में (१) साप्ताहिक सत्संगों की नियमितता, (२) सदस्याओं के घरों पर जाकर जन्म दिन संस्कार, पर्व, कथा आदि के आयोजन करके परिवार निर्माण का प्रशिक्षण, (३) प्रौढ़ महिला पाठशाला का श्री गणेश–ये तीन कार्य प्रमुख रखे गए हैं । जहाँ यह क्रम चल पड़ेगा वहाँ बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति एवं सामाजिक क्रांति की दिशा में अन्य महत्वपूर्ण प्रचारात्मक, रचनात्मक एवं सुधारात्मक कदम बढ़ाये जाते हैं । सभी शाखाओं में स्थानीय महिला शिविर चला कर कार्यकर्त्री एवं सदस्याओं को मिशन की अधिक अच्छी जानकारी कराने की व्यवस्था बनानी चाहिए । यह शिविर शाखा के वार्षिकोत्सव के रूप में धूमधाम के साथ मनाये जाने चाहिए । उनसे नव–चेतना बनाये रखने में और बढ़ाने में बहुत सहायता मिल सकती है ।

जहाँ शाखा–संगठनों में जीवंत महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है वहाँ अपनी योग्यता तथा परिस्थितियों के अनुरूप वे अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यकलाप हाथ में लेने का प्रयास करती हैं । जैसे महिला प्रौढ़ शिक्षा का संचालन, महिलाओं में व्याप्त भ्रांत धारणाओं का निवारण, पर्दा, जेवर, छुआछूत, भूत–पलीत जैसी अवांछनीयताओं का निवारण । दहेज एवं विवाहों में होने वाले अपव्यय के विरुद्ध व्यापक प्रतिरोधक वातावरण का निर्माण । महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण तथा संचालन की व्यवस्था । घरों में महिलाओं में स्वच्छता, सभ्यता तथा पारिवारिक संतुलन बनाये रखने की योग्यता का विकास आदि ।

महिला संगठन का स्वरूप एवं कार्य

महिला जागरण अभियान का संगठन सूत्र **युगांतर चेतना, शांतिकुंज, हरिद्वार एवं युग निर्माण योजना, मथुरा** से संचालित हो रहा है, उसकी शाखाएँ सभी स्थानों पर स्थापित होनी चाहिए । जहाँ भी इस आंदोलन के

लिए उत्साह है, वहाँ प्रबुद्ध जनों को अपने घरों की महिलाओं को इस संगठन की सदस्या बनाकर पहल करनी चाहिए । संघ महिलाओं का है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं से संबंधित प्रवृत्तियों के संचालन के लिए है, इसलिए सदस्या तो वे ही बन सकती हैं, पर सहायक के रूप में पुरुषों को भी उस संघ में सम्मिलित रहने की सुविधा रखी गई है । वे महिला जागरण कार्यक्रमों की सहायक भूमिका निभायेंगे । इसके लिए पृष्ठभूमि बनाने और साधन जुटाने में अधिक प्रयत्न करेंगे, पर रहेंगे पीछे ही ।

सदस्यता की कोई आर्थिक फीस नहीं है । श्रम, समय और मनोयोग का अधिकाधिक अनुदान देने में परस्पर प्रतिस्पर्धा करना ही सदस्यता शुल्क है । यों तो आवश्यकता तो पैसे की भी पड़ेगी पर वह अपनी-अपनी श्रद्धा और स्थिति के अनुरूप सभी सदस्य और सभ्य प्रस्तुत करेंगे । वह स्वेच्छया सहयोग होगा । इसके लिए दैनिक अनुदान की परंपरा बहुत ही उपयोगी है, उससे यह स्मरण रहता है कि अन्य नित्य कर्मों की तरह इस पुनीत कार्य के लिए भी हमें कुछ न कुछ नित्य ही करना है ।

आरंभिक प्रयास में जितने भी सदस्य और सभ्य बन सकें उन्हीं से शाखा स्थापित कर लेनी चाहिए । सबसे उत्साही, लगनशील, प्रामाणिक तथा समय दे सकने वाली महिला को कार्यवाहक नियुक्त कर लेना चाहिए । आवश्यकता हो तो एक दूसरी महिला कोषाध्यक्ष भी चुनी जा सकती है । बाकी प्रधान, उप प्रधान, मंत्री, उपमंत्री आदि पदाधिकारी नहीं चुनने चाहिए । पद लोलुपता का विष जहाँ भी घुसता है वहाँ संगठनों का अंत करके ही छोड़ता है । उनमें चढ़ाव-उतार तो इसी अहमन्यता के आधार पर खड़ा हो जाता है । इसलिए अभियान का स्वरूप सर्वथा परिवार पद्धति के अनुरूप रखा जाना चाहिए । इसमें नेता बनने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए ।

महिलाओं को 'सदस्य' और पुरुषों को अभियान का 'सहायक सभ्य' बन जाने से, कार्यवाहक नियुक्त हो जाने से, शाखा कार्यालय नियत हो जाने से शाखा-संगठन का ढाँचा खड़ा हो जाता है । उसमें साप्ताहिक सत्संगों के आधार पर प्राण भरना संभव होता है । कागजी संस्थाएँ तो रोज बनती और रोज बिगड़ती हैं । संघ-शक्ति का विकास करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि संगठन के सभी सदस्य जल्दी-जल्दी मिलते रहें, घनिष्ठता विकसित करें । मिल-जुल

कर कदम बढ़ाने की योजना बनायें और एक दूसरे को प्रोत्साहन-सहयोग देकर वैसा वातावरण बनायें जिसमें कुछ ठोस काम बन पड़ना संभव हो सके । यह तभी संभव है जब महिला जागरण शाखायें अपने साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम को यथावत् चालू रखने पर उसे अधिकाधिक समृद्ध-सुविकसित करने को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएँ । इसके लिए प्राण-प्रण से चेष्टा करें ।

शाखा सदस्याएँ तो साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित होना एक प्रकार से अपना अनिवार्य कर्तव्य ही मानें । कोई अत्यंत ही आवश्यक अपरिहार्य कारण आ जाय तो ही अनुपस्थित हों । सदस्याओं में से प्रत्येक का यह भी प्रयत्न होना चाहिए कि अपने घर, परिवार, पड़ोस, रिश्ते तथा परिचय क्षेत्र में से अधिक महिलाओं को साथ लाने के लिए सप्ताह के छः दिन प्रयास करती रहें और सत्संग के दिन प्रयत्न करके उनको साथ ले चलने की नये सिरे से दौड़-धूप करें । यदि यह प्रयास जारी रखा जा सका तो सत्संगों की उपस्थिति घटने नहीं पायेगी, वरन् बढ़ती ही रहेगी । अधिक महिलाओं तक, अधिक मात्रा में अधिक व्यवस्थित रूप से प्रकाश पहुँचाना और उत्साह भरना इसी प्रकार संभव हो सकता है । जो महिला इस दिशा में जितनी दौड़-धूप कर सके उसे उतनी ही प्रशंसा का पात्र समझा जाना चाहिए ।

साप्ताहिक सत्संग एक ही स्थान पर होते रहें या बदल-बदल कर, यह स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर है । यदि संख्या कम रहती है तो उन्हें घरों पर भी चलाया जा सकता है, पर यदि उपस्थिति बढ़े तो किसी बड़े सार्वजनिक स्थान को चुनना पड़ेगा ।

सत्संगों में चार कार्यक्रम रहेंगे-(१) गायत्री मंत्र का सस्वर सामूहिक पाठ । यह पाठ चौबीस बार किया जाना चाहिए । (२) गायत्री यज्ञ, इसमें भी चौबीस आहुतियाँ होनी चाहिए ।

प्रारंभ में २४ मंत्रों का जप-पाठ पर्याप्त है । संक्षिप्त हवन विधि से आधा घंटे में वह कृत्य हो जाता है और लगभग एक रुपया खर्च पड़ता है । इसका प्रधान लाभ यह है कि उपस्थिति होने वाली सभी महिलायें यज्ञ प्रक्रिया से परिचित हो जाती हैं और अपने घरों में तथा सामूहिक आयोजनों में उस धर्मकृत्य को भली प्रकार संपन्न कर सकती हैं । यह अभ्यास आगे चलकर अनेक सार्वजनिक प्रयोजनों में बड़ी उपयुक्त भूमिका बनाता है । जहाँ हवन

का प्रबंध न हो सके वहाँ अगरबत्ती और घी का दीपक जलाकर भी यज्ञ का संक्षिप्त स्वरूप दीपयज्ञ संपन्न हो सकता है । गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है । उनके पुनीत प्रतीकों को अपनाये रहने का यह प्रथम चरण है । सामूहिक गायत्री पाठ और किसी न किसी रूप में यज्ञ का अभिवंदन इसीलिए अपने कार्यक्रम का प्रधान अंग है । अन्य धर्मावलंबी यदि चाहें तो इसी प्रकार के शुभारंभ अपनी मान्यताओं के अनुरूप अपना सकते हैं । वैसे गायत्री और यज्ञ को सार्वजनीन, सार्वभौम और सर्वथा असांप्रदायिक ही माना जाना चाहिए ।

(३) सहगान कीर्तन के अंतर्गत आधा घंटा प्रेरणाप्रद गीत सामूहिक रूप में गाये-दुहराये जायें । यदि वाद्य यंत्रों की व्यवस्था रहे तो अति उत्तम । अन्यथा मधुर स्वर में मिल-जुल कर ऐसे भी गाए जा सकते हैं । इसके लिए रामायण पारायण पुस्तक छपी है जिसमें चुनी हुई चौपाइयाँ हैं । सहगान कीर्तन पुस्तक में गीत भी इसी प्रयोजन के लिए गए हैं । एक-एक पंक्ति दो महिलाएँ मिलकर बोलें और शेष सब उसे दुहरायें, संकीर्तन की यह पद्धति है ।

(४) सहगान के बाद प्रवचन का क्रम एक घंटा चले । इसमें महिला समस्याओं के स्वरूप तथा उसके समाधान पर प्रवचन रहें । एक महिला बोले या कई, यह सब स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर है । बोलने के लिए मिशन के छपे साहित्य तथा **अखण्ड ज्योति** और **युग निर्माण योजना** पत्रिका में छपे लेखों से सहारा लिया जा सकता है । प्रवचन अभ्यास की दृष्टि से थोड़ा-थोड़ा कई महिलाएँ बोला करें तो उसमें अभ्यास खुलने और विचार मिलने का दुहरा लाभ भी हो सकता है ।

गायत्री मंत्र पाठ के साथ आरंभ और शांति पाठ के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की जानी चाहिए । प्रयत्न करना चाहिए कि गायत्री मंत्र और शांति पाठ के मंत्र सभी को याद हों । यों हवन विधि के श्लोक, रामायण परायण की चुनी हुई चौपाइयाँ, सहगान कीर्तन के गीत जिन्हें जितनी अधिक अच्छी तरह अभ्यास हो सकें उतना ही अच्छा है । बार-बार पाठ करने से कुछ सरल हो जाता है । हवन विधि की जानकारी तथा प्रवीणता सभी को मिल सके इसलिए एक सत्संग में एक महिला को संचालक बनाया जाय तो उस बदलते हुए क्रम के आधार पर कितनों को अभ्यास हो जायेगा । यही बात रामायण

पारायण एवं कीर्तन के संबंध में भी हो सकती है ।

यदि संभव हो तो सत्संग के अंत में उपस्थित महिलाएँ जुलूस के रूप में सत्संग भवन से बिदा हो सकती हैं और निर्धारित सड़क-गलियों में प्रेरणाप्रद गीत गाती हुई निकल सकती हैं । इससे मिशन के अस्तित्व, स्वरूप एवं कार्यक्रम की जानकारी अधिक लोगों को मिलेगी और क्षेत्र विस्तृत होगा जिससे अधिक जन सहयोग संपादित कर सकना संभव होगा । प्रचार का यह सुगम किन्तु प्रभावशाली तरीका है । आगे-आगे महिला जागरण का कपड़े पर बना और दो बाँसों में लगा हुआ बोर्ड रहे । बीच-बीच में अपने उद्घोष रहें, गीतों में मिशन का लक्ष्य बताया जाये तो इससे देखने और सुनने वाले इस अभियान की जानकारी एवं प्रेरणा प्राप्त कर सकने में समर्थ होंगे । मिशन के प्रख्यात नारे बहुत ही प्रेरक हैं, उन्हें बोला जाय । उन्हीं को आदर्श वाक्य की तरह जलूसों में ले चलने योग्य पोस्टरों पर अंकित किया जा सकता है और सुविधानुसार दीवारों पर भी लिखा जा सकता है ।

प्रभात फेरी निकालने की जहाँ व्यवस्था बन सके, वहाँ उसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए । शिक्षित लड़कियाँ इस कार्य को अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं । सूर्योदय से एक घंटा पूर्व से लेकर सूर्य निकलने के समय तक का समय इसके लिए अधिक उपयुक्त रहता है । लड़कियाँ, महिलाएँ भजन गाती हुई निर्धारित गली-मुहल्लों से होकर निकलें तो लोगों के कानों में मिशन का संदेश पहुँचेगा ।

महिला संगठन में प्राण फूँकने के लिए इस प्रकार सत्संग एवं घर-घर की जाने वाली गोष्ठियाँ अत्यधिक उपयोगी हैं । इन दोनों कामों को सुसंचालित रखने के लिए कुछ उत्साही महिलाओं को स्वयं ही दौड़-धूप करनी पड़ेगी । मात्र निवेदन कर देने या औपचारिक बुलावा भेजने से अच्छी परिस्थिति की आशा नहीं की जा सकती । इसके लिए बिना मानापमान का ख्याल किए बार-बार घरों में जाने और घसीट कर लाने का प्रयत्न जारी रहना चाहिए । यदि घमंडी, संकोची और व्यस्त समझी जाने वाली महिलाओं से भी आग्रह जारी रखा जाय तो वे कभी न कभी आयोजनों में सम्मिलित होने लगेंगी और अपने घरों पर आयोजन बुला सकेंगी । रुष्ट या निराश तो सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को कभी नहीं होना चाहिए ।

नारी जागरण अभियान में प्रत्येक महिला का भाव भरा योगदान हो सकता है, भले ही वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो । विचारशील, उत्साही और प्रतिभावान महिलाओं के संगठन एवं रचनात्मक कार्यों के लिए घर से बाहर कदम बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है और चाहा गया है कि वे दो से पाँच बजे तक के तीन घंटे घर से बाहर ही लगाया करें । एकाकी सेवा कार्य भी हो सकता है उसमें दो आँखों का एक आँख पर, दो हाथों का एक हाथ पर, दो पैर का एक पैर पर वजन पड़ने की तरह अधिक साहस की जरूरत पड़ती है । दो की टोली बन पड़े तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ा काम बन गया । घर के लोगों का इसके लिए समर्थन पाना आरंभ में बहुत कठिन पड़ता है । मर्द दूसरे के घर अपने घर की स्त्रियों को जाने देने में बेइज्जती समझते हैं और उनको घर पर काम न रहने की स्थिति में भी जाने देने पर आनाकानी करते हैं । घर की स्त्रियाँ भी अपने से कुछ भिन्नता देख कर कुढ़ती हैं, मुँह फुलाती और तानाकशी करती हैं । इस गुत्थी को भी मनस्वी महिलाओं में यदि लगन हो तो देर सवेर में हल कर लेती हैं और आरंभ में दिखाई जाने वाली कठोरता को अपनी कुशलता से धीरे-धीरे नरम कर लेती हैं । ऐसी दो महिलाएँ जहाँ भी एक जुट हो जायेंगी, वहाँ निश्चित रूप से महिला जागरण की गतिविधियाँ सफलतापूर्वक सुविस्तृत होती चली जायेगी । अधिक महिलाओं की मंडली बनाकर संपर्क कार्य के लिए निकल सकें, तब तो और भी आशाजनक परिणाम निकलेगा । एक के स्थान पर कई टोलियाँ बन सकें तो कार्य में और अधिक चमत्कार उत्पन्न हो सकता है ।

यह संपर्क टोलियाँ पुरुषों की भी चलनी चाहिए, महिलाओं की भी । पुरुष पुरुषों से संपर्क बनायें । उन्हें परिचित, अपरिचित लोगों को मिशन की जानकारी प्रचार पुस्तिकाओं से तथा चर्चा के माध्यम से देनी चाहिए । जो रुचि लेते दिखाई पड़ें उन्हें अपने घरों की महिलाओं को आयोजनों में भेजने के लिए रजामंद करना चाहिए ।

मिशन का प्रथम सोपान जानकारी देना, संगठन खड़ा करना, सत्संग तथा घरेलू आयोजनों की व्यवस्था, उनमें सम्मिलित होने के लिए उपस्थित की प्रेरणा देना प्रमुख है । यह प्रयास घर बैठे नहीं हो सकता । उत्साही नर-नारियों को इसके लिए घर से बाहर निकलना होगा और संकोच, झिझक,

मानापमान का विचार छोड़कर दृढ़ता, निर्भयता और आत्मविश्वास के साथ जन-जन को इस मिशन का स्वरूप समझाना होगा ।

महिला जागरण अभियान की सदस्यता यों मिशन के उद्देश्य स्वरूप और कार्यक्रम से सहमत होने तथा निर्धारित प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर देने भर से आरंभ हो जाती है पर उसके कर्मठ कार्यकर्ता वे बनते हैं जो मिशन के लिए नियमित अनुदान देने में अपनी तत्परता व्यक्त करते हैं । यह नियमित अनुदान समयदान और साधनदान दो भागों में विभक्त है । दोनों के मिलने से ही पूर्णता बनती है ।

कर्मठ कार्यकताओं के लिए यह प्रथम कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि उन्हें कम से कम एक घंटा समय मिशन के विस्तार के लिए लगाते रहना चाहिए । यों स्वयं निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपयोगी साहित्य पढ़ना, अपने घर में दूसरों को पढ़ाना-सुनाना चाहिए । रात्रि को प्रेरणाप्रद कहानियाँ कहना, परिवार में मिशन की प्रेरणाओं के उपयुक्त वातावरण बनाना, निर्धारित कार्यक्रमों की घर में स्थापना करना भी काम है और इतना करके ही कोई कह सकता है कि हम लक्ष्य की दिशा में आवश्यक प्रयत्न कर रहे हैं ।

यहाँ एक घंटा संपादन की शर्त इससे अगले कदम से आरंभ होती है । व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में तो असंख्य नर-नारी इन प्रेरणाओं को न्यूनाधिक मात्रा में उतारेंगे ही । इसके बिना मिशन की प्रगति हुई नहीं मानी जायेगी । समयदान का तात्पर्य है घर में, बाहर के संपर्क क्षेत्र में मिशन की प्रकाश किरण पहुँचाने के लिए किया गया प्रयत्न । हर व्यक्ति का कुछ न कुछ परिचय सम्पर्क एवं प्रभाव क्षेत्र होता है । घर से बाहर भी बहुतों से जान-पहचान और घनिष्ठता होती है । इस क्षेत्र के व्यक्तियों के नाम क्रमबद्ध रूप से डायरी में नोट करने चाहिए और इसी प्रयोजन से मिलने के लिए उनके घर जाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए । किसी को अपने यहाँ बुला लेने से भी कुछ काम तो हो ही सकता है । पर जब कुछ विशेष प्रयोजन लेकर कोई किसी के यहाँ जाता है तो उसका प्रभाव दूसरा ही पड़ता है ।

घर में झोला पुस्तकालय रखा जाना चाहिए । युग निर्माण योजना, मथुरा से प्रकाशित पुस्तकें इसी शुभ कार्य का श्रीगणेश करने के लिए है । उन्हें झोले में लेकर घर से निकला जाय और जिनसे मिलने का कार्यक्रम है उन्हें मिशन

की आवश्यकता एवं उपयोगिता समझाते हुए एक पुस्तिका पढ़ लेने के लिए अनुरोध किया जाय । इसमें किसी के इन्कार करने की बात शायद ही कभी उपस्थित हो । जिन्हें अवकाश न हो या शिक्षा कम हो वहाँ किसी एक पुस्तक का लेख पढ़कर सुनाया जा सकता है ।

मिशन के सदस्यों को चाहिए कि इस संपर्क एवं प्रसार कार्य को अपना धर्म कर्तव्य मानकर चलने और अपने समूचे प्रभाव क्षेत्र को नव जागरण की हलचलों से परिचित कराते रहने के प्रयास सतत् संलग्न बने रहें । हर दिन दो व्यक्तियों से संपर्क साधने की बात बन पड़े तो महीने में साठ व्यक्तियों से संपर्क हो सकता है । संभव न हो सके तो भी हर सदस्य को अपना संपर्क क्षेत्र न्यूनतम दस व्यक्तियों तक तो रखना ही चाहिए और उसे पुस्तिकायें तथा पत्रिकाएँ पढ़ाते रहने का क्रम कुछ दिन चलाते रहने के उपरांत तब फिर नये दस ढूँढ़ने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए । इस प्रकार दस-दस व्यक्ति हर महीने करते रहने से भी सालभर में अपने प्रभाव क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक हो सकती है ।

हर दिन समय न मिल सके तो कई दिन का समय मिलाकर भी खर्च किया जा सकता है । सप्ताह में सात घंटे या महीने में ३० घंटे भी सुविधानुसार लगाये जा सकते हैं । यों मन समझाने को तो सत्संगों या आयोजनों में जाना भी उन्हीं घंटों में शामिल किया जा सकता है पर वस्तुतः वैसा है नहीं । यह एक घंटा प्रसार प्रयोजन के लिए जन संपर्क साधने और मिशन की विचारधारा को अधिकाधिक व्यापक बनाने के लिए ही है । इसे इसी अति महत्वपूर्ण प्रयोजन में लगाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए ।

सदस्यों में से प्रत्येक के घर एक छोटा महिला जागरण पुस्तकालय होना चाहिए और उसमें निरंतर साहित्य की वृद्धि होती रहनी चाहिए । इस खर्च की पूर्ति के लिए कर्मठ कार्यकर्ताओं की दूसरी शर्त है-हर दिन पचास पैसा ज्ञानघट में डाला जाय । देहातों में पैसे की टूट नहीं होती वहाँ अनाज ही धन होता है वहाँ एक मुट्ठी अनाज हर दिन किसी डिब्बे में डाला जाता रहे और उस मासिक संग्रह को बेचकर पैसा बना लिया जाय । हर दिन खेरीज डालने से असुविधा हो तो ५०-५० पैसा लिखी हुई कागज की पर्चियाँ डिब्बे में डाली जाती रह सकती हैं और साप्ताहिक या मासिक पर्चियों

के बदले में पैसे जमा किए जा सकते हैं ।

धर्मघट में रोज-रोज पैसा डालने के लिए इसलिए कहा जाता है कि उससे परमार्थ का संस्कार बनता है । यह ध्यान बना रहता है कि हमें सत्कार्य के लिए नियमित अनुदान देना है । दूसरा एक तथ्य यह भी है कि पचास पैसा रोज की रकम छोटी लगती है और एक साथ पन्द्रह रुपये निकालना बहुतों को कठिन लगता है । यदि अपनी सामर्थ्य एक साथ धन निकालने की है तो भी उसे नित्य का क्रम बनाकर अपना संस्कार पुष्ट करते रहना ही उचित है ।

इस प्रकार संचित राशि को आरंभ के वर्षों में पूरे का पूरा शाख़ा को ही दे देना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर उसकी अर्थ व्यवस्था चलेगी । शाखा इसके बदले में थोड़ा बहुत जो साहित्य देती रहे उससे जन संपर्क का प्रचार प्रयोजन पूरा किया जा सकता है । ज्ञानघट के पचास पैसों के अतिरिक्त यदि साहित्य खरीदने के लिए अलग से धन निकल सके तो और भी अच्छा है । यह इसलिए आवश्यक है कि प्रारंभ में शाखा की व्यवस्था के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है । साथ ही प्रारंभ में सहयोगियों की संख्या भी कम रहती है । इसलिए धर्मघट की सारी की सारी राशि व्यवस्था में लगायी जाय तथा साहित्य के लिए थोड़ा-थोड़ा अंश अलग से निकाला जाय, तो दोनों काम एक साथ चल पड़ेंगे ।

यदि संयोग से संपन्न व्यक्ति महिला शाखा में प्रारंभ से ही रुचि लेने लगें और धन का सहयोग करने लगें, तो भी सदस्याओं को अपने इस क्रम में जरा भी ढील नहीं लानी चाहिए । धन से साधन इकट्ठे होते हैं यह बात ठीक है किन्तु मात्र साधन ही काफी नहीं होते । उनके साथ जुड़ी हुई अपनत्व की भावना तथा कुछ कर गुजरने की ललक ही साधनों को प्राणवान बनाती है ।

जहाँ अधिक उत्साह हो वहाँ समय का अधिक भाग और धन का अधिक अंश देने के लिए सहज ही अंतःकरण में उमंग उठेगी । आठ घंटे अपने मुख्य कार्य के लिए, सात घंटा सोने को तथा पाँच घंटे फुटकर व्यक्तिगत कार्यों में खर्च कर लिये जायें तो इन बीस घंटों को निकाल देने के बाद भी चार घंटे का समय लोक मंगल के परमार्थ प्रयोजनों में लगाया जा सकता है । इसी प्रकार माह में एक दिन की कमाई इस पुण्य कार्य में लगाना किसी भी भावनाशील व्यक्ति के

लिए कठिन नहीं पड़ना चाहिए । आशा की जानी चाहिए कि सामान्य सदस्य जल्दी ही कर्मठ कार्यकर्ताओं की श्रेणी में जा पहुँचेंगे और भावनाशील कर्मयोगी अपने समय, श्रम, मनोयोग, धन, प्रभाव आदि विभूतियों का अधिकतम भाग महिला जागरण अभियान जैसे युगांतरकारी प्रयोजन के लिए समर्पित करते हुए अभिनव आदर्श प्रस्तुत करेंगे ।

महिला शाखा संगठनों को फिलहाल छोटे रूप में ही शिक्षा तथा प्रचार के कार्य सौंपे गए हैं, किन्तु शीघ्र ही यह बड़ा रूप पकड़ लेंगे । व्यवस्थित शिक्षा संस्थान और जन संपर्क अभियान की दो धाराएँ अनेक धाराओं में विभाजित होती हैं और उनका विकास-विस्तार बहुत तीव्र गति से होता जाता है ।

संगठन एवं प्रचार का यह क्रम चल पड़े तो शाखा जीवंत कहलायेगी । जैसे-जैसे सदस्याओं की क्षमता एवं निष्ठा बढ़ती जाय वैसे-वैसे अगले बड़े चरण बढ़ाये जा सकते हैं । घर-घर कथाओं एवं बाल संस्कारों के माध्यम से शिक्षण का क्रम चलाया जा सकता है । महिला प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी की जा सकती है । समय-समय पर पड़ने वाले पर्वों व सामूहिक आयोजन करके सामूहिक चेतना जागृत की जा सकती है । वर्ष में एक बार संगठन का वार्षिकोत्सव भी मनाया जाना चाहिए । इसके साथ क्षेत्रीय महिला कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर भी चल सकता है । शांतिकुंज, हरिद्वार या गायत्री तपोभूमि, मथुरा से इसके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता बुलाए जा सकते हैं । इस प्रकार सारे क्षेत्र में महिला जागरण अभियान को उल्लेखनीय गति प्रदान की जा सकती है ।

हर घर में उपयुक्त प्रेरणाओं का प्रवेश किया जाय

महिला जागरण शाखाएँ अपना संगठन जीवंत एवं प्रखर बनाये रखने के लिए अपने साप्ताहिक सत्संगों को पूरे उत्साह के साथ चलाती रहेंगी । साथ ही यह प्रयत्न भी करेंगी कि घर-घर वैसा ही प्रभावशाली वातावरण पैदा किया जाय, जैसा कि इन सत्संगों के अवसर पर होता है । इसके लिए संस्कारों और पर्वों को अभिनव पद्धति से संपन्न कराने की प्रक्रिया भी उन्हें हाथ में लेनी होगी ।

साप्ताहिक सत्संग आमतौर से एक निर्धारित उपयुक्त स्थान पर होते रहते हैं । पर्व और त्यौहार भी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर होते हैं जहाँ बड़ी उपस्थिति के लिए पर्याप्त स्थान हो । एक महत्वपूर्ण बात यह रह जाती है कि हर घर में विचार गोष्ठियाँ और छोटे आयोजन हों जिससे उस परिवार के सभी सदस्यों को नव-चेतना के अनुरूप संयुक्त परिवार के उत्तरदायित्वों के निर्वाह की प्रेरणा मिल सके । परिवारों का हमें किन्हीं सिद्धांतों, आधारों और नियम-कायदों के अनुसार पुनर्निर्माण करना पड़ेगा ।

प्राचीन आदर्शों के साथ नवीन परिस्थितियों का ताल-मेल बिठा कर ही संयुक्त परिवार प्रणाली की रक्षा हो सकती है । हमारे घर ऐसे होने चाहिए जिनमें प्रत्येक को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में सजगता-तत्परता बरतने का पूरा-पूरा ध्यान रहे । वस्तुतः परिवार की पाठशाला में ही गुण, कर्म, स्वभाव का प्रशिक्षण होता है और इसी फैक्ट्री में शालीनता का वातावरण रहने से प्रखर व्यक्तियों का निर्माण होता है । महिलाओं का तो वह कार्य क्षेत्र ही है । गृह लक्ष्मी होने के नाते वे पुरुषों से भी अधिक बढ़ा-चढ़ा उत्तरदायित्व इसी सीमित किन्तु अति महत्वपूर्ण क्षेत्र में निर्वाह करती हैं । भले ही वे घर से बाहर कितना ही क़ाम क्यों न करें पर परिवार की साज-सम्हाल तो उन्हें ही करनी पड़ती है ।

परिवार निर्माण के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल खोला जाना कठिन है । घर-घर जाकर उत्सव आयोजन जैसे उल्लास भरे वातावरण में परिवार के सदस्यों को ऐसी प्रेरणा देने की आवश्यकता है, जिसमें घर के सभी लोग अपने-अपने कर्तव्यों का पारस्परिक सहयोग का प्रकाश प्राप्त कर सकें और उस पर तत्परतापूर्वक चल सकें । प्राचीन काल में भी यह प्रयोग होता रहा है । सोलह संस्कारों के माध्यम से सुयोग्य उपदेशक जल्दी-जल्दी घरों में पहुँचते थे और घर के लोगों को इकट्ठे करके उनके वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराते थे । जो भूलें देखते थे उनके परिशोधन के लिए आवश्यक प्रेरणाएँ देते थे । उस भाव भरी मनःस्थिति में गरम लोहे पर चोट करने से उसे आसानी से मोड़ने का प्रयोजन पूरा होता था । इस प्रकार परिमार्जन और परिष्कार की प्रक्रिया बराबर चलती रहती थी । उसी प्रयोजन की पूर्ति हमें करनी है । उसके लिए पुरानी शैली अपनाई जाय तो हर्ज कुछ नहीं वरन् उचित

परंपराओं के प्रति निष्ठा बनाये रखने का विशिष्ट लाभ ही है ।

महिला जागरण अभियान के अंतर्गत परिवार पुनर्निर्माण को सर्वोपरि प्रधानता दी गई और उसका प्रशिक्षण देने के लिए पुरानी शैली अपनाई गई है । बच्चों के, बड़ों के संस्कार किए जायँ । जिनके संस्कार होते हैं उन्हें 'महत्वपूर्ण' बनाने का अवसर मिलता है । वे उस दिन के हीरो रहते हैं । इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उनका आत्म सम्मान उभारने और महत्वपूर्ण बनने की प्रेरणा देता है । ऐसे वातावरण में दी हुई शिक्षाएँ भी बहुत काम करती हैं । जिसका संस्कार है उस पर, घर के लोगों पर तथा पास-पड़ोस के आमंत्रित लोगों पर इस प्रेरणा प्रवाह का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है । यह प्रयोग भूतकाल में भी सफल होता था और अब भी उसकी सफलता असंदिग्ध है ।

भारतीय संस्कृति में षोड़स संस्कारों की प्राचीन परंपरा विद्यमान है । पंडितों ने उसे लूट-खसोट का जरिया बना लिया और शिक्षा-प्रेरणा का मूल उद्देश्य नष्ट करके मात्र पूजा-पत्रों तक उसे सीमित कर दिया इसलिए जन विवेक ने उसकी अनुपयोगिता देखकर उसकी उपेक्षा आरंभ कर दी । अब वे संस्कार विधिवत् कहीं-कहीं ही होते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि धर्म परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उत्साहवर्द्धक अभियान के साथ-साथ परिवार निर्माण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण करने और प्रगतिशील वातावरण बनाने की समन्वित प्रक्रिया को तत्काल आरंभ कर दिया जाय । इसका परिवारों में विरोध नहीं स्वागत ही होगा । इसमें दुहरा लाभ है – लोग अपनी परंपराओं के पीछे सन्निहित प्रगतिशीलता को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे, साथ ही परिवार प्रशिक्षण के लिए उत्साहवर्द्धक परिस्थितियाँ मिलती रहेंगी । उन छोटे आयोजन सामारोहों में सहज ही उत्साहवर्द्धक वातावरण रहेगा । घर-पड़ोस के लोग पारस्परिक व्यवहार के कारण तथा कौतूहलवश उनमें इकट्ठे होंगे और उतने लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए महिला जागरण अभियान के कार्यकर्ताओं को अच्छा अवसर मिल जायगा ।

घर-घर जाकर उत्साहपूर्ण वातावरण में नव-निर्माण से संबंधित तथ्यों को समझाना पड़ेगा और उन्हें प्रचलन के स्तर तक पहुँचाना होगा । परिवार निर्माण के लिए प्रचलित ढर्रा बदलने और आदर्शवादी परंपराओं को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी । संस्कार आयोजनों की धर्म परंपरा प्रचलित

करके यह प्रयोजन बहुत ही सुविधा तथा सफलता के साथ उत्साहवर्द्धक वातावरण में संपन्न होता रह सकता है ।

षोड़स संस्कारों में दस प्रधान हैं । उनमें से पाँच ऐसे हैं जिन्हें बिना पंडित, पुरोहितों की सहायता के महिलाएँ बहुत ही अच्छी तरह घरेलू उत्सवों के रूप में स्वयमेव संपन्न कर सकती हैं । (१) गर्भावस्था में तीसरे महीने होने वाले पुंसवन संस्कार को मनाते हुए परिवार के लोगों को यह समझाया जा सकता है कि नवजात शिशु को सुसंस्कारी बनाने के लिए गर्भिणी की शारीरिक, मानसिक स्थिति किस प्रकार संतोषजनक रखी जा सकती है और उसके लिए घर के वातावरण में, पारस्परिक व्यवहार में क्या हेर-फेर होना चाहिए । (२) नामकरण संस्कार में बच्चे का नाम रखने के साथ-साथ उसके जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने और उसके अनुरूप घर को एक संस्कृति पाठशाला के रूप में बदलने के लिए उस परिवार में किस प्रकार के परिवर्तन अभीष्ट हैं यह सुझाया जा सकता है । (३) अन्नप्राशन संस्कार यों होता तो बच्चे का है और प्रधानतया बच्चे के आहर-विहार के संबंध में बरती जाने योग्य सतर्कताओं की जानकारी दी जाती है, पर वस्तुतः सारे घर के आहार-विहार की चर्चा की गुंजायश उसमें रहती है । हम प्रायः अखाद्य खाते और अपेय पीते हैं उससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य नष्ट होता है । इस प्रसंग में अनीति उपार्जन से पेट भरने के क्या दुष्परिणाम होते हैं इस तथ्य को भी समझाया जा सकता है । (४) मुंडन संस्कार में बच्चे का मानसिक विकास करने की प्रेरणा मुख्य है । जन्मजात पशु संस्कारों की प्रतीक शिखा स्थापित की जाती है । मस्तिष्क पर आदर्शवादी मान्यताओं का अधिकार सिद्ध करने वाली धर्मध्वजा फहराई जाती है । मुंडन के अवसर पर यह समझाया जा सकता है कि बच्चे का ही नहीं सारे परिवार का मानसिक विकास आवश्यक है और उस महान् उपलब्धि के लिए किस प्रकार का चिंतन और कर्तृत्व होना आवश्यक है । (५) विद्यारंभ संस्कार में विद्या की आवश्यकता-उपयोगिता एवं सही दिशा के संबंध में घर के हर सदस्य को जानकारी मिलती है और यह बताया जाता है कि ज्ञान संपदा के अभिवर्द्धन में परिवार के हर सदस्य का पूरा उत्साह और अनवरत प्रयत्न बना रहना चाहिए । निरोगिता और समृद्धि की तरह ही विद्या संपदा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

यों यह पाँचों संस्कार छोटे बालकों के मनाये जाते हैं । पर वस्तुतः बच्चे तो निमित्त हैं । वे तो बेचारे कुछ समझते तक नहीं । आयोजन में वास्तविक शिक्षण पूरे परिवार का तथा उपस्थित संबंधी-पड़ोसियों का होता है । घर-घर प्रशिक्षण प्रक्रिया चल पड़े इसके लिए इन आयोजनों का प्रचलन महिला जागरण की सभी सदस्याओं के यहाँ होना चाहिए । छोटे बच्चों का सिलसिला प्रायः चलता ही रहता है । इस महीने किसी का नामकरण तो कुछ महीने बाद किसी का अन्न प्राशन, किसी का मुडन, इस प्रकार किसी न किसी बहाने बार-बार परिवार प्रशिक्षण के अवसर आते रहेंगे और उपयोगी प्रेरणाओं से उन लोगों को बार-बार प्रभावित किया जाता रहेगा । यह परिवार निर्माण की दृष्टि से एक बहुत ही उत्तम विधि-व्यवस्था है जिसे प्रचलित करने के लिए महिला जागरण अभियान शाखाओं को पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए ।

व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से जन्म दिन मनाने का बहुत महत्व है । जिस सदस्या का जन्म दिन जब हो उस दिन उसके घर छोटा उत्सव किया जाना चाहिए । मनुष्य जन्म कितना बहुमूल्य है, किस उद्देश्य के लिए मिला है और पुण्य प्रयोजन की पूर्ति के लिए चिंतन एवं कर्तृत्व की दिशा क्या होनी चाहिए इस तथ्य को अनेक उदाहरण देकर बताया-सिखाया जा सकता है और जिसका जन्म दिन है उसे प्रेरणा दी जा सकती है कि वह अपना सुरदुर्लभ जन्म सार्थक करने के लिए अपनी वर्तमान गतिविधियों में क्या हेर-फेर कर सकता है । यह व्यक्ति निर्माण की शिक्षा है जिससे सभी उपस्थित लोग अपने-अपने लिए प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं । यों महिलाएँ अपने-अपने बच्चों के जन्म दिन खुशी मनाने की दृष्टि से मनाती रहती हैं । अपना उद्देश्य उससे कहीं ऊँचा है । इसलिए शाखा की ओर से बच्चों का जन्म दिन नहीं सदस्याओं का ही मनाने की परंपरा रखी गई है ताकि उस दिन उसे आत्म-चिंतन की नई प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिले ।

यह सभी संस्कार आयोजन ऐसे हैं जिन्हें महिलाएँ ही मिल-जुल कर मना सकती हैं । हवन, कर्मकांड आदि के मंत्र एवं विधान सभी ऐसे सरल हैं जिन्हें शिक्षित महिलाएँ कुछ ही दिन के प्रयत्न से बहुत अच्छी तरह सीख सकती हैं । आयोजनों में खर्च एक दो रुपये जितना ही रखा गया है । अपनी पद्धति से इतने में हवन आदि कृत्य हो जाते हैं । जलपान, चायपान आदि से

स्वागत की खर्चीली प्रथा इन आयोजनों में सर्वथा निषिद्ध ठहरा दी गई है ताकि गरीब से गरीब स्थिति के लोग भी उन्हें पूरे उत्साह और पूरे सम्मान के साथ सम्पन्न कर सकें ।

जिस प्रकार व्यक्ति निर्माण के लिए जन्मदिन, परिवार निर्माण के लिए संस्कार आयोजनों की अपनी धर्म परंपरा है, ठीक उसी प्रकार समाज निर्माण के लिए पर्व-त्यौहार मनाये गए हैं । यह प्रचलन मुहल्ले-मुहल्ले की स्त्रियाँ भी मिल-जुल कर सामूहिक उत्सवों के रूप में मनाना आरंभ कर सकती हैं । यों संस्कारों और सत्संगों के माध्यम से भी छोटे आयोजन होते रहेंगे, पर उनमें नवीनता लाने के लिए पर्व-त्यौहारों का मनाया जाना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । इन्हें सामूहिक रूप से मनाने की पद्धति भी संस्कारों की तरह ही सरल और न्यूनतम खर्च की है । अंतर इतना ही है कि संस्कारों में जहाँ पारिवारिक समस्याओं पर मार्गदर्शन किया जाता है वहाँ पर्व, त्यौहारों के आयोजनों में सामाजिक समस्याओं का स्वरूप और हल सुझाया जाता है । लोक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता इस माध्यम से पूरी होती है ।

कार्तिकी अमावस्या को दिवाली होती है और वह अर्थ संतुलन के साथ जुड़े हुए अनेकानेक समाधान लेकर आती है । उस पर्व को मनाते हुए देश की अर्थ व्यवस्था की विकृति के कारण और उन्हें संतुलित करने के उपाय सुझाये जा सकते हैं । इसी प्रकार माघ सुदी पंचमी को बसंत पंचमी शिक्षा की, फाल्गुन सुदी पूर्णिमा को होली स्वच्छता एवं श्रम-सहयोग की, चेत्र सुदी नवमी रामनवमी मर्यादा पालन की, ज्येष्ठ सुदी दशमी गायत्री जयंती आत्मिक पवित्रता की, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा-अनुशासन की, श्रावण सुदी पूर्णिमा श्रावणी-उपनयन परिवर्तन के साथ द्विजत्व की, पशु जीवन त्याग कर मनुष्य जीवन में प्रवेश करने की जिम्मेदारी निबाहने की, भाद्रपद वदी अष्टमी-जन्माष्टमी कृष्ण के कर्मयोग की, अश्विन सुदी दशमी-विजय दशमी शक्ति संचय की प्रेरणा लेकर आती है । इन पर्वों को मनाने से उपरोक्त समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक संगठन, संशोधन एवं विकास की अनेकानेक गुत्थियों के हल सुझाये जा सकते हैं । समाज निर्माण की शिक्षा इस माध्यम से उत्साहवर्द्धक वातावरण में ही अच्छी तरह हो सकती है । धर्म परंपराओं के निर्वाह के साथ-साथ लोक-शक्ति को जागृत, परिष्कृत, संगठित

एवं विकसित करने का यह तरीका इतना उत्तम है कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों में लोक-शिक्षण का और कोई उपाय सोचा ही नहीं जा सकता ।

इसके अतिरिक्त रामायण कथा और सत्यनारायण कथा के आयोजन अपने-अपने घरों पर, शाखा में अथवा मुहल्ला स्तर पर होते रह सकते हैं । मिशन ने सत्यनारायण कथा का अभिनव स्वरूप बना दिया है । जिससे इस धर्म प्रयोजन का सहारा लेकर वह सब कुछ कहा जा सकता है जो आज की स्थिति में कहने योग्य है । इसी प्रकार रामायण सप्ताह अथवा न्यूनाधिक समय तक उस कथा के आयोजन रखे जाँय तो उससे भी व्यक्ति, परिवार, समाज की अभिनव रचना के अति महत्वपूर्ण सूत्र जन-मानस में उतारे जा सकते हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रामायण कथा, सत्यनारायण कथा आदि पुस्तकों की रचना की जा चुकी है और उनका सर्वत्र प्रचलन हो रहा है ।

लोक शिक्षण में कथा साहित्य का कितना महत्व है यदि इस तथ्य को समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि महिला शाखाओं को यह माध्यम अनिवार्य रूप में अपनाना ही चाहिए ।

लेखकों, पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों का क्षेत्र प्रधान रूप से कथा साहित्य होता है । आधी से अधिक पुस्तकें कथा परक छपती और बिकती हैं । यह लोकरुचि सनातन है । वेद चार ही लिखे जा सके, पर पुराण अठारह और उपपुराण अठारह लिखे गए । चारों वेदों में मात्र २० हजार मंत्र हैं पर अकेला महाभारत ही एक लाख श्लोकों का अर्थात् चारों वेदों का पाँच गुना है । अन्य कई पुराण भी इतने ही बड़े हैं । संस्कृत में नाटक काव्य आदि कथा साहित्य के अन्य ग्रंथ भी कम नहीं हैं । व्रत-पर्वों के साथ अगणित कथाएँ जुड़ी हुई हैं और वे चावपूर्वक कही-सुनी जाती हैं । वह प्रचीन अभिरुचि अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है । आज भी कथा-कहानियों का पत्रिकाओं में प्रमुख स्थान रहता है । फिल्में आखिर कहानियों का दृश्य रूप ही तो हैं । नाटक अभिनय, गीत वाद्यों में प्राय: कथा-प्रसंग ही जुड़े रहते हैं । लोकरुचि इसी क्षेत्र के इर्द-गिर्द उमड़ती-घुमड़ती रहती है ।

महिला जागरण अभियान का क्षेत्र यों मुख्य रूप से परिवार निर्माण है, पर उसी के साथ व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण के घटक अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं । इस प्रकार से यह समूची मानवता की पुन: प्राणप्रतिष्ठा का

अभिनव प्रयोग है, इसके लिए अन्यान्य साधनों के अतिरिक्त कथा प्रसंगों को भी साथ लेकर चलना होगा ।

सामान्यतया बच्चों को प्रेरणाप्रद कहानियाँ सुनाने की छोटी सी बात को लेकर आगे बढ़ना है, सभी सदस्याएँ बच्चों के लिए ज्ञानवर्द्धक एवं दिशा देने वाली कहानियाँ सीखेंगी और उन्हें किस आयु के लोगों के लिए किस प्रकार कहना चाहिए यह कला अपनायेंगी । हर घर में रात्रि को कहानियाँ कहने का प्रचलन होना चाहिए । 'नानी की कहानी' की उक्ति प्रसिद्ध है । वृद्धाएँ तथा जिनके पास अवकाश रहता है वे इस कार्य को बड़ी आसानी से कर सकती हैं । उनको उत्साह न होने पर काम-काजी महिलाएँ भी किसी प्रकार इसके लिए समय निकाल सकती हैं । यों आज ऐसी कहानियों की भारी कमी है जो मात्र मनोरंजन न होकर बच्चों को दिशा एवं प्रेरणा दे सकें, फिर भी उन्हें ढूँढ़ा और उपलब्ध कराया ही जायेगा ।

बच्चों को कहानियाँ सुनने का सहज भाव होता है । जब वह सिलसिला चल पड़े तो घर के अन्य लोग भी खिसक कर वहीं आ इकट्ठे होते हैं । कथा सुनने में मजा तो सभी को आता ही है । इस प्रकार कहानियाँ कहने की प्रक्रिया यदि सुनियोजित और दूरदर्शिता पूर्ण आधार लेकर चलाई जाय तो इस मखौल जैसे दीखने वाले कार्य से भी अगणित सत्परिणाम प्रस्तुत हो सकते हैं । व्यक्तियों के निर्माण में कथा प्रचलन की अनुपम भूमिका हो सकती है ।

अपनी 'युग निर्माण योजना' मासिक पत्रिका अनेक वर्षों से इसी प्रयोजन के लिए निकल रही है । उसमें पौराणिक, ऐतिहासिक एवं आधुनिक महामानवों तथा महान् घटनाक्रमों का वर्णन इस प्रकार रहता है कि कहानी पढ़ने-सुनने का आनंद लेते हुए अंतःस्थल में आदर्शवादी परंपराओं की प्राण प्रतिष्ठा की जा सके ।

प्राचीन कथाओं को नये संदर्भ में प्रस्तुत करने की अपनी अभिनव योजना है । सत्यनारायण कथा का प्रचलन बहुत पुराना है, उसके आधारों में ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि जन मानस के नव निर्माण में उसकी महती भूमिका हो सकती है । राम चरित्र, कृष्ण चरित्र के लिए रामायण, महाभारत में अति उपयोगी प्रसंग मौजूद है । अवतारी, देवताओं, ऋषियों एवं महामानवों के ऐसे चरित्रों की कमी नहीं जिन्हें धर्म कथा के प्राचीन श्रद्धा भरे

वातावरण में प्रस्तुत किया जा सकता है । कथा आयोजनों की प्राचीन परंपरा को जीवित रखते हुए उसमें नव जीवन का संचार कर देना समय की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है । उसकी पूर्ति के लिए महिला जागरण अभियान अति कुशलता और दूरदर्शिता के साथ योजनाबद्ध रूप से प्रवेश करेगा ।

महिला जागरण शाखाएँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इन कथा आयोजनों की व्यवस्था बनाकर लोक-शिक्षण के अति महत्वपूर्ण कार्य को सुगमता और सफलता पूर्वक अग्रसर कर सकती हैं । उन्हीं में कुछ सुयोग्य महिलाएँ संस्कार, जन्म दिवस, पर्व-त्यौहार, कथा-प्रवचन आदि की अपनी क्षमता विकसित कर सकती हैं ।

संगठन, सत्संग और प्रचार व्यवस्था की त्रिवेणी जहाँ बह निकले तो वहाँ अभियान अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुँच गया समझा जाना चाहिए । प्रतिभाशाली महिलाएँ कुछ समय के अनुभव-अभ्यास के उपरांत यह क्रिया-कलाप बहुत ही अच्छी तरह चला सकती हैं और भविष्य में नारी उत्थान के लिए जो उच्चस्तरीय कदम बढ़ाये जाने हैं, उनकी नींव जमाने वाले सुदृढ़ आधार खड़े कर सकती हैं । पुरुष सूत्र संचालन करें और स्त्रियाँ उसे दिशा दें, आवश्यक उत्साह प्रकट करें तो कोई कारण नहीं कि नारी पुनरुत्थान की सुखद संभावनाओं को मूर्तिमान न बनाया जा सके ।

प्रौढ़ महिला शिक्षा—आवश्यकता एवं स्वरूप

युग प्रभात में जो महान परिवर्तन होने जा रहे हैं, उनके लिए नारी को अपनी उपयुक्त भूमिका निभानी पड़ेगी । इसमें समर्थ हो सकने के लिए प्रथम प्रयास 'शिक्षा' की उपलब्धि के रूप में ही हो सकता है । अशिक्षित व्यक्ति एक प्रकार से अंधा होता है । संपर्क क्षेत्र में जो सीमित जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं उतने ही दायरे में उनका विचार चक्र घूमता रहता है । इससे आगे भी कुछ है क्या ? प्रस्तुत परिस्थितियों के अतिरिक्त भी कोई विकल्प है क्या, यह सोचना उसके लिए कठिन पड़ता है । कूप मंडूप अपनी स्थिति में संतुष्ट रहता है और उसे ही पर्याप्त मान कर रह जाता है । कुछ अधिक करने की, अधिक पाने, देखने की इच्छा तो तब उठती है जब कुएँ से बाहर निकल कर बढ़े क्षेत्र पर अपनी दृष्टि डालता है । अशिक्षित और शिक्षित की स्थिति में यही अंतर

होता है । 'यथा स्थिति' असंतोषजनक है, अपर्याप्त है, यह विचार तभी उठेगा जब नारी की आँखें संसार की स्थिति समझें और उसमें नारी को अपनी बढ़ी-चढ़ी भूमिका समझने का अवसर मिले । अपनी भूतकालीन गौरव-गरिमा को समझना और आज की स्थिति में उसकी तुलना करना ही वह आकुलता उत्पन्न कर सकती है, जो किसी बड़े परिवर्तन के लिए नितांत आवश्यक है । संसार की प्रगतिशील नारियाँ क्या कर रही हैं और किस स्थिति में रह रही हैं, इसकी तुलना कर सकना जब तक संभव न होगा तब तक यह कठिन ही रहेगा कि भारतीय नारी परिवर्तन के लिए अभीष्ट उत्सुकता प्रकट करे ।

शिक्षा हर दृष्टि से आवश्यक है । व्यक्तिगत जीवन भले ही किसी भी स्थिति का हो, शिक्षा के बिना गई-गुजरी स्थिति में ही पड़ा रहता है, क्योंकि शिक्षा के बिना चिंतन के स्रोत ही नहीं खुलते और प्रतिभाशाली होते हुए भी वह मनुष्य अपने चिंतन और विवेचन को विस्तृत नहीं कर सकता । अशिक्षा का यही सबसे बड़ा अभिशाप है । लोग शिक्षा को रोटी कमाने की कला समझते हैं, यह भूल है । रोटी तो शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित भी अधिक कमा सकते हैं । अशिक्षा व्यक्तित्व को, चिंतन को विकसित होने में असाधारण बाधक सिद्ध होती है, इसलिए 'बिना पढ़े पशु कहावें, सदा सैकड़ों दुःख उठावें' की सार्थक उक्ति सुनने को मिलती है ।

पुनर्जागरण में नारी अपनी भूमिका समुचित रीति से निबाहने योग्य बन सके-इसके लिए उसे सर्वप्रथम अशिक्षा के गर्त में से उबारना आवश्यक होगा और उसके लिए व्यापक योजना बनाकर चलना होगा । स्त्री शिक्षा के नाम पर लड़कियों के दो-चार स्कूल खुलवा देने से इतने बड़े प्रयोजन की पूर्ति न हो सकेगी । आज प्रश्न समूचे नारी समाज को शिक्षित बनाने का है और वह भी भावी पीढ़ियों का नहीं, आज की नारी के सहारे आज ही परिवर्तन लाना है । अस्तु, समस्या को भविष्य में सुलझाते रहने योग्य मान कर नहीं चलना है । आज की नारी आज ही शिक्षित करनी पड़ेगी, ताकि वह आज के परिवर्तनों में अपनी भूमिका का समुचित रीति से निर्वाह कर सके । हमें समूचे नारी समाज को इन्हीं दिनों शिक्षित बनाने की विशालकाय योजना मस्तिष्क में रखनी होगी और उसी को पूरा करने के साधन जुटाने होंगे ।

दुर्भाग्य ने स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इतनी लंबी अवधि बीत जाने पर

भी अपने देश को अब तक शिक्षित तो क्या साक्षर भी नहीं बनने दिया है । अभी भी अपने देश में ७० प्रतिशत मनुष्य निरक्षर हैं, मात्र ३० प्रतिशत ही पढ़े-लिखे हैं । स्त्रियाँ तो पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक अशिक्षित हैं । सरकार के लिए बच्चों की शिक्षा का भार ही कम नहीं है । प्रौढ़ नर-नारियों को शिक्षित करने की समस्या इतनी बड़ी है कि उसे सरकारी साधनों से पूरा किया जा सकना संभव नहीं । इसके लिए जन स्तर पर ही प्रबल प्रयत्न करने पड़ेंगे । निरंतर प्रौढ़ पुरुषों को पढ़ाकर उन्हें सुयोग्य नागरिक बनाना और राष्ट्रीय प्रगति में समुचित योगदान दे सकने के लिए प्रशिक्षित करना एक आवश्यक काम है, पर उससे भी अधिक प्राथमिकता देने योग्य समस्या नारी शिक्षा की है । पुरुषों की योग्यता का प्रभाव जितने क्षेत्र में होता है, नारी की स्थिति उससे कहीं अधिक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है । भावी पीढ़ी के शारीरिक, मानसिक और सामजिक स्तर का बहुत कुछ निर्माण माता के द्वारा ही होता है । गर्भस्थ शिशु अपने शरीर में माता का रक्त-माँस लाता है और उसके चिंतन, स्वभाव एवं चरित्र की भी बहुत बड़ी छाप माता की ही रहती है । जन्म लेने के बाद बच्चा माता का दूध पीता और उसी के साथ सोता, खाता खेलता है । इस अवधि में अपने व्यक्तित्व का बहुत बड़ा भाग बीज रूप से माता द्वारा ही प्राप्त कर लेता है । उस स्रोत से उसे जैसा भी अनुदान मिलता है, वह उसी के अनुरूप ढलता है । इस तथ्य को समझते हुए हमें भावी पीढ़ी के निर्माण का आरंभ उसकी माता का स्तर विकसित करने के साथ-साथ करना होगा । पुरुषों की शिक्षा योग्यता आज की स्थिति को प्रभावित करेगी, नर नारी शिक्षा तो समूची भावी पीढ़ी का निर्धारण करती है और वह भली-बुरी परंपरा को क्रमशः अगली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती चली जाती है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नारी शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है । विचारशील वर्ग इसे अब समझने और स्वीकार भी करने लगा है । किन्तु इतने भर से समस्या का समाधान नहीं हो जाता उसके लिए व्यवस्थित प्रयास चाहिए । प्रयास की बात उठते ही लोग सरकार द्वारा उसकी पूर्ति की आकांक्षा करने लगते हैं । समाज की आवश्यकता की पूर्ति के प्रयास सामाजिक स्तर पर न करके अपने अनिवार्य उत्तरदायित्व की उपेक्षा करने लगते हैं । यह बुरी आदत है कि हर उपयोगी कार्य के लिए सरकार का ही

दरवाजा खटखटाया जाय । नारी शिक्षा जैसे कार्यों को जन स्तर पर पूरा क्यों नहीं किया जा सकता ? कठिनाई यह है कि हम जन शक्ति की सामर्थ्य का कभी मूल्यांकन ही नहीं करते । यह महाकाली समस्त संपत्तियों, विभूतियों और उपलब्धियों की जननी है । सरकार का ढाँचा उसके नगण्य से टैक्स जैसे अनुदान आधार पर खड़ा है । सरकार को जितना मिलता है, लगभग उतना ही जनता नशेबाजी पर खुशी-खुशी निछाबर कर देती है । तम्बाकू और शराब का सारा खर्च सरकारी टैक्सों से कहीं अधिक है । गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, देव पूजा, अनुष्ठान-उत्सवों पर होने वाले धार्मिक खर्च सरकारी टैक्सों की तुलना में प्रायः दूने हैं । जनता इसे बिना किसी दबाव और संकोच के पूरा करती है । विवाह शादियों के दान-दहेज और धूमधाम में हर साल जितना पैसा खर्च होता है, वह भी पूरे सरकारी खर्च की तुलना में कहीं अधिक है । नशेबाजी, सिनेमा, पर्यटन, धर्मोत्सव, विवाह-शादी जैसे अनेक खर्च हैं जिन्हें पेट पालन एवं जीवन निर्वाह की अनिवार्य आवश्यकताओं में नहीं जोड़ा जा सकता । इन्हें लोग खुशी-खुशी करते हैं । श्रम शक्ति, समय शक्ति, धन शक्ति, बुद्धि शक्ति, प्रतिभा शक्ति, भावना शक्ति, संकल्प शक्ति के अजस्र रत्न भंडार जन समुद्र में छिपे पड़े हैं, यदि उन्हें खोजा और उभारा जा सके तो महान् परिवर्तन के लिए अभीष्ट साधनों की कोई कमी न रहेगी । सरकार का मुँह ताकने की, किसी धनी, विद्वान, योगी, चमत्कारी नेता, अभिनेता का अनुग्रह पाने की आदत हमें छोड़नी चाहिए और सीधे जनता के कल्पवृक्ष तक पहुँचने की तैयारी करनी चाहिए । जो पाना है वहीं से पाया जा सकता है । जन भावना जिस भी दिशा में मुड़ जाती है, उसमें सफलता सुनिश्चित ही हो जाती है ।

पेट भरने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता शिक्षा की ही रह जाती है । शरीर को जीवित रखने के लिए रोटी की और अंतःचेतना को सशक्त रखने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है । लोक-मानस ने शिक्षा का महत्व नहीं समझा और उसकी उपेक्षा की, अस्तु उसके साधन न जुट सके । यदि ज्ञान की भूख जागृत रहती और उसके लिए माँग उठती तो सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर उसका प्रबंध होकर ही रहता । एक बार यदि शिक्षा की प्रबल भूख जग पड़े तो समझना चाहिए कि साधन जुटने में अब कोई बहुत बड़ी कठिनाई शेष नहीं रह गई है ।

बच्चों की शिक्षा का प्रयत्न हो रहा है सो ठीक है, पर इतने भर से काम नहीं चल सकता । बच्चे दस-बीस वर्ष बाद समाज को प्रभावित करने की स्थिति में होंगे । समय जिस तेजी से बदल रहा है, उसे देखते हुए इतने समय तक हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता । वर्तमान पीढ़ी की, वर्तमान समय की, वर्तमान साधनों की उपेक्षा करके भविष्य की आशा लगाकर प्रतीक्षा नहीं की जा सकती । हमें अपनी ७० प्रतिशत जनता को साक्षर एवं शिक्षित बनाना पड़ेगा ताकि भौतिक और आत्मिक प्रगति के अवरुद्ध द्वार खुल सकें । इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा पर बाल शिक्षा से भी अधिक ध्यान देने की और अधिक बड़े प्रयास करने और साधन जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी । पुरुषों की शिक्षा का भी प्रबंध हो, पर स्त्री शिक्षा को तो और भी उत्साहवर्द्धक प्राथमिकता मिलनी चाहिए । दुर्बल और रुग्ण को सहारा देने की बात पहले सोची जाती है । स्त्री को शताब्दियों से पददलित किया गया और उसे दयनीय दुर्दशा के गर्त में धकेला गया है । समतल भूमि पर खड़े पुरुष को भी ऊँचा तो उठना चाहिए पर गड्ढे में गिरी नारी को उबारने का प्रयास उससे भी पहले होना चाहिए । प्रौढ़ स्त्री शिक्षा को हर दृष्टि से प्राथमिकता मिलनी चाहिए । हरिजनों की गिरी हुई स्थिति को देखते हुए संविधान शासन ने उन्हें कुछ विशेष रियायतें दी हैं, वैसी ही प्राथमिकता स्त्रियों को भी मिलनी चाहिए । हर दृष्टि से स्त्री शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न करना और उसके साधन जुटाना आज की स्थिति में नितांत आवश्यक है । इसकी पूर्ति के लिए पुरुष वर्ग को सहायता करनी चाहिए, पर नारी को तो इस दिशा में आतुरता-आकुलता ही प्रकट करनी चाहिए । इससे कम में उस आवश्यकता को पूरा न किया जा सकेगा, जिस पर समस्त मानव जाति का कल्याण केन्द्रित और आधारित है ।

भारतीय नारी को अपनी दयनीय स्थिति समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसे विश्व की भूतकालीन तथा आधुनिक प्रगतिशील महिलाओं के साथ अपनी तुलना करने का अवसर मिले । समुन्नत नारी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने समाज और अपने संसार के लिए कितनी श्रेयस्कर हो सकती है, इसका ज्ञान उसे अपने कूप-मंडूक जैसे छोटे से घेरे से बाहर की स्थिति को देखने-समझने से ही संभव हो सकता है ।

यह प्रयोजन शिक्षित हुए बिना और किसी भी तरह संभव नहीं हो सकता ।

इसी दृष्टि से महिला जागरण अभियान के अंतर्गत घर, गली, मोहल्लों एवं गाँवों में प्रौढ़ महिला पाठशालाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । महिलाओं को अपने बाल-बच्चे, घर-गृहस्थी और चौका-चूल्हा भी संभालना पड़ता है, इसलिए उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना स्वल्प समय के लिए ही संभव हो सकता है । आमतौर से यह समय मध्याह्नोत्तर दो से पाँच बजे का, लगभग तीन घंटे का ही होता है । इतना ही उन्हें अवकाश मिल सकता है । इतने में ही उनकी शिक्षा व्यवस्था चलनी है । यदि विद्यालय बहुत दूर होगा तो आने-जाने में ही सारा समय नष्ट हो जायगा । फिर सुरक्षा, किराया-भाड़ा आदि की समस्याएँ सामने आ सकती हैं । इसलिए समीपवर्ती स्थान ही उपयुक्त हो सकते हैं ।

इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर महिला जागरण शाखाएँ भी किसी पूरे नगर-कस्बे की नहीं बनाई जाती हैं । गली, मुहल्ले, गाँव की छोटी परिधि में ही शाखा-संगठन खड़े किये जाते हैं । बड़े नगरों में कई-कई शाखाएँ बना दी जाती हैं, ताकि मिलना-जुलना आसानी से संभव हो सके । बड़े उत्सव-आयोजनों में ही नगर की बड़ी शाखा में सब छोटी शाखाएँ सम्मिलित होती हैं । साधारणतया उनके कार्यक्रम अपने-अपने मुहल्ले में ही चलते रहते हैं । यही क्रम प्रौढ़ पाठशालाओं का भी चलेगा । किसी बड़े कस्बे या नगर की एक ही पाठशाला हो, ऐसा सोचना निरर्थक है । व्यवहारिक यही है कि प्रत्येक छोटे क्षेत्र की महिलाएँ अपनी-अपनी छोटी शाखा बनावें और छोटी प्रौढ़ पाठशाला चलायें । ऊँची शिक्षा की जब आवश्यकता पड़ेगी, तब तो अधिक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता पूरी कर सकने वाला बड़ा विद्यालय ही बनेगा, पर आरंभिक ढाँचे छोटे-छोटे क्षेत्रों में बँटकर ही खड़े किए जा सकते हैं । इन पाठशालाओं के खुलने का समय भी तीसरे पहर के तीन घंटे ही हो सकते हैं । दो से पाँच अथवा मौसम के अनुसार समय कुछ बदल कर भी रखा जा सकता है ।

पाठशाला चलाने के लिए कई कदम उठाने पड़ेंगे । यथा- (१) शिक्षार्थिनियाँ जुटाना, (२) स्थान का प्रबंध, (३) अध्यापिकाओं की व्यवस्था, (४) पाठ्य पद्धति का निर्धारण, (५) शिक्षा उपकरणों का एकत्रीकरण आदि । इस सबसे पहले हर किसी के मन में प्रौढ़ महिलाओं के

शिक्षण की उपयोगिता और आवश्यकता बिठाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली ऐसा प्रचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण आदि पर आधारित हो और हर किसी को वस्तुस्थिति समझने, स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सके । इसके लिए पर्चे, पोस्टर, विज्ञप्तियाँ आदि के छपे पत्रक बाँटने, बेचने, चिपकाने, पढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी । साथ ही प्रभावशाली नर-नारियों की ऐसी प्रचार टोलियाँ गठित करनी पड़ेंगी जो अभीष्ट प्रयोजन के लिए आवश्यक वातावरण बनाने में सफल हो सकें । उन्हें अपना कुछ समय नियमित रूप से जन संपर्क के लिए देना होगा ।

इस जन संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचार टोलियाँ अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर नारी शिक्षा का महत्व समझावेंगी और ऐसा वातावरण विनिर्मित करेंगी, जिसमें पढ़ने योग्य महिलायें शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकें । आज की स्थिति में सबसे बड़ी और सबसे पहली कठिनाई यही है कि शिक्षा का महत्व ही भुला दिया गया है । न स्त्रियाँ पढ़ने को तैयार होती हैं और न उनके घर वाले इसके लिए इजाजत देते हैं । इसे व्यर्थ का काम माना जाता है । प्रचार टोलियों को पहला सिर दर्द यही ओढ़ना होगा कि वे घर के पुरुषों को बड़ी-बूढ़ी महिलाओं को इजाजत देने के लिए और प्रौढ़ महिलाओं को पढ़ने के लिए तैयार कर सकें । पहिया लुढ़कने लगे तब तो एक की देखा-देखी दूसरी भी तैयार हो सकती हैं और फिर शिक्षार्थिनियों की कमी नहीं रह सकती । पर आरंभ में तो यह प्रथम सफलता प्राप्त करना ही कठिन पड़ेगा । इतना कर लिया गया तो समझना चाहिए कि आधी मंजिल पार हो गई ।

उपयुक्त स्थान तलाश करना दूसरा काम है । इसके लिए आरंभ में ही अपनी निज की इमारत बनाना या किराये का मकान लेना कठिन है । इसके लिए किसी का माँगा हुआ घर, कमरा, आँगन ही ढूँढ़ना पड़ेगा । दिन में लोग १० से ६ बजे तक दफ्तर एवं दुकानों पर चले जाते हैं और उनके कमरे खाली रहते हैं । अपने प्रौढ़ विद्यालय २ से ५ बजे तक ही चलते हैं । उस बीच खाली कमरे का फर्नीचर आदि एक ओर खिसका कर जगह बनाई जा सकती है और उतने में पाठशाला चल सकती है । पढ़ाई समाप्त होते ही उस कमरे की झाड़ू लगाकर चीजें यथा स्थान जमा दी जानी चाहिए ताकि किसी को शिकायत का अवसर न मिले । मंदिर, धर्मशाला, पुस्तकालय आदि सार्वजनिक स्थानों की

खाली जगह भी इस प्रयोजन के काम आ सकती है । प्रारंभ में स्थान की सुविधा ऐसे ही बिना खर्च की जगह तलाश करके जुटानी पड़ेगी ।

अध्यापिकाएँ भी वैतनिक रख सकना कठिन है । इसके लिए शिक्षित महिलाओं में सेवा भाव जगाना पड़ेगा और नियमित रूप से इस पुनीत कार्य के लिए कुछ समय देते रहने के लिए उन्हें तैयार करना पड़ेगा । स्कूल की अध्यापिकाएँ अपना बचा समय इसके लिए दे सकती हैं । घरों में भी पढ़ी-लिखी महिलाएँ होती ही हैं । २ से ५ तक का समय उनके पास भी अवकाश का रहता है, उनसे समय दान की याचना करना चाहिए । उनके घर वालों को इसके लिए आग्रह करना चाहिए । बूढ़े रिटायर पुरुष भी काम दे सकते हैं । शिक्षकों की व्यवस्था भी इसी प्रकार जुटानी पड़ेगी । यों शिक्षार्थियों से फीस और उदार व्यक्तियों से दान लेकर शिक्षिकाओं को कुछ जेब खर्च भी दिया जा सकता है । पर अच्छा तो यही है कि लोगों में सेवा बुद्धि जगे और सार्वजनिक कार्यों के लिए अभीष्ट मात्रा में श्रम दान उपलब्ध हो सके । नव-निर्माण की व्यापक योजनाओं का आधार यह स्वेच्छा, सहयोग, श्रमदान ही हो सकता है ।

पाठ्यक्रम के दो भाग हैं । एक साक्षरता वर्ग, जिसमें स्कूली शिक्षा के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पाँचवें दर्जे जितनी हो । यह उनके लिए है जिन्हें निरक्षर या स्वल्प शिक्षित कहना चाहिए । यह अनिवार्य वर्ग है । इसके लिए वही पाठ्यक्रम पर्याप्त है जो पाँचवें दर्जे तक स्थानीय स्कूलों में बालकों को पढ़ाया जाता है ।

इससे आगे का विशेष वर्ग है, जिसमें साहित्य और व्याकरण का समुचित ज्ञान कराने के साथ-साथ भूगोल, इतिहास, गणित, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र आदि सामान्य विषयों का समावेश करना पड़ेगा । जीवन जीने की कला, शिशु पालन, परिवार में भावनात्मक सद्भावनाएँ रखने वाला दृष्टिकोण, कुरीतियों एवं अंधविश्वासों से होने वाली हानियाँ, व्यक्ति का समग्र निर्माण, शिष्टाचार, स्वास्थ्य शिक्षा, परिचर्या एवं चिकित्सा, फर्स्टएड, पाक विद्या, गृह व्यवस्था एवं सुसज्जा, अर्थ संतुलन, टूट-फूट की मरम्मत, घरेलू शाक वाटिका, बही खाता, बैंक बीमा, रेल, डाकखाना आदि के नियम, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स दाखिल करने योग्य बही खाता, सामान्य कानूनी ज्ञान जैसे दैनिक जीवन में काम आने योग्य प्रायः सभी विषयों का समावेश करना होगा । इसे लगभग जूनियर हाईस्कूल,

आठवीं कक्षा के समतुल्य कहा जा सकता है । इन विषयों पर बाजार में मिलने वाली पुस्तकों से सहारा लेकर नोट लिखाये जा सकते हैं और प्रश्नोत्तर के रूप में वह प्रशिक्षण चलता रह सकता है ।

अभी इतना लक्ष्य लेकर चलना पर्याप्त होगा कि आठवीं कक्षा स्तर का उपरोक्त पाठ्यक्रम पढ़ाना ही प्रौढ़ शिक्षा योजना का लक्ष्य है । जहाँ अधिक पढ़ने का उत्साह हो, वहाँ प्रयाग महिला विद्यापीठ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति आदि के पाठ्यक्रमों को अपनाकर उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है ।

प्रस्तुत शिक्षा में संगीत और गृह उद्योगों का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए । सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खिलौना उद्योग, डबल रोटी, बिस्कुट, साबुन, मोमबत्ती जैसे अनेक गृहशिल्प स्थानीय सुविधा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चलाये जा सकते हैं । सिलाई को इन सबमें प्रथम एवं अनिवार्य स्थान मिलना चाहिए । टूट-फूट की मरम्मत और घरेलू शाक वाटिका लगाना भी अनिवार्य शिक्षा में ही सम्मिलित रखा जाय । संगीत के द्वारा भावनात्मक वातावरण बनता है, मनोरंजन होता है और प्रगतिशील विचारधारा को व्यापक बनाने में भारी योगदान मिलता है । हारमोनियम, ढोलक, ढपली, मजीरा, घुँघरू आदि बाजों पर कामचलाऊ सुगम संगीत की शिक्षा कुछ ही महीनों के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है । विचार व्यक्त करने का, भाषण का अभ्यास भी साथ-साथ चलता रहे ताकि परिवार में तथा समाज में बिना झिझक के उपयुक्त अवसर पर आवश्यक विचार व्यक्त कर सकने की क्षमता प्रत्येक नारी को उपलब्ध हो सके ।

शिक्षा को आरंभ में निःशुल्क रखा जाना चाहिए । किन्तु खर्च की जरूरत तो पड़ेगी ही । इसकी पूर्ति के लिए उदार व्यक्तियों से अर्थ सहायता ली जानी चाहिए । मासिक एवं विशेष सहायता देने वाले भावनाशील व्यक्तियों का द्वार खटखटाया जाना चाहिए । ज्ञानघटों की स्थापना भी की जा सकती है, जिनमें नित्य कुछ पैसे या अन्न डाला जा सके और उसे संग्रह करके खर्च चलाया जा सके । दूसरे अन्य साधन भी, जो संभव हों उन्हें ढूँढ़ा जाना चाहिए ताकि आर्थिक आधार सुदृढ़ होने पर आवश्यक शिक्षा उपकरण जुटाये जा सकें । सिलाई की मशीनें, संगीत के लिए वाद्य यंत्र, पुस्तकें, नक्शे,

ब्लैक बोर्ड, बैठने की चटाइयाँ, घड़ी, फर्स्टएड उपकरण, शाक वाटिका साधन, आदि कितने ही उपकरण अनिवार्य रूप से आवश्यक होंगे । इन्हें आरंभ में ही जुटाना पड़ेगा । अस्तु, अर्थ साधन जुटाने की बात भी इस योजना को हाथ में लेते समय ही ध्यान में रखी जानी चाहिए । इन कार्यों में प्रारंभ में पुरुष वर्ग के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है । उन्हें उनका कर्तव्य बोध कराकर इस संदर्भ में उससे पर्याप्त सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ।

तीसरे प्रहर का समय उत्कर्ष प्रयोजनों में लगाएँ

देखने वालों को लगता होगा कि स्त्रियाँ खाली बैठी रहती हैं या हल्के-फुल्के छुट-पुट कार्य करती रहती हैं । पर उनके साथ रह कर देखा जाय, तो पता चलेगा कि छोटे और थोड़े दीखने वाले कामों के पीछे भी कितनी सतर्कता, कितनी उठक-पटक और कितनी जिम्मेदारी जुड़ी रहती है । यदि उन्हें नियत समय पर, नियत क्रम से, कुशलता पूर्वक न किया जाय तो उतने भर से बेतरह गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है । काम देखने में हल्के और थोड़े दीखते हैं पर उनकी इतनी शाखा-प्रशाखाएँ होती हैं कि उन्हीं को सम्भालने-निपटाने में सारा दिन बीत जाता है । रात को देर से सोना और प्रातः जल्दी उठने पर भी दिन में भी कभी ही विश्राम का अवसर मिल पाता है । एक के बाद दूसरे काम को निपटाने की चिंता में एक सुगृहणी को कदाचित् ही कुछ फुरसत मिल पाती है । यह सब होते हुए भी उसे अपने और परिवार समाज के अभिनव उत्कर्ष की ओर ध्यान देना ही होगा और कुछ समय इस पुण्य प्रयोजन के लिए भी निकालना ही होगा ।

चौबीस घंटे की व्यस्तता में से तीसरे प्रहर दो से पाँच तक प्रायः तीन घंटे की हल्की सी जो सुविधा मिलती है, उसी का उपयोग नारी उत्कर्ष अभियान में किया जा सकता है । सोचा भी यही गया है । इसी आधार पर सारी योजना बनाई गई है कि सामान्य महिलाएँ उतना ही समय इस प्रयोजन के लिए दे पायेंगी । जिनके काम दूसरी सम्भाल लेती हैं, बच्चों से निवृत्ति हो गई है घर के उत्तरदायित्व नहीं हैं, ऐसी महिलाएँ अधिक समय दे सकती हैं । उनसे वैसी ही अपेक्षा की गई है । व्यर्थ में समय नष्ट करने की अपेक्षा यदि वे

नारी जागरण की दिशा में मुड़ पड़ें, तो आत्म संतोष का लाभ वे तत्काल प्राप्त करेंगी और उस सेवा साधना के संपर्क में आने वाली महिलाओं का ही नहीं, परोक्ष रूप से समूची मानव जाति का, समस्त संसार का हित साधन होगा। ऐसी सेवा साधना ईश्वर की सच्ची भक्ति है। उससे बढ़कर कथा-कीर्तन, पूजा-भजन, स्नान-ध्यान जैसे धार्मिक कर्मकांड भी नहीं हो सकते हैं। जिनके ऊपर गृहस्थ की जिम्मेदारी नहीं है, वे कुमारिकाएँ, विधवाएँ, परित्यक्ताएँ, संतान रहित अथवा निवृत्त महिलाएँ तो अपने लिए सर्वोत्तम कार्य नारी जागरण में तन्मय हो जाना ही बना सकती हैं।

जिन्हें नित्य घर से बाहर जाने का अवकाश या अवसर नहीं मिलता, उन्हें सप्ताह में एक दिन सत्संग में सम्मिलित होने की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। इसके लिए अपने क्षेत्र की हर महिला से महिलाओं को और हर पुरुष से पुरुषों को संपर्क स्थापित करना चाहिए। पुरुषों को कहा जाना चाहिए कि वे घर की महिलाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करें कि वे सत्संगों में जाया करें। महिलाओं से कहा जाय कि वे नवीन, मनोरंजक, उत्सावर्द्धक एवं लाभदायक इस अवसर का लाभ उठाया करें। घर में कई महिलाएँ होती हैं, वे बारी-बारी भी जाती रह सकती हैं। दूसरों को प्रभावित करने की स्थिति न हो, तो स्वयं कुछ पाने के लिए अपनी उपस्थिति से अन्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इन सत्संगों में जाने को उपयोगिता समझाएँ।

पुरुषों को इकट्ठे होने का, परस्पर विचार विनिमय करने का अवसर मिलता है और वे उस आदान-प्रदान से लाभान्वित होते रहते हैं। पर अपने देश की स्त्रियों की स्थिति विचित्र है। उनमें से अधिकांश को अपने-अपने पिंजड़ों में कैद रहना पड़ता है। खुली हवा और रोशनी से वंचित रहने की तरह वे जीवनोपयोगी विचारधारा से भी अछूती बनी रहती हैं। सड़ी-गली मान्यताएँ ही उनके गले बँधी रहती हैं। विचार विनिमय का अवसर न मिलने से उनका मनःसंस्थान इतना विकसित नहीं हो पाता, जिसके सहारे वे आत्म-निर्माण और परिवार निर्माण के उत्तरदायित्व को वहन कर सकें। अपने सत्संगों को पूजा-पाठ का ढकोसला नहीं समझा जाना चाहिए। उनका बाह्य स्वरूप तो धार्मिक ही रखा गया है, पर पीछे उन सभी प्रेरणाओं की परिपूर्ण व्यवस्था जोड़ रखी गयी है, जो नारी के स्तर को अनवरत रूप से सुविकसित,

सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील बना सकने में समर्थ हो सकें।

जहाँ थोड़ा अधिक उत्साह हो, कुछ महिलाएँ सर्वथा पराधीन न हों, कुछ करने की इच्छा हो, यदि आसानी से कर सकती हों, तो उन्हें अपने घर में पारिवारिक आयोजन बुलाने का साहस जुटाना चाहिए। जन्म दिन, बच्चों के पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ संस्कार, कोई पर्व-त्यौहार, सत्यनारायण कथा जैसे अनेक अवसर सामने आते ही रहते हैं जिनके बहाने मुहल्ले, पड़ोस, परिचय संबंध-संपर्क की महिलाओं को घर पर आमंत्रित किया जा सके और एक उत्साह भरे आनंद का रसास्वादन किया जा सके। ऐसे अवसर प्राप्त करने के लिए अक्सर लोग किन्हीं धार्मिक कर्मकांडों के बहाने घर पर मित्रों को प्रीतिभोज देते और बहुत सा पैसा खर्च करते हैं। विवाह-शादी आदि अवसरों पर जो लंबी-चौड़ी दावतें होती हैं, उनके पीछे भी मित्रों को घर बुलाने का आनंद लेना भी एक बड़ा कारण होता है। यह आनंद नाम मात्र के खर्च में अपने घरों पर लिया जा सकता है। उपर्युक्त माध्यमों से बुलाये जा सकने वाले समारोह इसी भावनात्मक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

यह आयोजन घर के वातावरण को बदलने में, प्रतिगामिता के स्थान पर प्रगतिशीलता स्थापित करने में कितने अधिक सहायक होते हैं, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहीं भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। प्रगतिशीलता की हवा भी होती है और छूत भी। वह जहाँ पहुँचती है वहाँ अपना प्रभाव छोड़ती है और जड़ जमाती है। जिनके लिए भी संभव हो, उन्हें घर पर ऐसे आयोजन बुलाने चाहिए। शाखा संचालिका से कहने पर वे उस प्रकार का प्रबंध प्रसन्नतापूर्वक कर देंगी। हवन, आतिथ्य, प्रसाद आदि में कुल मिलाकर पाँच, दस रुपये का ही खर्च पड़ता है किन्तु आनंद और सत्परिणाम इतना अधिक मिलता है, जिसकी तुलना में इसके लिए पड़ोसियों को बुलाने में जो माथा-पच्ची की गई थी, वह पूरी सार्थक हो जाती है। तीसरे प्रहर के समय का सदुपयोग करने का एक उत्साहवर्द्धक उपयोग यह भी है कि जिन्हें जब भी अवसर मिले, वे अपने परिवार में इस प्रकार के आयोजन बुलाने की दौड़-धूप एवं तैयारी में उस समय का उपयोग कर लें।

जिन्हें उपर्युक्त कामों में से किसी के लिए भी समय न मिले, उन्हें भी इतना तो करना ही चाहिए कि महिला जागरण के लिए प्रकाशित साहित्य को अपने

शाखा पुस्तकालय से मँगाकर पढ़ा करें और दूसरी बिना पढ़ी घर की महिलाओं को उसे पढ़कर सुनाया करें । यदि स्वयं बिना पढ़ी हों तो किसी पढ़ी-लिखी सहेली लड़के-लड़की से पढ़वा कर सुनें । उपर्युक्त विचारों को हृदयंगम करके हर महिला स्वयं को नवयुग के अनुरूप विकसित कर सकती है ।

महिला जागरण के संदर्भ में युग निर्माण योजना, मथुरा से प्रकाशित साहित्य को घर-घर पहुँचाकर उससे पत्राचार पाठ्यक्रम जैसा लाभ सहज ही उठाया जा सकता है । विदेशों में पत्र व्यवहार स्कूल बहुत हैं । विभिन्न विषयों की घर बैठे शिक्षा देने का यह उपयुक्त मार्ग है । जिन्हें स्कूल में नियत समय पर चलने वाली नियमित कक्षाओं में पहुँचने के लिए अवकाश नहीं है वे उस पढ़ाई का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं । इस कठिनाई को हल करने के लिए पत्र व्यवहार विद्यालयों की विधि-व्यवस्था बनाई गई है । जो पाठ कक्षाओं में मौखिक रूप से पढ़ाये जाते हैं, उन्हें लिखकर छाप दिया जाता है और उन छात्रों के पास भेज दिया जाता है जो घर पर अपनी सुविधा का समय निकाल कर अमुक कक्षा का निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं ।

इस प्रकार पाठ घर बैठे पहुँचते रहते हैं, छात्र अपनी सुविधा के समय उनका अध्ययन करते रहते हैं । समझ में न आई हुई बात विद्यार्थी अपने विषय के अध्यापक से पत्र लिखकर पूछ सकते हैं और उत्तर में समाधान पा सकते हैं । इसी प्रकार अध्यापक लोग भी इन छात्रों से उनके अध्ययन क्रम की पत्र द्वारा ही जाँच करते हैं । पूछे गए प्रश्नों का उत्तर छात्रों को देना पड़ता है, फिर उनके सही या गलत होने की जानकारी छात्रों को मिल जाती है तथा आगे के परामर्श भी उन्हें मिल जाते हैं । यह पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम स्कूलों में नियमित चलने वाली शिक्षाओं जितने कारगर तो नहीं हैं फिर भी जिन्हें भरती होने और विधिवत् पढ़ने की सुविधा नहीं है, उनके लिए यह पद्धति भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है ।

महिला जागरण अभियान का कार्यक्षेत्र बहुत विशाल है । उसके श्रीगणेश में शाखा संगठन, साप्ताहिक सत्संग संस्कारों की परिवार गोष्ठियाँ, सम्मेलन, आयोजन, प्रौढ़ पाठशाला जैसे छोटे कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया है । यह शुभारंभ है । इन माध्यमों में थोड़ी सी जन-शक्ति और साधन-शक्ति जुटती है फिर परिवार संस्था के नव निर्माण की मुहिम सँभाल ली जायेगी । वस्तुतः इस अभियान का प्रधान लक्ष्य परिवार संस्था को इतनी

परिष्कृत करना है, जिससे यह नर-रत्न उत्पन्न करने वाली खदान का रूप धारण कर सके । काम-काजी पुरुषों को भी चौबीस घंटे का आधे से अधिक समय घर में बिताना पड़ता है । यह गृह संस्था अधिक भाग घर में और कम भाग बाहर बाजार में यदि सुसंस्कृत वातावरण में संपन्न हो तो उसमें रहने का समय होटलों, क्लबों, सिनेमाघरों, पिकनिकों, सैर-सपाटों और यारवाशी में भटकने की अपेक्षा कहीं अधिक हर्षोल्लास के साथ बिताया जा सकता है । इतना ही नहीं परिष्कृत परिवार संस्था में निवास, निर्वाह करने वाला प्रत्येक सदस्य सर्वतोमुखी प्रगति कर सकने में समर्थ प्रखर व्यक्तित्व उपलब्ध कर सकता है ।

व्यक्ति निर्माण के लिए धर्म, अध्यात्म, नीति दर्शन का विशालकाय ढाँचा खड़ा किया गया है । समाज निर्माण के लिए शासन सत्ता, उद्योग व्यवसाय, साहित्य, कला, विज्ञान के अनेक आधार मौजूद हैं । दोनों का मध्यवर्ती परिवार निर्माण इन दोनों का जीवन प्राण है पर इन दिनों इसकी दुर्गति हो रही है । महिला जागरण का कार्यक्षेत्र यही है । इसलिए उसे उसके समकक्ष अनेकानेक छोटे-बड़े आंदोलनों, संस्थानों की तुलना में हजारों-लाखों गुना अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए ।

परिवार संस्था के अंतर्गत केवल इतना ही नहीं है जितना तथाकथित होमसाइन्स के अंतर्गत स्कूल-कालेजों में पढ़ाया जाता है । वह मात्र घर के स्कूल का व्याकरण है । गृह विज्ञान का परिवार परिष्कार का क्षेत्र बहुत बड़ा है । उसमें न केवल उस सहकारी समिति का व्यवहार एवं भावनात्मक सुसंचालन आता है वरन् व्यक्ति और समाज को प्रभावित करने वाली अन्यान्य धाराएँ भी सूत्र रूप में जुड़ी हुई हैं । हृदय का स्पंदन मस्तिष्क से लेकर बाहुबल तक के शरीर की असंख्य गतिविधियों को प्रभावित करता है, ठीक इसी तरह परिवार के साथ जुड़ी हुई शिराएँ समूचे मानव समाज को प्रभावित करती हैं ।

परिवार निर्माण का अपना लक्ष्य हृदय केन्द्र कहा जा सकता है । उसकी असंख्य शिराएँ और नस-नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं । हमें इन सबका ध्यान रखना होगा और परिवार निर्माण के अंतर्गत वह सब कुछ सीखना, सँभालना, बदलना, सुधारना और बनाना पड़ेगा जिसके आधार पर टूट-फूट की मरम्मत और नये पुर्जे बदलने का आद्योपांत पुनर्निमाण संभव हो सके । यह सब कैसे

होना चाहिए ? इसे कार्य रूप देने से पहले उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने और उसे जन मानस में उतारने का प्रबल प्रयत्न करना होगा । क्रमिक विकास सिद्धांत के अनुसार आरंभ में हम यही कर रहे हैं । यहीं से अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं । लोक शिक्षण के लिए लेखनी, वाणी और कला के तीनों पक्ष साथ-साथ लेकर चला जा रहा है । रचनात्मक और सुधारात्मक कार्य भी धीरे-धीरे गति पकड़ते चले जा रहे हैं ।

परिवार संस्था का पुनर्निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ा शासन है । आपके साथ अनेकानेक समस्याएँ जुड़ी हुई हैं और वे सभी आज की स्थिति के अनुरूप समाधान चाहती हैं । यह समाधान आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है । इसे पूरा करने के लिए वह करना पड़ेगा जो चिरपुरातन होने के साथ-साथ चिर नवीन भी कहा जा सके । चिर पुरातन इसलिए कि ऋषि प्रणीत दिव्य दर्शन द्वारा इंगित दिशा में चलने में कहीं भटक न जाय । चिर नवीन इसलिए कि हर युग के हर समय की अपनी स्थिति, अपनी उलझन और अपनी आवश्यकता होती है । उसे ध्यान में रखे बिना भूतकाल की किसी लकीर पीट देने से कभी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । अस्तु परिवार संस्था को सुविकसित बनाने के लिए भी पुरातन आदर्श नवीन व्यवहार का समन्वय करते हुए प्रशिक्षण का ढांचा खड़ा करना पड़ेगा । ऐसा पाठ्यक्रम स्वल्प-संक्षिप्त सूत्र रूप में भी हो तो सकता है, पर उसे बदली परिस्थितियों के कारण तर्क और तथ्य शैली से समझाना और प्रतिकूलता को अनुकूलता बना सकने जितनी गहराई तक उतारना काफी कठिन काम है । इसलिए विस्तार में ही जाना पड़ेगा, कुछ अधिक ही लिखना, छापना पड़ेगा । परिवार निर्माण का प्रशिक्षण बहुत कोशिश करने पर भी संक्षिप्त न रह सकेगा । जो हो उसे लिखने का प्रयत्न चल पड़ा है और वह क्रम देर तक चलता रहेगा । समस्याओं का सांगोपांग हल प्रस्तुत करने तक यह सृजन जारी ही रहने वाला है । लेखन और प्रकाशन की गति अभी साधनों के अभाव से मंद है किन्तु आशा की जानी चाहिए कि उसमें तीव्रता आयेगी । और समय की आवश्यकता को पूरा कर सकने में हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करेंगे ।

बात आगे की वह है जो परिजनों को पूरी करनी है । युग निर्माण योजना, मथुरा के परिवार निर्माण के लिए प्रस्तुत साहित्य को विशुद्ध

पाठ्यक्रम माना जाय और उसे विचारशील वर्ग तक पहुँचाने के लिए माध्यम की भूमिका निबाही जाय । इसके लिए आवश्यक है कि हर जगह चल-पुस्तकालय स्थापित हों । स्थिर पुस्तकालय इस आवश्यकता की पूर्ति बहुत हद तक नहीं कर सकते । पुस्तकें जहाँ की तहाँ बैठी रहती हैं । पढ़ने वाले गिने-चुने ऐसे लोग जाते हैं जिनके पास फुरसत होती है और साथ ही पढ़ने का शौक भी । इन शौकीन पढ़ाकू लोगों में अधिकांश लोग उथली मनोरंजक, उत्तेजक चीजें पढ़ते हैं । आमतौर से उन्हीं की माँग रहती है । किसी भी पुस्तकालय अधिकारी से पूछा जा सकता है कि आपके पाठक क्या पढ़ते और क्या माँगते हैं ? वे लज्जा से अपना सिर झुकाये हुए निरुत्तर मिलेंगे । ऐसे पुस्तकालय कम हैं जिनमें प्रेरणाप्रद, आदर्शवादी साहित्य माँगने वालों की बहुलता रहती हो । अच्छी पुस्तकें तो जहाँ की तहाँ जड़वत् बैठी रहती हैं । निजी रूप से उन्हें खरीदकर पढ़ने वाले तो बिरले ही होते हैं, इसलिए प्रकाशक उस हानिकारक क्षेत्र में हाथ भी नहीं डालते और वही छापते हैं जिसकी माँग होती है ।

ऐसी दशा में चल पुस्तकालय ही एकमात्र वह तरीका है जिसे अपनाकर घर-घर पहुँचा जा सकता है और जहाँ भी छोटी परिष्कृत अभिरुचि हो वहाँ घर बैठे उसे बढ़ावा दिया जा सकता है । अपने देश में एक तो वैसे ही शिक्षा की कमी है, जो पढ़े हैं उनमें भी अध्ययनशील कम हैं । जो पढ़ते हैं वे बेतुका पढ़ते हैं । ऐसी दशा में शिक्षितों की सुरुचि जगाना पहला काम है अन्यथा लोकमंगल के लिए प्रस्तुत किया गया साहित्य भी ज्यों-त्यों सड़ता रहेगा और उसका कोई उत्साहवर्द्धक उपयोग न हो सकेगा ।

हम लोग मिल-जुलकर काम करें तो पुस्तकालय के रूप में महिला जागरण अभियान के अंतर्गत परिवार निर्माण की प्रशिक्षण प्रक्रिया आसानी से चल सकती है । यह विषय विशेषतया महिलाओं का है अस्तु, शिक्षित स्त्रियों की सूची बनाना, उन तक पुस्तकें पहुँचाना और वापस लाना चल पुस्तकालय का यही स्वरूप हो सकता है । इसके लिए एक सेवाभावी स्वयंसेविका की आवश्यकता पड़ेगी जो संकोच और आलस्य छोड़कर कार्य को उत्साहपूर्वक संपन्न करती रहे । पुस्तकालय एक जगह रहे । सदस्याएं साप्ताहिक सत्संग वाले दिन अपनी पसंदगी की पुस्तकें स्वयं ले जाया करें और पिछली वापस

कर जाया करें । घर पर तो उनके जाना है जो दूर रहती हैं, सदस्याएँ नहीं हैं एवं परिस्थितिवश आने-जाने में विवश हैं ।

कन्या पाठशालाओं की अध्यापिकाओं, बड़ी आयु की छात्राओं को यह पढ़ाने का क्रम बनाया जा सकता है । खोजबीन की जाय तो अपने नगर में ही ढेरों शिक्षित महिलाएँ ऐसी मिल जायेंगी जिनको रुचि तो है पर काम की कोई चीज दीखती नहीं । इनकी आवश्यकता पूरी करने में अपने पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । यों इसे पढ़ने में प्रतिबंध तो किसी पर भी नहीं है, पुरुष भी उनसे उतने ही लाभान्वित हो सकते हैं जितनी महिलाएँ । परिवार निर्माण में महिलाओं की भूमिका प्रधान तो रहती है पर सहयोग तो पुरुष का भी रहना ही चाहिए, इस दृष्टि से जो महिलाएँ इस साहित्य को पढ़ें वे घर की महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी पढ़ने का आग्रह किया करें तो प्रशिक्षण की सर्वतोमुखी सार्थकता सिद्ध हो सकती है ।

युग निर्माण योजना, मथुरा का परिवार निर्माण साहित्य लेखन और प्रकाशन एक प्रकार से अधिकारी, प्राध्यापक द्वारा खोजपूर्ण चिंतन, मंथन और अनुभव पूर्ण पाठ्यक्रम कहा जा सकता है । पत्राचार विद्यालय के छात्रों की तरह लाखों-करोड़ों नर-नारियों को नियमित छात्र मान कर उसकी पाठन व्यवस्था बनाई जानी चाहिए । इसका एक मात्र स्वरूप चल पुस्तकालय ही है । पत्र व्यवहार विद्यालय में हर छात्र को तगड़ी फीस देनी पड़ती है पर अपने सभी छात्रों तक यह प्रशिक्षण नि:शुल्क ही पहुँचाया जाना है । यह कार्य स्वयंसेवक स्तर पर ही हो सकता है । अपनी शाखाएँ इस कार्य को आसानी से पूरा कर सकती हैं । प्रत्येक सदस्य एवं सहयोगी अपने-अपने संपर्क क्षेत्र में कुछ समय निकाल कर झोला पुस्तकालय चलाया करें और देने तथा वापस लाने का कार्य स्वयं किया करें । यह व्यक्तिगत कार्यक्रम सामूहिक चल पुस्तकालय इसी प्रकार बनेगा कि शाखा कार्यालय में पुस्तकालय रहे । हर सदस्य अपने संपर्क क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों से संपर्क स्थापित करके यह साहित्य पढ़ने के लिए सहमत करे । इन सहमत लोगों के घरों पर पुस्तकें नियमित रूप से पहुँचती और वापस आती रहें तो समझना चाहिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्राचार विद्यालय चल पड़ा और इस प्रशिक्षण से सहस्रों पाठकों को, छात्रों को अग्रगामी सत्परिणाम उपलब्ध होने की संभावना बन गई ।

जिन्होंने इन विचारों का अध्ययन किया है उनके द्वारा सामान्य चर्चाओं के क्रम से भी यह लाभ महिलाओं को दिया जा सकता है । सामान्यतया फुरसत के वक्त अपनी-पराई, यहाँ की-वहाँ की चर्चा चल पड़ती है । प्राय: तीसरे प्रहर घर-बाहर की महिलायें और अपने पड़ोस के घर मिल बैठती हैं और घर के संपर्क क्षेत्र के समाचार प्रसंगों से एक दूसरे को परिचित कराती हैं और उस पर अपने अपने अभिमत व्यक्त करती हैं । मुँह पर तालाबंदी और शरीर की कोल्हू जोतन जब थोड़ी ढीली पड़ती है तो जी हल्का करने के लिए यह चर्चा ही किसी कदर सहायता करती है ।

इस प्रचलन को रोकने की आवश्यकता नहीं है, वरन् उसे व्यवस्थित और परिष्कृत करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । चर्चा को अप्रासंगिक, निरर्थक और निंदा, चुगली भरी न बनने दिया जाय, अन्यथा यहाँ की वहाँ पहुँचती है और खीज, असंतोष, द्वेष, मनोमालिन्य जैसी प्रतिक्रिया होती है और इस मिलने-जुलने की छूट पर प्रतिबंध लग जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि यह चर्चा-प्रसंग क्रमबद्ध और उपयोगी बन जाय, उससे मनोरंजन भी हो और लाभान्वित होने का अवसर भी मिले ।

कुशल महिलायें तीसरे प्रहर ऐसी गोष्ठियाँ अपने घरों पर लगाकर पड़ोसवालियों को बुला सकती हैं, अथवा स्वयं उनके यहाँ जा सकती हैं । यह मिलन अदल-बदल कर घरों पर भी होता रह सकता है । इसमें एक-दो नई कहानियाँ हर दिन सुनाई जाया करें । उन्हें सुनने वाली अपने-अपने घरों पर रात्रि को सुनाया करें । इसे बच्चे-बड़े सभी रुचिपूर्वक सुनते हैं । यदि यह कहानियाँ सारगर्भित, नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता एवं व्यवहार ज्ञान को बढ़ाने वाली होंगी तो उनका प्रभाव सभी सुनने वालों पर पड़ेगा और मानसिक स्तर को परिष्कृत करने में सहायता मिलेगी ।

स्वास्थ्य रक्षा, पाक विद्या, चिकित्सा, स्वच्छता, व्यवस्था, गृह सज्जा, शाक वाटिका, टूट-फूट की मरम्मत, परिचर्या, चिकित्सा, अर्थ संतुलन, गृह-उद्योग, शिष्टाचार, लोक व्यवहार, शिशु पालन, स्वभाव-निर्माण, मैत्री अभिवर्द्धन, भावात्मक एकता, दांपत्य जीवन आदि घर की सीमा के भीतर सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में उपयोगी जानकारी का आदान-प्रदान इस चर्चा का विषय हो सकता है ।

सामाजिक कुरीतियाँ किस कदर व्यक्ति, परिवार और समाज का सर्वनाश करती हैं । उन्हें मूढ़तावश छाती से चिपकाये रहने वाले लोग किस तरह अपना और समाज का अहित करते हैं, यह चर्चा का खुला विषय हो सकता है । मूढ़ मान्यताएँ, अंधविश्वास भरी मान्यताएँ कितने भ्रम जंजाल खड़े करती हैं और उसमें उलझ कर कितनी भयंकर हानियाँ उठानी पड़ती हैं इस पर चर्चा चल पड़े तो उससे अंधकार के भटकाव में नया प्रकाश उत्पन्न होगा । रहन-सहन में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, दिनचर्या में, रसोई घर में नये सुधार की आवश्यकता अनुभव कराई जा सके तो नये परिवर्तन उत्पन्न होंगे और जो काम लंबे-चौड़े भाषणों से नहीं बनते वे इस चर्चा प्रसंग से संभव हो सकते हैं । व्यक्तिगत विचार-विनिमय का प्रभाव आम भाषणों की अपेक्षा इसलिए अधिक पड़ता है कि उससे शंका समाधान और व्यक्तिगत स्थिति के अनुरूप समझने-समझाने का आधार बना रहता है । अस्तु इसी निष्कर्ष पर पहुँचने की गुंजायश रहती है, साथ ही यह भी विदित होता है कि कुछ परिवर्तन करना हो तो उसका उपाय क्या हो सकता है । फिर बदले में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका स्वरूप और निराकरण भाषणों से नहीं होता पर व्यक्तिगत चर्चा में अलग परिस्थितियों के अलग समाधान उपलब्ध किए जा सकते हैं ।

तीसरे प्रहर के अवकाश का समय नारी जागरण के लिए लगे इसका प्रत्येक समाज सेवी को प्रयत्न करना चाहिए । इन प्रचलनों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए हम सब यदि तत्परता पूर्वक प्रयत्न करें तो इन छोटे प्रयासों का कितना उत्साहवर्द्धक प्रतिफल सामने आता है इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है ।

प्रबल प्रचार तंत्र की आवश्यकता

नारी जागरण की उपेक्षित समस्याओं को सर्वोपरि प्रधानता दिलाने के लिए प्रचार अभियान की मोर्चाबंदी कुशलतापूर्वक करनी होगी । लेखनी, वाणी, दृश्य तथा रचनात्मक कार्यक्रमों के चार आधार लेकर किसी भी संदर्भ में लोकमत जगाया जाता है । इन्हीं साधनों को नारी समस्या के संबंध में लोक चेतना उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त करना पड़ेगा ।

लेखनी का तात्पर्य इन दिनों प्रेस और प्रकाशन से है । इस संदर्भ में पहला

स्थान पत्र-पत्रिकाओं का आता है । अपने देश में सभी भाषाओं में मिलाकर मासिक से लेकर दैनिक तक प्राय: सात हजार अखबार निकलते हैं । इनके पाठक अनुमानत: दो करोड़ हो सकते हैं । एक महीने के अंदर इतने बड़े शिक्षित जन समूह को नयी चेतना देने के लिए इनका सहारा लिया जा सकता है । नारी समस्या सुलझाने का विरोधी इनमें से एक भी नहीं । अधिक से अधिक उनमें से कुछ पर उपेक्षा का दोष लगाया जा सकता है । कुछ तो बहुत उत्सुक हैं और उत्साही भी । इन पत्रों के दृष्टिकोण से तालमेल बिठाते हुए यदि प्रौढ़ लेख लिखे जायें और प्रकाशनार्थ भेजे जाँय तो इनमें से कदाचित् ही कोई अस्वीकार करेगा । देश में १४ भाषाएँ राजकीय मान्यता प्राप्त हैं । इन सभी में लेख लिखने और छपने का प्रबंध सुनियोजित ढंग से किया जाना चाहिए ।

सात हजार पत्रों में आधे दैनिक, साप्ताहिक हैं और आधे मासिक । औसत हर महीने दो लेख छपने की बात सोची जा सकती है । इस प्रकार कुल १४००० लेखों की जरूरत पड़ा करेगी । कुशल लेखक अपने निजी कार्यों का निर्वाह करते हुए भी सप्ताह में दो लेख लिख सकते हैं । इस प्रकार महीने में आठ लेख हुए । १४ हजार लेखों के लिए अधिक से अधिक दो हजार ऐसे लेखक चाहिए जो इस कला के निष्णात भी हों और नियमित रूप से प्रस्तुत प्रयोजन के लिए बिना आलस्य-उपेक्षा के श्रमदान करते रहने का संकल्प निबाहने में चूक न करें । उनमें अपने देश-समाज के लिए कुछ दर्द न हो ऐसी बात नहीं है । हमें उनसे संपर्क बनाना होगा और आग्रहपूर्वक इस दिशा में मिशनरी भावना से कुछ करते रहने के लिए आग्रह करना होगा । उदीयमान प्रतिभावानों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा सकता है । इस दिशा में तत्परतापूर्वक प्रयास किया जाय तो कोई कारण नहीं कि दो हजार लेखक प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा न किया जा सके, सात हजार पत्र संचालकों को सहमत न किया जा सके । ऐसा हो सका तो दो करोड़ शिक्षित जनता को, पत्र पाठकों को नियमित रूप से प्रेरणा दी जा सकती है और इस प्रकार अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बहुत हद तक सफलता मिल सकती है ।

लेखनी के क्षेत्र में अगला कदम है, प्रचार साहित्य और स्थायी साहित्य का प्रचुर परिमाण में निर्माण । प्रचार साहित्य से मतलब है-पुस्तिकाएँ, पर्चे,

ट्रेक्ट, पोस्टर, फोल्डर आदि स्वल्प मूल्य में बेचे जाने योग्य अथवा वितरण किए जाने योग्य अत्यंत सस्ती पाठ्य सामग्री का निर्माण । आवश्यकता है अनेक समस्याओं पर प्रकार डालने वाला अत्यंत सस्ता किन्तु साथ ही अत्यंत सुंदर और सारगर्भित साहित्य बड़े पैमाने पर छापा जाय और प्रयत्न यह किया जाय कि हर महीने उसकी लाखों प्रतियाँ देश के कोने-कोने में पहुँचती रहें । शिक्षित लोग उन्हें पढ़कर और अशिक्षित सुनकर लाभ उठा सकें । शांतिकुंज, हरिद्वार और युग निर्माण योजना, मथुरा द्वारा इस प्रकार का सस्ते मूल्य का साहित्य छापा भी गया है ।

बड़ी पुस्तकों से मतलब है नारी समस्या के विभिन्न पक्षों पर विवेचनात्मक प्रकाश डालने वाला खोजपूर्ण साहित्य । विज्ञ पाठकों द्वारा अपनाये जाने योग्य और पुस्तकालयों में रखे जाने योग्य स्तर का यह साहित्य होना चाहिए । महिला जागरण शाखाएँ अगले दिनों अपने चलते-फिरते पुस्तकालय अनिवार्य रूप से स्थापित करेंगी और उसके लिए नियमित रूप से पुस्तकें खरीदने का फंड रखेंगी । प्रकाशित पुस्तकें उनमें खपती रह सकती हैं । छोटे-बड़े बुकसेलरों और हाट, बाजार, मेले, नुमायशों में फेरी लगाने वाले पुस्तक विक्रेताओं को इस प्रकार का साहित्य बेचने में विशेष रुचि लेने के लिए कहा जा सकता है । स्कूली पुस्तकें बेचने वाले ऐसा साहित्य रखें तो छात्र और छात्राओं को प्रकाश मिलने में बड़ी सहायता मिल सकती है । इस प्रकार का प्रकाशन संभवतः अधिक आर्थिक लाभ न दे सकेगा, क्योंकि यदि प्रचार का उद्देश्य ध्यान में रखना है तो आज जिस स्तर का बढ़ा-चढ़ा मूल्य रखा जाता है वैसा न रखा जा सकेगा और न उतना कमीशन ही विक्रेताओं को दिया जा सकेगा, जितना आजकल मिलने लगा है । इसलिए व्यापक विस्तार की दृष्टिगत रखना हो तो अपना प्रकाशन और विक्रय तंत्र स्वतंत्र रूप से खड़ा करना होगा । इसके लिए सहकारी समितियाँ, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट आदि स्तर के ढाँचे बनाकर पूँजी जमा करने और उसे उपरोक्त व्यवसाय में लगाने के लिए कदम बढ़ाने का प्रयास करना होगा । कुछ विचारशील प्रकाशक एवं विक्रेता भी सहयोग दे सकते हैं । उनके थोड़े सहयोग से भी कुछ तो काम चल ही सकता है ।

नारी की गरिमा गिराने वाले, कामुक कुत्सा भड़काने वाले चित्र, कलेंडरों की, पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों और पत्रिकाओं में छपने वाली तस्वीरों की आज भरमार है । उसकी स्थान पूर्ति के लिए ऐसे चित्रों का प्रकाशन करना होगा जो जन साधारण में नारी के प्रति पवित्र श्रद्धा भावना का सृजन करता हो और स्वयं नारी को अपनी गरिमा का उद्‌बोधन कराता हो ।

शृंगारिकता और कामुकता के ही गीत आज सर्वत्र सुनाई पड़ते हैं । उनके स्थान पर नारी गौरव का उद्‌बोधन करने वाले गीत छापे और गाये जा सकते हैं । उनका सृजन प्रांतीय और क्षेत्रीय भाषाओं में भी होना चाहिए । अपने-अपने क्षेत्र की रुचि एवं गीत परंपरा का ध्यान रखते हुए ऐसे गीत अधिक मात्रा में लिखे जाने चाहिए और उन्हें सर्व सुलभ मूल्य पर घर-घर, गाँव-गाँव पहुँचाया जाना चाहिए ।

छोटे-छोटे सीमित संगीत पाठ्यक्रम वाली संगीत पाठशाला गाँव-गाँव, मुहल्ले-मुहल्ले स्थापित हों जिनमें नारी जागरण से लेकर बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति एवं सामाजिक क्रांति की आवश्यकता पूरी करने वाले गीतों की ध्वनियाँ, स्वर लिपियाँ सिखाने की, सरल वाद्य यंत्र बजाने की शिक्षा दी जाय । ऐसे सरल संगीत पाठ्यक्रमों का प्रयोग शांतिकुंज, हरिद्वार के महिला जागरण सत्रों में भली प्रकार हो चुका है । मात्र तीन घंटा नित्य अभ्यास से कोई भी नौसिखिया कामचलाऊ गायक, वादक बन सकता है । लोक जागरण के लिए ऐसे ही गीत, वाद्यों का प्रचलन होना चाहिए ।

इस प्रयोजन में टैप रिकार्डर का अच्छा-खासा उपयोग हो सकता है । उनमें भरे हुए गीत लाउडस्पीकर की सहायता से सार्वजनिक आयोजनों में काम आ सकते हैं । प्रातःकाल एक घंटे का 'मंगल प्रभात' कार्यक्रम सैकड़ों युग-निर्माण शाखाओं में नियमित रूप से चलता है । यह अपना निजी रेडियो स्टेशन गाँव, मुहल्लों में जादू भरा काम करता है । सूर्योदय से एक घंटा पूर्व से लेकर सूर्योदय तक टैप या रिकार्डों में भरे हुए भाव-भरे गीत लाउडस्पीकर के चौंगे किसी बहुत ऊँचे स्थान पर बाँधकर सुनाये जाते हैं और उन्हें उस इलाके की जनता बड़े चावपूर्वक सुनती है । बीच-बीच में छोटे-छोटे उद्‌बोधन भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित रखे जाते हैं ।

गीत, वाद्य का अगला कला चरण नाट्य अभिनय आता है । यों बड़े

नगर, कस्बों में अब उस क्षेत्र पर सिनेमा का अधिकार हो गया है पर अभी भी नाट्य कला पूरी तरह मरी नहीं है । जहाँ सिनेमा नहीं पहुँचा है वहाँ तो वह किसी न किसी रूप में अभी भी जीवित है । रामलीला, रासलीला, नौटंकी, ढोलामारू आदि अनेक रूपों में अनेक क्षेत्रों में अपने-अपने ढंग के अभिनय जारी हैं । लोकरंजन की इन प्रक्रियाओं के साथ लोक मंगल का लक्ष्य सहज ही पूरा किया जा सकता है । पुरानी अभिनय मंडलियों को उचित मार्गदर्शन तथा सहयोग मिले तो वे युग की माँग पूरी कर सकने में बहुत हद तक सफल हो सकती हैं । नई नाट्य मंडलियाँ खड़ी की जा सकती हैं । उनके लिए विस्तृत क्षेत्र मौजूद हैं । लोग रासलीला, रामलीला आदि के लिए ढेरों पैसा खर्च करते हैं । उस प्रवृत्ति को सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है और साथ में नये युग की उपलब्धियों को सम्मिलित किया जा सकता है । नारी के प्राचीन गौरव से लेकर मध्यकालीन शोषण-उत्पीड़न तक आरंभ किए जा रहे अभियान से लेकर उसके सफल सत्परिणामों तक बहुत कुछ कहने-बताने को मौजूद है । जिन कुरीतियों ने व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को, विशेषतया नारी को दयनीय दुर्दशा में ढकेल दिया है, उसका रोमांचकारी, करुणा भरा चित्रण नये नाटकों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रस्तुत विपत्ति से उबरने का मार्गदर्शन किया जा सकता है ।

फिलहाल छोटे रूप में, कम खर्च में और तुरंत कार्यान्वित हो सकने वाला एक तरीका यह काम में लाया जा सकता है कि आठ मिली मीटर और सोलह मिली मीटर के एक-डेढ़ घंटा चलने वाले फिल्म बनाये जायें और उन्हें अपने प्रोजक्टरों पर अपने प्रचारकों द्वारा निर्धारित केन्द्रों पर निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार दिखाया जाय । महिला जागरण शाखाएँ, युग निर्माण शाखाएँ अपने सदस्यों को बिना फीस के यह फिल्म दिखाने का प्रबंध करें और मासिक सदस्यता शुल्क से फिल्में लाये जाने का खर्च वहन करें । इस प्रकार थोड़ी पूँजी से छोटे फिल्म बन सकते हैं और अपने निजी प्रदर्शन केन्द्र, चलते-फिरते सिनेमाघर खड़े हो सकते हैं । यह प्रयोग एक-दो लाख की छोटी पूँजी से भी चल सकता है और उपलब्ध होते रहने वाले शुल्क-अनुदान से एक के बाद एक छोटे फिल्म लगातार बनते रह सकते हैं । बड़े सिनेमाघरों

में दिखाये जाने वाले पूरे फिल्मों जितना प्रचार तो इनसे नहीं हो सकता पर थोड़ी पूँजी से छोटा प्रयोग आरंभ करने में बुराई भी क्या है । इनसे विचारशील वर्ग का ध्यान आकर्षित हो सकता है और आर्थिक क्षेत्र में अग्रणी प्रतिभाएँ इस क्षेत्र में बड़ी तैयारी के साथ प्रविष्ट होने के लिए उत्सुक हो सकती हैं । छोटे आरंभ कई बार बहुत बड़ी संभावनाओं के आधार बन सकते हैं । बड़े आधार बनने तक छोटे साधन भी रोके रखने की आवश्यकता नहीं । जो कुछ संभव है वह हमें आज करना ही चाहिए ।

प्रवचन और लेख तभी उपयोगी सिद्ध होते हैं, जब उन्हें सुनने और पढ़ने वाले की मस्तिष्कीय क्षमता अभीष्ट मात्रा में विकसित हो । यदि उन्हें समझने की पूर्व पृष्ठभूमि नहीं है तो सुनना-पढ़ना बेकार सिद्ध होगा । किन्तु दृश्य और श्रव्य माध्यमों के बारे में ऐसी बात नहीं है । संगीत हर किसी को लहराता है और कानों में रस घोलता है । साँप और मृग तक उस पर मुग्ध हो जाते हैं । फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या । मात्र ध्वनि प्रवाह से प्राणी तरंगित हो उठता है, गायें अधिक दूध देने लगती हैं और पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं । बच्चे कुछ अधिक समझ तो नहीं पाते तो भी संगीत सुनकर प्रसन्न होते हैं । नर-नारी, बाल-वृद्ध सभी को संगीत प्रिय लगता है । वर्तमान कला प्रवाह कामुकता और शृंगारिकता की ओर बह रहा है, उसे मोड़ कर अनीति के विरुद्ध संघर्ष की, उज्ज्वल भविष्य के अभिनव निर्माण की दिशा में अग्रसर किया जा सके तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने प्रस्तुत होगा । इसी प्रकार अभिनय के साथ रहने वाला आकर्षक घटनाक्रम देखने वालों के चेतन मर्मस्थलों तक प्रवेश करता है और अपना प्रभाव छोड़ता है । नारी के साथ बरती जा रही अनीति का निराकरण करने और उज्ज्वल भविष्य का श्री गणेश करने के लिए संगीत और अभिनय दोनों ही माध्यमों को सुगठित किया जा सकता है । उसका सृजन, शिक्षण, गठन, साधन संग्रह, प्रचार करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाँय तो देश की तीन चौथाई जनता तक जहाँ अभी सिनेमा नहीं पहुँचा है, वहाँ कला की उल्लास भरी किरणें पहुँच सकती हैं । साथ ही इस महाशक्ति से लोक मानस की दिशा बदलने में आशातीत सफलता मिल सकती है ।

वातावरण ऊर्ध्वगामी बनायें !

कुटुंब बड़ा हो या छोटा उसकी शोभा सफलता इस बात में है कि सुव्यवस्था एवं सुसंस्कारिता को उसमें कितना प्रश्रय मिल रहा है और गुण, कर्म, स्वभाव की विभूति संपदा वहाँ किस कदर बढ़ रही है । इस प्रयोजन में गरीबी या व्यस्तता बाधक नहीं है । कठिनाई एक ही रहती है कि घर के लोगों को शरीर सुख ही ध्यान में रहता है, उनके दृष्टिकोण एवं भावना स्तर को ऊँचा उठाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती और न उसके लिए कुछ प्रयत्न ही किया जाता है ।

दूरदर्शी गृहपति अपने परिवार के लिए आर्थिक साधन जुटाते रहने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर देते, वरन् पूरी सतर्कता और गंभीरता के साथ यह अनुभव करते हैं कि इन आत्मीयजनों को चिंतन एवं स्वभाव की दृष्टि से भी सुसंपन्न बनाया जाय । जहाँ यह मान्यता काम कर रही होगी और इसके लिए प्रयत्न चल रहे होंगे वहाँ सुसंस्कारिता बढ़ेगी और उसकी बहुमूल्य फसल से घर के लोग यथा समय लाभान्वित होंगे । परिवार के प्रति मोह, ममता तो सभी रखते हैं, पर जहाँ यह दूरदर्शी आकांक्षा जग रही हो, समझना चाहिए कि परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निबाहने की बात यही बन पड़ रही है ।

स्पष्ट है कि किसी को भी हर घड़ी आदर्शवादिता अपनाने की शिक्षा नहीं दी जा सकती । इस दिशा में अति करने से उलटी प्रतिक्रिया होती है । समयानुसार परोक्ष रूप से ही इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा सकता है । किसी दिशा में अधिक सोचना, उसकी उपयोगिता समझना और जो उपयुक्त जँचे उसे अपनाना मनुष्य का अपना काम है । इस संदर्भ में सहायता भर की जा सकती है, आग्रह नहीं थोपा जा सकता । यदि थोपा जा सकता हो तो गाँधी जी जैसे महापुरुष के बड़े पुत्र हरिलाल गाँधी को जहाँ-तहाँ भर्त्सना क्यों सहनी पड़ती ? तब हिरण्यकश्यपु जैसे प्रभावशाली का पुत्र क्यों न अपने पिता का अनुसरण करता । थोपने से मनुष्य की जीवंत चेतना को किसी दिशा में ढाला नहीं जा सकता, बाध्य तो शरीर ही किया जा सकता है । अंतःचेतना को दिशा देने वाले साधन ही जुटाये जा सकते हैं । उस प्रकार की रुझान उत्पन्न करने वाला वातावरण ही बनाया जा सकता है । उसी के लिए शक्ति भर प्रयत्न

करना गृहस्वामी का कर्तव्य है । इस दिशा में सतर्क और प्रयत्नशील रहा जाय तो उतने भर से बहुत काम चल सकता है ।

इस संदर्भ में जो साधन-सामग्री जुटाई जानी चाहिए उसमें प्राथमिकता घरेलू पुस्तकालय को, ज्ञान मंदिर को दी जानी चाहिए । यह हर विचारशील परिवार की अनिवार्य आवश्यकता है । पेट की भूख बुझाने के लिए हर परिवार का एक रसोई घर, अन्न भंडार अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है । ठीक उसी प्रकार मस्तिष्क की, अंतःकरण की, भूख बुझाने के लिए ज्ञान-भंडार भी होना ही चाहिए । पेट का महत्व समझा जाय और अंतःकरण की उपेक्षा की जाय तो ही ज्ञान-भंडार को निरर्थक कहा जा सकता है । जो चेतना का, चिंतन का, दृष्टिकोण का, अंतःकरण का, भाव संवेदनाओं का कोई मूल्य नहीं समझते, जिनके लिए धन और विलास ही सब कुछ है, उन्हें ज्ञान संपदा का महत्व बताया, समझाया जा सकना कठिन है । पर जिन्होंने यह समझ लिया है कि मानवी सत्ता चिंतन और चेतना के स्तर पर ही समुन्नत और पवित्र होती है, संपन्न और दरिद्र बनती है उन्हें यह स्मरण भर दिलाना पर्याप्त होगा कि शरीर की तरह आत्मिक चेतना की भी कुछ भूख होती है और उसका साधन जुटाना पेट भरने की सामग्री जुटाने से कम नहीं वरन् कुछ अधिक ही आवश्यक है । घरेलू पुस्तकालय की स्थापना इसी अभाव की पूर्ति करती है ।

कूड़े-कचरे की तरह किस्सा-कहानियों की, धर्म-ढकोसलों की बेकार पुस्तकें हर घर में पाई जा सकती हैं, पर ऐसे विचारशील परिवार बिरले ही मिलेंगे, जिनने घर के हर सदस्य को भावनात्मक परिष्कार कर सकने वाले साहित्य को प्रयत्न करके तलाश किया हो । अच्छी पुस्तकें खरीद ली जाँय और उन्हें उपेक्षापूर्वक किसी मेज, अलमारी में पटक दिया जाय तो उतने भर से भी कुछ काम नहीं चलता । उन्हें आवश्यक महत्व देने के लिए सुसज्जित स्थान पर सुसज्जित रूप में रखना, उनका महत्व समझाना और स्नेह, दुलार के साथ पढ़ने या सुनने के लिए सहमत करना भी एक बड़ा काम है ।

निम्नगामी मानसिक हलचलें उत्पन्न करने वाले, ओछे, उथले साहित्य में तो हर किसी की सहज रुचि होती है । पानी नीचे की ओर तो अपने आप बहता है, पर यदि उसे ऊपर लाना हो तो कई तरह के साधन जुटाने और श्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी । ठीक यही बात कुरुचि को सुरुचि की ओर

मोड़ने के संबंध में भी है । विवेकशीलता उत्पन्न करने वाला साहित्य आमतौर से नीरस समझा जाता है और उसे पढ़ने में अरुचि रहती है, इस ओर रुचि उत्पन्न करना उपयोगी पुस्तकें खरीद कर घर में रख देने से भी अधिक कठिन है । पैसा तो किसी प्रकार खर्च किया भी जा सकता है, पर यदि खरीदी पुस्तकों को किसी ने पढ़ा ही नहीं तो घर में बेकार का कूड़ा-करकट बढ़ा और उद्देश्य कुछ भी पूरा न हुआ । अस्तु जहाँ ज्ञान मंदिर की उपयोगिता समझी जाय, वहाँ यह जिम्मेदारी भी मानी जाय कि सारी व्यवहार कुशलता का प्रयोग करके उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जायेगा और इसकी देखभाल भी रखी जायगी कि वैसा हो भी रहा है या नहीं ।

जो बिना पढ़े हैं, उन्हें पढ़कर सुनाया जाना चाहिए । एक तरीका यह भी है कि इस प्रकार का साहित्य पढ़े जाने और सुने जाने का क्रम बनाया जाय और उसके लिए नियत समय निर्धारित किया जाय । यदि गृहपति स्वयं पुस्तकें सुनाने लगें और जो पढ़ा या सुना गया है उसे गहराई से समझने, न समझने की परीक्षा रूप में पूछताछ करने लगें तो उस पाठन का महत्व और भी बढ़ सकता है और कुछ दिन में सारे परिवार की सहज रुचि उस ओर ढल सकती है ।

अब गुरुकुल रहे नहीं, धर्मोपदेश के नाम पर निरर्थक विडंबनाएँ चलतीं और भ्रम फैलाती रहती हैं । जीवनोपयोगी शिक्षा के लिए घर के लोगों को किसी विद्यालय में पढ़ने भेजा जाय यह भी संभव नहीं । ऐसे सुयोग्य शिक्षक अपने घर में आकर रहने लगें, यह भी असंभव है । फिर ऐसे सूक्ष्मदर्शी, प्रभावशाली लोग हैं भी कहाँ जो व्यक्ति की, समाज की वर्तमान समस्याओं का सही और सामयिक समाधान प्रस्तुत कर सकें । इन सब कठिनाइयों का समाधान घरेलू पुस्तकालय की स्थापना से ही संभव हो सकता है । जीवित या स्वर्गीय महामानवों की अति महत्वपूर्ण शिक्षा किसी भी समय, कितने ही देर प्राप्त करते रहने, उनके साथ सत्संग करते रहने का उपाय एक ही है कि उनके ग्रंथों को ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाय और यह मनन किया जाय कि उस कसौटी पर अपनी स्थिति कितनी खरी उतरती है । साथ ही यह भी मनन किया जाय कि उत्कृष्टता अपनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ?

बड़े-बड़े धर्म-ग्रंथों से घर की शोभा बढ़ती है । आध्यात्मिक और

दार्शनिक ग्रंथ विशिष्ट लोगों के लिए, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लिखे हैं । परिवार के लोगों को उनके स्तर के अनुरूप उनकी समस्याओं का समाधान करने वाली पुस्तकें ही उपयोगी हो सकती हैं । बछड़े की पीठ पर हाथी का हौदा नहीं लादा जा सकता । बच्चों, किशोरों, महिलाओं, छात्रों तथा काज-काजी तरुणों की उनकी वर्तमान स्थिति में जो समस्याएँ सामने हैं उनका व्यावहारिक हल बताने वाली पुस्तकें ही घरेलू पुस्तकालय के काम की हो सकती हैं । बड़े धर्म-ग्रंथों के प्रति श्रद्धा तो रखी जाय, पर साथ ही यह भी समझा जाय कि वे परिवार के सदस्यों का सामयिक एवं व्यवहारिक मार्गदर्शन नहीं कर सकते । ऐसी दशा में उन्हें पढ़ने का आग्रह किया जाय और वह कार्यान्वित होने भी लगे तब भी अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अस्तु घरेलू पुस्तकालय की स्थापना, पढ़ने के लिए प्रोत्साहन का क्रम बनाने के साथ-साथ उपयोगी पुस्तकों के चुनाव का भी अति सतर्कता पूर्वक ध्यान रखा जाना चाहिए ।

इस प्रयोजन के लिए कुछ तो पैसा खर्च होता ही है । उसे अन्न, शाक, दूध, दवा, कपड़ा, साबुन स्तर का अनिवार्य रूप से आवश्यक दैनिक खर्च मानकर ही चलना चाहिए । कभी उत्साह, कभी उपेक्षा का उतार-चढ़ाव उसमें नहीं चलना चाहिए । यह दैनिक और अनिवार्य खर्च है ? इसको स्मरण रखने और आदत को अंग बनाने के लिए यह विधि अपनाई जानी चाहिए कि घर के किसी पवित्र स्थान पर, पूजा स्थल पर ज्ञानघट स्थापित किया जाय और इस मद को जितना महत्व दिया गया तो उतना पैसा उस पेटी में नियमित रूप से डाला जाय । खुले पैसों की वैसे तो अब किल्लत नहीं रही, पर यदि उसमें झंझट लगता हो तो उतने पैसे की एक छोटी पर्ची उसमें डाली जा सकती है और उन्हें हर महीने नोट रुपयों में बदला जाय। इस राशि से हर महीने या कई महीने का पैसा इकट्ठा करके एक साथ कई नई पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं ।

आरंभिक स्थापना के अवसर पर कुछ अधिक खर्च हो सकता है । इसके लिए अलग से एक सुंदर कपाट बन सकता हो और उस पर ज्ञान मंदिर का छोटा बोर्ड लग सकता हो तो घर में आने वाले अन्य लोगों को भी इसकी उपयोगिता समझने का अवसर एवं प्रोत्साहन मिल सकता है । आरंभ में कुछ अधिक पुस्तकें खरीदने से ही तो यह स्थापना संभव होगी, इसलिए उसे रेडियो, टेलीविजन, जेवर, सिलाई की मशीन, बिजली का पंखा जैसी उपयोगी

वस्तुएँ खरीदने की तरह ही आवश्यक कार्य मानकर साहसपूर्वक कुछ राशि खर्च कर देनी चाहिए । मुहल्ले का, गाँव का पुस्तकालय स्थापित करना भी इस प्रयोजन की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके लिए भी उतना ही उत्साह, त्याग एवं प्रयत्न करना आवश्यक है जितना कि घरेलू पुस्तकालय के लिए । इस सामूहिक पुस्तकालय से तो माँगकर भी अपने परिवार की आवश्यकता पूरी की जा सकती है ।

जैसी भी स्थिति हो उसके अनुरूप परिवार में सद्ज्ञान की अभिवृद्धि की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए । परिजनों को कूप मंडूक नहीं रहने देना चाहिए । जीवन की, समाज की समस्याओं से अपरिचित रहना ऐसी भूल है, जिसके कारण कभी-कभी ऐसी ठोकरें खानी पड़ती हैं, जो आदमी को चित्त-पट्ट करके रख दें । अवकाश के समय में समाचारों एवं कथा, संस्मरणों के माध्यम से उपयोगी जानकारी बढ़ाने का कार्य हर सद्गृहस्थ को हाथ में लेना चाहिए । रूखे, नीरस और निर्देशात्मक उपदेशों को प्राय: व्यंग्य, उपहास एवं अवज्ञा में धकेल दिया जाता है । कथा-कहानी के माध्यम से घुमा-फिराकर शिक्षा दी जाय तो उसमें मनोरंजन आकर्षण भी रहता है और परोक्ष रूप से दी गई शिक्षा का चित्त पर प्रभाव भी पड़ता है । अखबारों में से ऐसे समाचार चुने जा सकते हैं, जो जीवन-विकास में, लोक-व्यवहार में उचित मार्गदर्शन कर सकें । पंच तंत्र और हितोपदेश नामक संस्कृत के कथा-ग्रंथों ने उद्दंड राजकुमारों को सुयोग्य बना दिया था । हम भी उसी रीति-नीति को अपनाकर परिवार के लोगों के लिए उपयोगी दिशा-निर्देश करते रह सकते हैं । जो पढ़े-लिखे हैं, उन्हें प्रेरक पुस्तकें पढ़ते रहने के लिए भी कहा, समझाया और प्रोत्साहित किया जा सकता है । स्वाध्याय के लिए सामग्री और समय व्यवस्था बनाकर हम घर के पढ़े-लिखे सदस्यों के लिए बौद्धिक एवं भावनात्मक उत्कर्ष का द्वार खोल सकते हैं । पढ़े सदस्य प्रतिदिन अवकाश वाले निर्धारित समय में निर्दिष्ट पुस्तक प्रसंग पढ़कर सुनाया करें तो आगे चलकर वही आदत परिवार प्रशिक्षण में अभिरुचि बनकर विकसित हो सकती है । सुनाते रहने वालों को सुयोग्य वक्ता बनने का, झेंप-झिझक से पिंड छुड़ाने का सुअवसर प्रदान कर सकती है ।

परिजनों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ आत्मिक विकास के लिए

भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । अपने परिवार के लोगों के शरीर और मन को विकसित करने के लिए जिस प्रकार भोजन और शिक्षण की व्यवस्था की जाती है उसी प्रकार आत्मिक दृष्टि से स्वस्थ बनाने के लिए घर में बाल-वृद्ध सभी की उपासना में निष्ठा एवं अभिरुचि बनी रहे । इसके लिए समझाने-बुझाने का तरीका सबसे अच्छा है । गृहिणी एवं गृहपति का अनुकरण भी परिवार के लोग करते हैं इसलिए स्वयं नित्य नियमपूर्वक नियत समय पर उपासना करने के कार्यक्रम को ठीक तरह निबाहते रहा जाय । घर के लोगों से जरा जोर देकर भी उनकी ढील-पोल को दूर किया जा सकता है । आमतौर से अच्छी बातें पसंद नहीं की जातीं और उन्हें उपहास, उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है । यही वातावरण अपने घर में घुसा हुआ हो सकता है । पर उसे हटाया तो जाना ही चाहिए । देर तक सोना, गंदे रहना, पढ़ने में लापरवाही करना, ज्यादा खर्च करना, बुरे लोगों की संगति आदि बुराइयाँ घर के किसी सदस्य में हों तो उन्हें छुड़ाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है । क्योंकि यह बातें उनके भविष्य की अंधकारमय बनाने वाली, अहितकर सिद्ध हो सकती हैं । उसी प्रकार नास्तिकता और उपासना की उपेक्षा जैसे आध्यात्मिक दुर्गुणों को भी हटाने के लिए घर के लोगों को जरा अधिक सावधानी और सफाई से कहा-सुना जाय तो भी उसे उचित ही माना जायगा ।

अपने कुटुंब की सबसे बड़ी सेवा यह हो सकती है कि प्रत्येक परिजन को आस्तिक एवं उपासक बनाया जाय । उस मार्ग को अपनाकर वे अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं । आस्तिकता धर्म विश्वासों को जन्म देती है और धर्म विश्वासों पर सुदृढ़ रहने वाला अपने कर्तव्यों पर भी स्थिर रहता है । फलस्वरूप उसका शरीर, मन, परिवार, व्यवहार, लोक-परलोक सभी कुछ आनंदमय बनता है । जो लड़कियाँ आस्तिकता के विश्वास को छोटेपन से ही मन में जमा लेंगी वे ससुराल जाने पर पतिव्रत धर्म का भी पालन करेंगी और उस घर के प्रत्येक सदस्य के साथ सद्व्यवहार करना अपना धर्म कर्तव्य मानेंगी । ऐसी दशा में वहाँ वे आँखों का तारा ही बन कर रहेंगी । सभी उन्हें दुलार करेंगे और दुःख-दर्द में पलकों की छाया किए रहेंगे । जो गौरव पिता के प्रचुर दहेज देने से भी लड़कियों को ससुराल में नहीं मिल सकता वह उनके सद्गुणों के द्वारा मिल जाता है । सद्गुण धर्म विश्वासों के फलस्वरूप ही उत्पन्न

होते हैं और धर्म विश्वासों को आस्तिकता की देन ही कहा जा सकता है । इस प्रकार जिस कन्या को उनके माता-पिता ने आस्तिकता की उपासना की शिक्षा दी है, उनने उसका भविष्य अंधकारमय बनाने के लिए सबसे बड़ी संपत्ति वसीयत कर दी है । इसके विपरीत जिन लड़कियों को उच्छृंखलता, नास्तिकता, विलासता और असहिष्णुता के वातावरण में पलने दिया है वे जहाँ कहीं भी रहेंगी नरक उत्पन्न करेंगी उसमें स्वयं भी जलेंगी और सारे परिवार को भी जलाती रहेंगी । ऐसी आदतों की अभ्यस्त लड़कियों का अहित उन अभिभावकों ने ही किया होता है जिनने बचपन से उन्हें धार्मिक मान्यताओं से, पूजा-उपासना से वंचित रखा है । संभव है ऐसा उन्होंने प्यारवश किया हो पर वस्तुतः वह परिणाम में शत्रुता के समान ही अहितकर सिद्ध होता है ।

यही बात लड़कों के बारे में भी लागू होती है । यदि वे धर्म विश्वास तथा संस्कारों का प्रभाव बचपन से ही मन पर धारण कर सकें तो माता-पिता, बहन-भाई, स्त्री-पुत्र, स्वजन-संबंधी सभी के प्रति अपना कर्तव्य पालन करेंगे । ऐसी दशा में स्वभावतः उनका परिवार स्वर्ग बना रहेगा । स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा । यश एवं सम्मान की कमी न रहेगी । सज्जनता जहाँ रहती है वहाँ दीनता और दरिद्रता के रहने की भी कोई आशंका नहीं रहती । आस्तिकता के संस्कारों के साथ उनके अभिभावक वस्तुतः उनके भविष्य की आशाजनक प्रगति का बीमा भी कर देते हैं । ऐसे विचारशील अभिभावकों ने जिनने अपने बच्चों को आस्तिक एवं सुसंस्कारी बनाया है, सचमुच ही अपना कर्तव्य आदर्श रूप से निबाहा है, उनकी जितना सराहना की जाय उतनी ही कम है ।

ध्यान रहे कि धार्मिकता को कुछ कर्मकांडों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए । जिन भावनात्मक आदर्शों और आस्थाओं पर पारिवारिक व्यवस्था का प्रचलन हुआ है उन्हें सजीव रखने के लिए परिवार की संपूर्ण व्यवस्था धार्मिक होनी चाहिए । बड़ों के प्रति छोटों की विनम्रता, छोटों के प्रति बड़ों का स्नेह और कर्तव्य भाव, समवयस्कों में आदर और सम्मान की भावना को स्थिर रखना धर्म का उद्देश्य होना चाहिए । इन सभी बातों को लेकर उसे रहन-सहन, आहार-विहार, वेष-भूषा, शिक्षा-दीक्षा, पारस्परिक व्यवहार, व्रत, पर्व और त्यौहारों में प्रविष्ट हो जाना चाहिए । परिवार का छोटे से

छोटा और बड़े से बड़ा कृत्य भी धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए । सारांश में धर्म पारिवारिक जीवन में प्राण की भाँति घुला होना चाहिए ।

घर के लोगों की बैठक का कमरा अलग होता है । रसोई घर, स्नानागार और शयनागार भी विभाजित होते हैं । हर स्थान पर वहाँ की स्थिति के अनुकूल सामान रखा हुआ होता है । किसी स्थान के सामान, क्रम व्यवस्था को देखते ही उस स्थान में क्या होता है इसका पता चल जाता है । इसी क्रम में आपके घर में एक छोटा सा 'साधना-कक्ष' भी होना चाहिए । एक छोटी-सी प्रतिमा, नहीं तो किसी चित्र को जो भगवान का, गायत्री का या किसी देवता का हो एक सुंदर वेदी पर स्थापित कर लीजिए । सामने चौकी पर धूप-दान दीपक और जप की मालायें रखी हुई होनी चाहिए । एक छोटा-सा हवन कुंड भी हो । संपूर्ण कक्ष स्वच्छ, सुंदर लिपा-पुता हो । ऊपर महापुरुषों के चित्र, प्रेरणाप्रद वाक्य और देव स्थलों, प्राकृतिक दृश्यों वाले चित्र टँगे हों । कागज के फूलों और पताकाओं से कमरा सजा रहे । संभव हो तो वहाँ हर समय एक अगरबत्ती जलती रहे । यह स्थान इतना सुंदर, इतना पवित्र बनाकर रखिए कि वहाँ पहुँचते ही दिव्य भावनाएँ उठने लगें । मन की मलिनता मिट जाय और विचारों में पवित्रता आ जाय । सुंदर, महकता हुआ साधन स्थान जिसे देखते ही आत्मा पुलकित, प्रफुल्लित हो जाया करे ।

प्रातःकाल जल्दी सोकर उठने के लिए सारे सदस्य राजी होने चाहिए । स्नान, शौच आदि से निवृत्त होकर सामूहिक प्रार्थना को पति-पत्नी साथ-साथ या क्रम बनाकर घर का प्रत्येक सदस्य उस साधन स्थल में प्रवेश करे और परमात्मा की उपासना करे । आज का दिन एक परिपूर्ण जीवन है, यह मानकर परमात्मा से सच्चाई, ईमानदारी और नेक निष्ठा की ओर प्रेरित रखने के लिए बल की माँग की जाय । भावना के अनुसार धूप, दीप, अक्षत, रोली आदि से देव प्रतिमा का अभिषेक किया जाय । प्रातःकाल का नाश्ता सदस्य इसी स्थान के प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो वह और भी मंगलदायक हो सकता है ।

प्रातःकालीन उपासना समाप्त करके जिसे जिस कार्य में जाना हो उसमें चले जाना चाहिए । स्त्रियाँ गृह-कार्यों में लग जायें । विद्यार्थी पाठशाला की ओर चले जायँ और पुरुष वर्ग जो जिस कार्य में नियत हो उसमें चला जाय ।

परिवार में हर सदस्य को भगवान का स्मरण और नमन करने की आदत होनी चाहिए । चाहे उसके लिए दो मिनट का ही समय लगे पर करना अवश्य चाहिए । आस्तिकता के साथ अनेक श्रेष्ठ मान्यताएँ जुड़ी रहती हैं, सुसंस्कृत व्यक्तित्व विकसित करने की दृष्टि से दैनिक जीवन में आस्तिकता को परिपुष्ट बनाने वाली उपासना के लिए कुछ न कुछ स्थान होना ही चाहिए । दैनिक कार्य आरंभ करने से पूर्व पूजा स्थल पर जाकर अभिवादन करके कम से कम पाँच गायत्री मंत्र मन ही मन जप करके तब आगे बढ़ा जाय । इसमें स्नान आदि का बंधन नहीं है । बच्चे स्कूल जाते समय, स्त्रियाँ चूल्हा जलाते समय, पुरुष दफ्तर, दुकान पर जाते समय यह नमन अभिनंदन चित्र के सामने खड़े होकर कर सकते हैं । इसमें दो मिनट का समय लगता है । नियमित परंपरा को अनिवार्य बनाये रखने की दृष्टि से इतना थोड़ा समय भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । उससे आस्तिकता के संस्कार जमते और बढ़ते हैं । इसका परिणाम दृष्टिकोण में उच्चस्तरीय आदर्शों को समाविष्ट रहने का लाभ मिलता है । सायंकाल सामूहिक रूप से आरती करने की, संगीत-सहगान की परंपरा डाली जाय तो एक उत्साह एवं सद्भाव संवर्द्धक वातावरण बनता है । इस सद्भाव एवं सद्भावनाओं के जागरण के लिए जिस परिवार में सत्साहित्य के पठन-पाठन एवं उपासना आदि का जीवंत क्रम चल पड़े समझना चाहिए उस परिवार में श्रेष्ठ प्रवृत्तियाँ सतत् बढ़ती फलती-फूलती रहेंगी ।

महिला सम्मेलनों की रूपरेखा

महिला जागरण अभियान को अधिकाधिक व्यापक तथा उसकी गतिविधियों को तीव्रतर बनाने के लिए देश भर में महिला जागरण सम्मेलनों की व्यवस्थित शृंखला क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के परामर्श से केन्द्र द्वारा बनायी जानी चाहिए । किसी भी स्थान पर महिला जागरण का शुभारंभ तो गिने-चुने व्यक्ति, गिनी-चुनी महिलाओं को आगे करके कर सकते हैं । किन्तु उसे व्यापक बनाने के लिए तो उसकी उपयोगिता एवं अनिवार्यता जन-जन के गले उतारनी आवश्यक है । महिला जागरण की उपयोगता-आवश्यकता को यदि लोग समझ सके होते तो अब तक उस दिशा में न जाने कितना काम हो चुका होता । इन सम्मेलनों से इस संदर्भ में प्रचंड प्रतिपादन प्रस्तुत हो सकेगा

और इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए उसका भाव भरा मार्गदर्शन सर्वसाधारण को मिल सकेगा । उमंग भरा वातावरण लोकहित के प्रति उदासीन प्रवृत्ति के स्वार्थ परायण व्यक्तियों में भी यह भावना पैदा करता है कि उसे भी परामर्श के लिए कुछ सोचना चाहिए और जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए । नारी उत्कर्ष की आवश्यकता समझी जाय और उसके लिए कुछ हलचलें आरंभ हो सकें, इस प्रयोजन के लिए उमंग भरे आयोजनों का प्रभाव आश्चर्यजनक होता है । निष्क्रिय क्षेत्रों में भी सक्रियता उत्पन्न हो जाती है ।

प्रारंभ में अभियान का परिचय देने के लिए टोलियाँ बनाकर जन संपर्क करके, प्रचार पुस्तिकाएँ पढ़ाने, संगठन का ढाँचा खड़ा करने, सक्रियता उत्पन्न करने, साप्ताहिक सत्संगों का ढर्रा नियमित रूप से चल पड़ने तक के उत्तरदायित्व पुरुष कार्यकर्ता को ही सौंपे जाते रहे हैं और यह अपेक्षा की जाती रही है कि वे पर्दे के पीछे रहकर शाखा-संगठन को सजीव बनाने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करेंगे । अपने बलबूते स्त्रियाँ ही अपना संगठन खड़ा करने और उसे सुसंचालित रखने में सफल बन सकें, ऐसा कहीं-कहीं ही हो सकता है । ऐसी प्रतिभाशली महिलाएँ भी अपने मिशन में हैं पर वे बहुत थोड़ी हैं । जहाँ-तहाँ उनने पूरा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर भी उठाया है । कई जगह पुरुषों ने कम और महिलाओं ने अधिक प्रयास किया है पर अधिकांश शाखाओं के निर्माण में भावनाशील पुरुषों की प्रधान भूमिका रही है । प्रारंभ में महिला शाखाओं का वार्षिकोत्सव संपन्न करने के लिए भी प्रधान जिम्मेदारी भी उन्हीं को संभालनी चाहिए । अगले दिनों तो संभवतः अनुभव और साहस बढ़ जाने पर महिलाएँ स्वयं अपने बलबूते पर भी ऐसे आयोजन कर सकेंगी और जिन रचनात्मक उद्देश्यों के लिए यह संगठन खड़े किए गए हैं उन्हें अपने साहस और प्रयासों से अग्रसर बना सकेंगी । जैसी कुछ स्थानीय परिस्थितियाँ हों, उनके अनुरूप महिला सम्मेलन करने का हर संभव प्रयास किया जाना अभियान को व्यापक बनाने की दृष्टि से आवश्यक है ।

महिला सम्मेलनों में जहाँ भी उत्साह हो वहाँ पहला काम यह करना चाहिए कि समीपवर्ती शाखा संचालकों एवं इस कार्य में रुचि रखने वाले सज्जनों से मिलकर यह निर्धारण करें कि जितने भी आयोजन उस क्षेत्र में रखे

जा सकते हैं, उनकी पूरी जाँच-पड़ताल कर ली जाय और केन्द्र को उनका संयुक्त निमंत्रण भेजा जाय । जहाँ भी सम्मेलन अपेक्षित हों वहाँ समझा जाना चाहिए कि हमें एक अपना ही आयोजन नहीं करना है, वरन् पूरे क्षेत्र की शृंखला बनानी है और उनका सम्मिलित सूत्र संचालन करना है । यह प्रयत्न प्रतिभाशाली कार्यकर्ताओं को तत्काल आरंभ कर देना चाहिए और जहाँ भी युग निर्माण शाखाएँ हों उनसे संपर्क बनाना चाहिए । अधिकांश युग निर्माण शाखाओं ने अपने यहाँ महिला शाखाएँ स्थापित कर ली हैं, जहाँ नहीं हुई हैं वहाँ इस कार्य को सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझकर उसे पूरा करना चाहिए और महिला संगठन अविलंब खड़ा कर लेना चाहिए । सम्मेलन बुलाने के लिए भी यह नितांत आवश्यक है । जहाँ संगठन तक नहीं बना है वहाँ सम्मेलन होने की बात कैसे बनेगी ।

प्राय: सभी सम्मेलन पाँच दिन के होते हैं । पहला दिन आधा और अंतिम दिन आधा कार्यक्रम का है इस प्रकार इसे यदि चार दिन का रखा जाय तो वैसा भी गिना जा सकता है पर कार्यकर्ताओं को तो कम से कम पूरे पाँच दिन ही व्यस्त रहना पड़ेगा । पहले दिन जुलूस की तैयारी, पंडाल, यज्ञशाला आदि बनाना और अंतिम दिन इकट्ठे हुए सामान को जहां का तहाँ पहुँचाने, आगंतुकों को बिदा करने आदि की व्यस्तता भी कम नहीं होती । सम्मेलन के कार्यक्रम को और भी स्पष्ट समझना हो तो इस तरह समझना चाहिए-

(१) आरंभ के दिन सायंकाल लाल मशाल की सज-धज गाजे-बाजे के साथ सुसज्जित सवारी में शोभा यात्रा । इसमें आदर्श वाक्यों के पोस्टर, मिशन के झंडे तथा निर्धारित गीत गाते चलने की भी व्यवस्था रहे ।

(२) उसी दिन से सूर्योदय के पूर्व प्रभात फेरी आरंभ । गली-मुहल्लों में नव जागरण के गीत संदेश तथा कार्यक्रम की सूचना-ऐलान ।

(३) दूसरे दिन प्रात:काल से पाँच कुंडी गायत्री यज्ञ का आरंभ जिसमें केवल महिलायें आहुतियाँ देंगीं । यज्ञ के सारे कार्यक्रम भी महिलाओं द्वारा संपन्न होंगे । इसी के साथ-साथ संस्कार कार्यक्रम संपन्न होते रहेंगे । पुंसवन, नामकरण, अन्नप्रासन, मुंडन, विद्यारंभ-यह चार संस्कार यज्ञ के पहले, दूसरे, तीसरे दिन में संपन्न हो जायेंगे । जिनकी संख्या कम होगी वे एक दिन में दो कराये जायेंगे । यह क्रम तीनों दिन चलेगा । अंतिम दिन दुष्प्रवृत्तियाँ छोड़ने

और सत्प्रवृत्तियाँ अपनाने का देव दक्षिणा कार्यक्रम पूर्णाहुति के साथ-साथ संपन्न होगा । संस्कार के इच्छुकों को उनका महत्व समझा कर पहले ही तैयार कर लेना चाहिए ताकि समय पर ऐलान करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता न पड़े ।

प्रचार साहित्य को प्रसाद माना जाया और उसके वितरण के लिए कुछ राशि सुनिश्चित रूप से रखी जाय । पुस्तक विक्रय का स्टाल अपने प्रत्येक सम्मेलन के अवसर पर रहना ही चाहिए ।

(४) तीसरे प्रहर दो से पाँच बजे तक महिला गोष्ठी हुआ करेगी । इसमें केन्द्र की प्रचारिकाओं के भजन और प्रवचन होंगे । स्थानीय महिलाओं में से जो बोलना चाहें वे भी इसी तीन घंटे के समय में व्यवस्थानुसार बोल सकेंगी ।

(५) रात्रि को ७ से १० तक खुले महिला सम्मेलन का आयोजन रहेगा जिसमें स्त्री-पुरुष सभी भाग ले सकेंगे ।

इसमें कितना खर्च पड़ेगा इसकी योजना अर्थ संग्रह की संभावना को देखते हुए छोटे या बड़े रूप में बनाई जा सकती है । अधिक विस्तार, अधिक साधन, अधिक शोभा में अधिक खर्च पड़ना स्वाभाविक ही है । समय पर जितना इकट्ठा हो सके उसके अनुरूप योजना बन सकती है । प्रयत्न, अधिक उत्साहपूर्वक अधिक अर्थ संग्रह का करना चाहिए ।

अर्थ व्यवस्था बनाने से भी अधिक प्रयत्न सम्मेलन के स्थान का चयन, उद्घाटन, पंडाल, माइक, झंडी, प्रभात फेरी, जुलूस, यज्ञ आदि की सुव्यवस्था एवं सुसज्जा के लिए करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए उतने सुयोग्य व्यक्तियों का सहयोग उपलब्ध करना पड़ेगा । एक आदमी कितना ही सुयोग्य साधन संपन्न हो, एकाकी बलबूते पर सार्वजनिक कार्यों को पूरा नहीं कर सकता । इस तथ्य को जो ध्यान में रखेंगे वे ही महिला सम्मेलनों को भी सफल बना सकेंगे ।

महिलाएँ ही नहीं पुरुष भी इन सम्मेलनों की प्रेरणाओं का, उपलब्धियों का लाभ उठा सकें, इसके लिए आयोजन में अधिक संख्या में उपस्थित हो सकें, इसका प्रयत्न करना चाहिए । पत्र, पोस्टर, दीवार लेखन, ऐलान, मुनादी जैसे पुराने प्रयोग तो जन आमंत्रण के लिए करने ही चाहिए, इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत संपर्क की और भी अधिक आवश्यकता है । दो-दो महिला

कार्यकर्ताओं की टोलियाँ घर-घर जाकर महिलाओं से संपर्क करने और आयोजन में भाग लेने का अनुरोध करें । इसी प्रकार ऐसी ही पुरुषों की टोलियाँ बाजार, दफ्तरों में जाकर सम्मिलित होने की प्रार्थना करें तो उस प्रयास से उपस्थिति आशा से कहीं अधिक हो सकती हैं । अधिक लोगों को अधिक प्रकाश देना ही तो इन सम्मेलनों का प्रधान उद्देश्य है ।

समीपवर्ती शाखाओं की प्रतिभा संपन्न महिलाओं को इन आयोजनों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जा सके और उनके ठहरने, भोजन आदि का प्रबंध हो सके तो और भी अच्छा होगा । उससे वे सब भी कुछ दिशा और प्रेरणा लेकर जायँगी और अपने यहाँ उस प्रकार की प्रवृत्तियाँ चल सकेंगी । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अपनी भोजन व्यवस्था अत्यंत सस्ती और बनाने में सुविधापूर्ण होनी चाहिए । दाल-चावल या दलिया-दाल, खिचड़ी जैसी वस्तुएँ ही सुविधाजनक पड़ती है । मक्का, बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों पर प्रतिबंध नहीं है । जहाँ रोकथाम हो वहीं तीन चार दिन इन मोटे अनाजों से कुछ बनाकर पेट भरा जा सकता है । भोजन व्यवस्था छोटी हो या बड़ी हर हालत में वह सस्ती, बनाने में सरल और छूत-छात, कच्ची-पक्की के जंजाल से मुक्त ही होनी चाहिए ।

साधनों के अभाव में जहाँ शांतिकुंज, मथुरा के प्रचारक न पहुँच सकें वहाँ अपने आस-पास सेही सुयोग्य वक्ता एवं गायक ऐसी महिला को ढूँढ़ निकालना चाहिए जो मिशन को समझती हो और उसके उपयुक्त ही मार्गदर्शन कर सकने की तैयारी समय से पहले ही कर सके । अजनवी वक्ताओं और अप्रासंगिक गाने वालों से तो सुनने वालों का समय ही बर्बाद होता है । कई बार प्रतिगामी वक्ता तो अंट-संट बोलकर अपना करा-धरा ही मिट्टी में मिला देते हैं । इस संबंध में आयोजनकर्त्ताओं को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे लोग अपने मंच पर न चढ़ने पायें ।

जहाँ भी उत्साह और जीवन हो उसे उभर कर ऊपर आना चाहिए । उसके लिए पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार वातावरण का निर्माण कर देना अच्छा रहता है । आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और समय देने का आग्रह तो पहले से ही करते रहना चाहिए, पर कार्यारंभ एक महीने पूर्व ही करना चाहिए । कार्य को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-(१) जन

सहयोग, (२) व्यवस्था, साधन उपकरणों का संग्रह, (३) अर्थ संग्रह । इसके लिए किन्हें क्या उत्तरदायित्व विशेष रूप से सौंपे जाने उचित हैं, वह विचार पहले से ही आरंभ करना चाहिए । घनिष्ठ सहयोग तो सभी कार्यकर्ता परस्पर हर काम में रखें, पर कार्य विभाजन की दृष्टि से क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारियाँ बाँट देने ही में लाभ है ।

अधिक प्रभावशाली व्यक्ति अधिक समय और अधिक योगदान आयोजन को सफल बनाने में और अधिक दे सकें, इसके लिए उनसे संपर्क बनाना, कार्य के महत्व को समझाना और योगदान के लिए अनुरोध करना आवश्यक है । जहाँ इस स्तर के प्रयत्न न होंगे, वहाँ शिथिलता भी रहेगी । उत्साह उभरना और उसे सक्रिय बनाना जन संपर्क क्षेत्र की पहली कला है । किसी संगठन के संचालकों को इससे परिचित रहना चाहिए । मिलते-जुलते रहने, पिछले कार्यों के लिए प्रशंसा करने और आगामी कार्यों में उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है, इसका स्मरण दिलाते रहने से निष्क्रिय व्यक्ति भी सक्रिय बन जाते हैं और दौड़-दौड़ कर सहयोग देते हैं । काम भले ही अकेले को करना पड़े पर श्रेय औरों को ही देना चाहिए । यह व्यवहार कुशलता जहाँ भी होगी, वहाँ कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की कमी न पड़ेगी । संचालकों में व्यवहार कुशलता की कमी रहना ही वह बाधा है जिसके कारण पुराने ढीले पड़ जाते हैं और नये आगे आने में उत्साह नहीं दिखाते । महिला शाखाओं के मूर्धन्य व्यक्तियों को अपने में मिलनसारी, स्नेह, सौजन्य, प्रशंसा, प्रोत्साहन, सहयोग, सद्भाव, मुस्कराहट आदि की विशेषतायें उत्पन्न करनी चाहिए । कटु भाषण निंदा, भर्त्सना, उलाहना जैसे द्वेष, असहयोग उत्पन्न करने वाले दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए ।

अधिक संख्या में लोग अपने आयोजनों में भाग ले सकें । इसके दो उपाय हैं, एक तो जन-जन तक जानकारी पहुँचाने, आयोजन की उपयोगिता समझाने वाले सभी प्रचार साधनों का प्रयोग, दूसरे घर-घर जाकर उनमें शामिल होने के लिए आग्रह करना । जिनका समर्थन दिखाई पड़े, उन्हें बीच-बीच में स्मरण दिलाना और समय पर बुलाते जाने के लिए नियुक्तियाँ करना । अब इतना करने पर ही इन रूखे समझे जाने वाले कार्यक्रमों में अच्छी उपस्थिति हो सकती है । प्रभात फेरी, जुलूस आदि में सम्मिलित रहने के

वचन तो पहले से ही ले लेने चाहिए और समय पर उसका स्मरण भी दिलाना चाहिए । संस्कारों के लिए जिनके बच्चे उपयुक्त हों, उन्हें विशेष रूपसे इस संदर्भ में उत्साहित करना चाहिए । तीसरे प्रहर की गोष्ठियों में और रात के सम्मेलनों में उपस्थिति कितनी होती है, उसे देखकर प्रचार और आग्रह कितना हुआ है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है ।

स्थान का चयन, सभा मंच, यज्ञशाला, बिछावन, छाया पंडाल, लाउडस्पीकर, रोशनी, प्रभात फेरी के लिए शंख, घडियाल झंडे आदि का प्रबंध, जुलूस के लिए बाजे, सुसज्जित शोभा रथ, वाक्य, पोस्टर, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली छोटी-मोटी अनेक वस्तुएँ, सामग्री-घी, कन्या भोजन, प्रसाद वितरण, सम्मेलन स्थान पर सुसज्जित साहित्य स्टाल जैसे कार्य देखने में तो थोड़े से लगते हैं, पर उसकी शाखा प्रशाखाएँ अनेक वस्तुओं की अपेक्षा रखती हैं उनमें से अधिकांश ऐसी होती हैं जो माँग-जाँचकर जुटाई जा सकती हैं, जो अनिवार्य हो उन्हें ही खरीदना चाहिए । यह ताना-बाना पहले से ही ध्यान में रखा जाय और समय से पहले सब कुछ ठीक-ठीक कर लिया जाय, तो सारी व्यवस्था किसी कुशल कलाकार के हाथ बनी हुई प्रतीत होगी ।

पैसे की आवश्यकता तो पग-पग पर पड़ती है । जुलूस, हवन, लाउडस्पीकर, फर्श, सभा मंच, कन्या भोजन जैसे अन्य कार्य भी किसी प्रकार हो सकते हैं, पर यह तो अभावग्रस्त स्थिति की न्यूनतम आवश्यकता हुई । थोड़ा-थोड़ा भी हाथ खुला रखा जाय और थोड़ी साज-सज्जा बनाई जाय, तो हजार से ऊपर की आवश्यकता पड़ेगी । फिर कुछ बच जाय, तो शाखा के अन्य कार्यों में पीछे भी तो बहुत आवश्यकता पड़ेगी । अस्तु आयोजन के समय पूरे उत्साह से अधिक अर्थ संग्रह के लिए जितना अधिक प्रयत्न संभव हो करना-कराना चाहिए ।

आयोजन पूरा हो जाने पर कार्य समाप्त मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए बल्कि उसे तो असली कार्य प्रारंभ करने की भूमिका मानकर चलना चाहिए । आयोजन के प्रवाह से जिन नर-नारियों में उत्साह पैदा हो उनके बाद में भी संपर्क बनाने तथा उन्हें मिशन में सक्रिय हिस्सा बँटाने के लिए तैयार करने का उत्तरदायित्व भी संयोजकों पर आता है । इसके लिए प्रारंभ से ही लोगों की हलचलों और उत्साह पर निगाह रखी जाय ताकि कुछ उत्साही व्यक्ति भविष्य

के लिए चुने और तैयार किये जा सकें ।

जन साधारण को मिशन का परिचय मिल सके इसके लिए महिला जागरण अभियान का युग साहित्य काफी तादाद में मँगा लिया जाना चाहिए । इसी उद्देश्य से एक पुस्तिका महिला जागरण क्या ? क्यों ? और कैसे ? छापी गई है, उसे भी बड़ी संख्या में मँगा कर वितरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

जुलूस में अथवा अन्य अवसरों पर अपने नारे निर्धारित हैं । उन्हीं का उपयोग किया जाय । जिन प्रसंगों का अपने मिशन से सीधा संबंध नहीं है । उनके नारे नहीं लगाने जाने चाहिए । निर्धारित नारे यह है :-

(१) गायत्री माता की-जय
(२) यज्ञ भगवान की-जय
(३) भारतीय संस्कृति की-जय
(४) भारत माता की-जय
(५) एक बनेंगे-नेक बनेंगे
(६) हम बदलेंगे-युग बदलेगा
(७) नया समाज बनायेंगे-नया समाज लायेंगे
(८) नर और नारी-एक समान
(९) जाति वंश सब-एक समान
(१०) कुरीतियाँ-तोड़ दो, अंधविश्वास-छोड़ दो
(११) हमारी युग निर्माण योजना-सफल हो
(१२) महिला जागरण अभियान-सफल हो
(१३) विचार क्रांति अभियान-सफल हो ।

आयोजन के पूर्व दीवालों पर वाक्य लेखन पर भी जोर दिया जाय, इससे आयोजन में अनुरूप वातावरण बनता है । वाक्य चुने हुए और उद्देश्यपूर्ण हों । नारे नं. ५, ६, ७, ८, ९, १०, १२ वाक्यों के रूप में प्रयुक्त किये जा सकते हैं ।

महिला सम्मेलनों से किस स्थान पर कितनी उपलब्धि होगी इसे उँगलियों पर गिनकर नहीं बताया जा सकता, पर यह विश्वास किया जा सकता है कि इससे नव युग-निर्माण की ज्वलंत ज्योति को व्यापक क्षेत्र में

फैलाये जाने की अति महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होगी । जहाँ-जहाँ यह सम्मेलन होंगे, वहाँ निश्चित रूप से रचनात्मक एवं सुधारात्मक कार्यक्रम विकसित होने का सिलसिला चल पड़ेगा ।

अगले चरण अधिक सशक्त हों

महिला जागरण जैसा विशाल लक्ष्य एक ही उछाल में प्राप्त नहीं किया जा सकता । उसके लिए क्रमशः एक से एक बड़े सशक्त चरण बढ़ाने होंगे । अस्तु, 'महिला जागरण अभियान' के संचालन केन्द्र 'शांतिकुंज' से वर्तमान प्रारंभिक प्रचारात्मक गतिवधियों का ही संचालन नहीं हो रहा है वरन् भविष्य में जो चरण बढ़ाने होंगे, उनकी पृष्ठभूमि बनाने का व्यवस्थित क्रम भी चल रहा है । प्रथम चरण में प्रचारात्मक गतिविधियाँ ही तीव्र से तीव्रतर की जाती रही हैं । उसके फलस्वरूप स्थान-स्थान पर इतना जन समर्थन प्राप्त होने लगा है कि जगह-जगह रचनात्मक कार्य भी हाथ में लिए जाने लगे हैं । यही क्रम और आगे बढ़ने पर, तेजस्वी महिला नेत्रियाँ उभर कर आने पर सुधारात्मक गतिविधियों का भी व्यवस्थित क्रम चालू किया जायेगा । अगले चरण बढ़ाने की यह उत्साहजनक स्थिति उत्पन्न होना इस बात पर निर्भर है कि प्रचारात्मक चरण अधिकाधिक सशक्त एवं सफल बनाया जाय । उपर्युक्त लक्ष्य से प्रेरित होकर महिला जागरण के नवयुग का संदेश घर-घर, गाँव-गाँव पहुँचाने के लिए शांतिकुंज, मथुरा का प्रचारतंत्र अपनी स्वल्प सामर्थ्य से कई गुने दुस्साहस के साथ कार्यक्षेत्र में उतर पड़ा है । साहित्य प्रकाशन का कार्य क्रमशः बढ़ता जा रहा है । संगठन बढ़े हैं । साप्ताहिक सत्संगों का सिलसिला आरंभ में कुछ शिथिल था पर अब वह प्रायः सभी शाखाओं में नियमित रूप से चल पड़ा है । संस्कार आयोजनों की परिवार निर्माण गोष्ठियाँ अभी गति नहीं पकड़ सकी हैं और न पर्व-त्यौहारों को सामूहिक-सार्वजनिक रूप से मनाने का कार्य जितनी सफलता के साथ चलना चाहिए था उतना चल पाया है तो भी आशा यह की जाती है कि महिला जागरण शाखाएँ संगठन को सुदृढ़ बना सकेंगी और यह साप्ताहिक सत्संगों का सिलसिला ठीक प्रकार चला सकेंगी । यह भी कम संतोष की बात नहीं है । बढ़ता हुआ उत्साह और अनुभव भविष्य में संस्कार आयोजनों के माध्यम से परिवार निर्माण की और

पर्व आयोजनों के माध्यम से समाज निर्माण की आवश्यकता पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा ।

विचार-विस्तार शिक्षितों की उर्वर मनोभूमि में होता है और पीछे वह अशिक्षितों में फैलता है । अशिक्षित नारी से मिशन का सीधा संपर्क नहीं बन सकता । शिक्षित महिलायें ही उन तक मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारधारा को पहुँचा सकने में समर्थ हो सकेंगी । नवयुग की जागृत नारी को प्रचलित विकृतियों से जूझने और भविष्य की उज्ज्वल परिस्थितियों का सृजन करने की दुहरी भूमिका निभानी पड़ेगी । इसके लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करने वाली अभिनव विचार सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी । 'अभिनव' इस अर्थ में कि भारत की नारी समस्या अपने ढंग की अनौखी है । इसका समाधान पाश्चात्य लोगों के नारी जागरण आंदोलन से सर्वथा भिन्न हैं । आमतौर से हर बात में पाश्चात्य लोगों की झूठन चाटने की ही अपने लोगों को आदत है । नारी समस्या और शिशु समस्या पर अपने देश में प्रकाशित बहुत सा साहित्य अपनी आँखों से गुजरा है । उसमें तथाकथित प्रगतिशील लेखकों ने विदेशी लोगों की किताबों का उल्था करके रख दिया है । प्रतिगामी लेखकों ने पतिव्रत धर्म की तोता रटंत रटी है और आज की नारी को सती सावित्री बनने की झाड़ पिलाई है । स्थिति क्या है और उसे बदलने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इस पर मौलिक चिंतन तलाश करने पर निराशा ही हाथ लगती है । प्रतीत होता है कि भारतीय मन:स्थिति और परिस्थिति को समझने और तदनुरूप रीति-नीति निर्धारित करने का कार्य अभी प्रारंभिक स्थिति में सुबक रहा है, उसके परिपोषण की आवश्यकता है । इसके लिए 'अभिनव' स्तर का कहा जाने योग्य साहित्य सृजा ही जाना चाहिए ।

इस अभियान से संबद्ध हर नारी की यह दृष्टि अत्यंत स्पष्ट रहनी चाहिए कि जन मानस को उलट कर महिला पुनरुत्थान जैसे महान प्रयोजन की पूर्ति संगठन प्रयत्नों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकती है । व्यक्तिगत प्रयत्नों से इस दिशा में बहुत ही सीमित कार्य हो सकता है । एक व्यक्ति भाषण, लेखन, शिक्षण, समयदान, धनदान आदि कितने ही प्रयत्न करता रहे उसका प्रभाव अत्यंत छोटे क्षेत्र में सीमित होकर रह जायगा । कोई कार्य व्यापक क्षेत्र में करना हो तो इसके लिए संगठित प्रयत्नों के अतिरिक्त कोई चारा नहीं । एक

दीपक से दूसरा दीपक जलाने वाली बात ही बड़े आंदोलनों का रूप धारण करती है । अस्तु अब तक जो भी नर-नारी महिला जागरण अभियान के संपर्क में न आये हों उन्हें यह कार्य अपने कंधों पर व्यक्तिगत रूप में सौंपा हुआ समझना चाहिए कि स्थानीय महिला शाखा गठित करें । इस कार्य में पुरुषों को पहल करनी चाहिए और सूत्र संचालन एवं शुभारंभ अपने ही प्रयत्नों से करना चाहिए । वे अपने घरों की, संपर्क क्षेत्र की महिलाओं को समेट-बटोर कर संगठन कार्य आरंभ करें । जब तक साप्ताहिक सत्संग ठीक तरह न चलने लगे तब तक उस अंकुर को खाद-पानी देने की, निराई-गुड़ाई, रखबाली की प्रयत्नशीलता में तनिक भी शिथिलता न आने दें । नर हो या नारी, मिशन की उपयोगिता समझने वालों को उसमें सक्रिय योगदान देना चाहिए और उसका प्रथम चरण महिला शाखा संगठन की स्थापना के रूप में उठना चाहिए ।

अभी तक इस अभियान को विचारशील वर्ग का जो स्नेह-सहयोग एवं समर्थन मिला है वह उत्साहवर्द्धक है । लगभग सभी जगह उस क्षेत्र के राजनैतिक तथा सामाजिक नेता एवं विशिष्ट नागरिकों ने उनका स्वागत एवं उत्साहवर्द्धन किया । अनेक स्थानों पर तो उनकी उपस्थिति में हुए महिला जागरण सम्मेलनों ने उस क्षेत्र में हुए पिछले सभी आयोजनों का कीर्तिमान भंग कर दिया । एक अति महत्वपूर्ण बात यह रही है कि संप्रदायवाद एवं वर्गभेद को भुलाकर सभी वर्ग की महिलाओं ने तथा पुरुषों ने इन आयोजनों को हार्दिक समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया ।

उपर्युक्त अनेक सफलताओं से हर क्षेत्र में जागृति आयी है, आ रही है । महिलाओं में कुछ करने का तथा पुरुषों में उन्हें प्रोत्साहन देने का नया जोश उभरा है । उसी के फलस्वरूप जगह-जगह अनेक रचनात्मक कार्य भी हाथ में ले लिए गए हैं । इनके माध्यम से नारी वर्ग में शिक्षा, ज्ञान एवं स्वावलंबन की क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ उनमें नये युग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने योग्य प्रचंड मनोबल एवं उत्साह जागृत होता चलेगा । उनके सहयोग से लाभान्वित समाज 'महिला जागृति' के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ उस दिशा में अपने अधिकाधिक साधन-सहयोग अर्पित करने में प्रसन्नता अनुभव करेगा ।

यह स्थिति बनते ही नारी 'असुर निकंदिनी' की तेजस्वी मुद्रा में खड़ी

हो सकेगी । इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज में आसुरी प्रवृत्तियाँ आज महिषासुर की तरह उद्दंड एवं स्वच्छंद होकर धमाचौकड़ी मचा रही हैं । किन्तु जब नारी अपने तेजस्वी-दुर्गारूप में खड़ी हो जायगी तो इस असुरता का पराभव सुनिश्चित ही है । समाजव्यापी अनेक अवांछनयीताओं-अनीतियों एवं भ्रष्टताओं के विरुद्ध जब जागृत नारी तन कर खड़ी हो जायगी तो उनका चलते रहना संभव नहीं होगा ।

यह उक्ति मात्र भावुकता की कल्पना नहीं, तथ्यों की विवेकपूर्ण समीक्षा पर आधारित है । सभी जानते हैं कि अनैतिकता एवं भ्रष्टता के दो ही आधार हो सकते हैं-मानवीय मूल्यों को भुलाकर अपनी तथा अपने परिवार की सुख-सुविधाओं को महत्व देना, दूसरा है उसकी सहज सुविधा का होना तथा प्रतिरोध का अभाव ।

नारी जब जागृत होगी तो यह दोनों बातें न रह सकेंगी । संवेदनशील नारी दूसरों के स्वत्व का हरण करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सुख-सुविधायें प्राप्त करने से इन्कार कर सकती है । कोई व्यक्ति भौतिकता की चकौचौंध तथा विकृत महत्वाकांक्षाओं के नशे में अनीति पूर्ण कमाई प्रारंभ तो कर सकता है, किन्तु यदि गृहणी इस प्रकार प्राप्त साधनों का उपयोग करने से इन्कार कर देती है । नम्रता किन्तु दृढ़तापूर्वक उन साधनों की उपेक्षा-तिरस्कार करके सादा जीवन यापन करने पर तुल जाय तो किसी व्यक्ति में अनीति की कमाई लाते रहने का उत्साह टिक नहीं सकता । इसी प्रकार जब घर में ही प्रतिरोध एवं अनीति करने के कारण भर्त्सना का शिकार होना पड़े, तो कोई भी व्यक्ति समाज के गर्त में धकेलने वाली दुष्ट प्रक्रिया को सहज मानकर अपनाये नहीं रह सकता । इस प्रकार नारी दुष्ट प्रवृत्तियों, अनैतिक प्रक्रियाओं के प्रति व्यक्तियों का आकर्षण तथा निर्भयता का भाव समाप्त कर सकती हैं । इस आधार पर चोरी, घूसखोरी से लेकर तस्करी एवं व्यापारिक भ्रष्टाचारों तक सहज ही रोक लग सकती है ।

यह सब कार्य उचित एवं व्यवहार्य तो हैं किन्तु अनायास ही नहीं होने लगेंगे । इन सबके लिए नारी वर्ग को न केवल उत्साहित करना पड़ेगा, वरन् विधिवत् प्रशिक्षित एवं सक्षम-समर्थ भी बनाना होगा ।

आमतौर से यह समझा जाता है कि वानप्रस्थ-संन्यास आदि माध्यमों

का अवलंबन लेकर परमार्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार केवल पुरुषों को ही है, महिलाओं को घर-गृहस्थी के काम ही संभालने चाहिए । परिवार के उत्तरदायित्वों से निवृत्ति मिलने की स्थिति होने पर भी उन्हें घर में ही रहना चाहिए । अधिक से अधिक यह सोचा जा सकता है कि यदि पति वानप्रस्थ ग्रहण करे तो उसकी सेवा-सहायता के लिए वह भी साथ जा सकती है । इन्हीं मान्यताओं का प्रचलन रहने के कारण अपने देश में परमार्थ परायण महिलाओं की संख्या अत्यंत स्वल्प ही दृष्टिगोचर होती है । फिर कहीं कोई हैं भी तो उनका कार्यक्षेत्र किसी कुटी-आश्रम तक सीमित रह रहा होगा । परिव्राजक जीवन बिताने की रीति-नीति अपनाने का साहस कोई बिरली ही कर पा रही होगी ।

इस स्थिति को बदला जाना चाहिए और वातावरण ऐसा उत्पन्न किया जाना चाहिए कि उत्तरदायित्वों से निवृत्त महिलाओं को भी विश्व मानव के पुनरुत्थान अभियान में उत्साहपूर्वक नियोजित किया जा सके ।

यह कोई अनुचित अथवा अनअपेक्षित अतिवादी चरण नहीं है । देश का हर विचारक इस दिशा में चिंतनशील रहा है । स्वामी विवेकानंद ने इसी दृष्टि से रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत महिला संन्यासियों का क्रम प्रारंभ किया था । बहन निवेदिता उस पुण्य प्रक्रिया की उद्घाटक कही जा सकती हैं । महर्षि अरविंद ने भी श्री माँ को इसी उद्देश्य से आगे बढ़ाया था । काका कालेलकर जैसे मूर्धन्य विचारक भी यही कामना रखते रहे । उन्होंने कई बार स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया था कि मैं मानता हूँ कि स्त्री जाति के लिए ऐसे आध्यात्मिक प्रोत्साहन की विशेष आवश्यकता है । पुरुष के ऊपर तनिक भी आश्रित हुए बिना और संसार चक्र में फँसे बिना निष्काम सेवामय जीवन व्यतीत करने का मौका स्त्री जाति को मिलना चाहिए । ऐसे जीवन को समाज की ओर से वाकायदा मान्यता भी मिलनी चाहिए ।

यों देखा जाय तो जिन स्त्रियों ने आजन्म वैधव्य का पालन करना स्वीकार किया है, वे अब एक तरह से संन्यासिनियाँ ही हैं । हिन्दू समाज में ऐसी कई विधवायें हैं जिन्होंने अपने तेजस्वी शीतल वैराग्य के द्वारा अपने वैभव को उज्ज्वल करके दिखाया है । समाज में अनेक स्त्री पुरुषों को उनके द्वारा आश्वासन, प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली है । लेकिन अधिकांश विधवायें तो

बेचारी समाज की और कुटुंब की उपेक्षिता-आश्रिता ही हैं ।

इनसे भिन्न अपने त्याग-वैराग्य की शीतल तेजस्विता के द्वारा और समाज शुद्धि के लिए, समाज के लिए समाज सेवा के नियमित कार्यक्रम चलाने वाली संन्यासिनियों की समाज को आज आवश्यकता है । स्त्री जाति जब अपना मानसिक परावलंबन छोड़ देगी और स्वतंत्रता के उत्तरदायित्व के अनुसार जीवन परिवर्तन करेगी तब मनुष्य जाति का नेतृत्व उसी के हाथ में आयेगा क्योंकि इतिहास काल में पुरुषों के कई दोषों से वे मुक्त रही हैं और गुणों का इनमें विशेष उत्कर्ष पाया जाता है । समन्वय वृत्ति और मैत्री भावना उनके लिए सुलभ है ।

तात्पर्य यह है कि महिला जागरण के लिए महिला वानप्रस्थ स्तर की महिलाओं की तैयारी एक औचित्यपूर्ण और महत्वपूर्ण आवश्यकता है । अगले चरण इसकी माँग सुस्पष्ट रूप से करते हैं । नारी को न्याय मिले, उसे अनीति-उत्पीड़न से राहत मिले, मानवी अधिकारों का वह भी उपभोग कर सके इसके लिए सदियों पुरानी मूढ़ताओं और दुष्टताओं से लोहा लेना पड़ेगा । नारी को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि वह अपनी दयनीय स्थिति को समझ सके और उससे त्राण पाने के लिए आकुलता जागृत कर सके । इसके लिए आरंभिक कदम नारी शिक्षा ही हो सकती है । ऐसी शिक्षा जो न केवल अक्षर ज्ञान कराके उसे नौकरी-चाकरी कर सकने लायक ही बना भर दे वरन् उसे अपनी आत्मा और स्थिति का भी स्मरण दिला सके । कुछ कर गुजरने की हिम्मत और दिशा प्रदान कर सके । इसके लिए कितना कुछ करने के लिए आकाश जैसा विशालकाय कार्यक्षेत्र सामने पड़ा है, पर उसे संभाल सकें ऐसे देव-मानवों का सब ओर घोर अभाव ही दीख रहा है ।

नारी सेवा के नाम पर उन्हें कटाई-सिलाई सिखा देने की उद्योगशालाएँ जहाँ-तहाँ खुलती दिखाई पड़ती हैं । मानो नारी को दुःख एकमात्र रोटी न मिलने का ही हो । इसी प्रकार शिक्षा शलाएँ भी यहीं तक अपना कर्तव्य पूरा कर लेती हैं कि लड़कियाँ उपाधि धारी बनकर अच्छा घर-बार पा सकें या आवश्यकतानुसार नौकरी कर सकें । इस अधूरी शिक्षा से उनकी दयनीय सामाजिक दुर्दशा का अंत कहाँ हुआ ? पेट भरने को तो पहले भी विधवाएँ चक्की, चरखा आदि का आश्रय लेकर गुजारा कर लेती थीं अब भी वे रोटी

बनाने, बर्तन माँजने का धंधा अपनाकर अशिक्षित होने पर भी गुजारा कर सकती हैं । प्रश्न गुजारे का नहीं, उनकी आत्मा को जगाने का, सामाजिक अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का है । इस युग का असली नारी शिक्षा का प्रयोजन यही होना चाहिए और उसके लिए प्रौढ़ पाठशालाएँ, नारी चल पुस्तकालय, विचार गोष्ठियाँ, सुधारवादी, महिला संगठन, महिला जागरण का साहित्य प्रकाशन, चित्र प्रदर्शनियां आदि की विशाल शृंखला चलनी चाहिए । कढ़ाई, बुनाई सिखाने के स्कूल पर्याप्त नहीं ।

ऐसे अर्थ-तंत्र खड़े होने चाहिए जो निराश्रित नारी द्वारा उत्पादन कराये और उनकी खरीद-विक्रय का सारा उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे । कार्यकर्त्री महिलाओं के आवास-निवास एवं प्रशिक्षण का प्रबंध करे ताकि पीड़ित नारी को वहाँ आश्रय लेकर अपने बच्चों साहित राहत भरा जीवन जी सकने की सुविधा मिले । इस प्रयोजन के न जाने कितने प्रचार, कितने अधिक संस्थान खड़े करने पड़ेंगे । महिला जागरण के लिए, पुरुषों में न्याय-बुद्धि उत्पन्न करने के लिए, समाज कर्णधारों नर-नारी के बीच प्रस्तुत असमानता हटाने को सहमत करने के लिए न जाने कितने बड़े प्रयास करने पड़ेंगे । नारी पुनरुत्थान की योजनाएँ इतनी गहराई के साथ खड़ी की जा सकें तभी कुछ काम चलेगा । ऊपर की लीपा-पोती तो एक विनोद मात्र बनकर रह जायगी ।

यह कार्य कौन करे ? इन प्रयासों का नेतृत्व जिसके हाथ में हो ? इसका उत्तर सही उत्तर प्राप्त करने के लिए नारी का ही मुँह ताकना पड़ेगा । उसे ही अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना पड़ेगा । पुरुष का इसमें प्रबल समर्थन होना ही चाहिए । आवश्यक साधन उसे ही जुटाने चाहिए । पीढ़ियों से चले आ रहे पाप का प्रायश्चित वह उसी प्रकार कर सकेगा कि नारी जागरण के प्रचंड आंदोलन खड़े करने के लिए वह अधिक ध्यान केन्द्रित करे और अधिक से अधिक साधन जुटाये । इतने पर भी इस महा अभियान का प्रत्यक्ष नेतृत्व नारी के ही हाथ में रहना चाहिए । अग्रिम पंक्ति में उसे ही खड़ा होना चाहिए । नारी से सीधा संपर्क स्थापित करना, घरों में प्रवेश कर सकना, महिलाओं से जी खोलकर बातें कर सकना, उन्हें साथ लेकर चल सकना केवल नारी के लिए ही संभव हो सकता है । वर्तमान स्थिति में भारत जैसे पिछड़े देश में पुरुष वर्ग के लिए इस क्षेत्र में अधिक गहरा प्रवेश कर सकना कठिन है ।

वर्तमान परिस्थिति पुकारती है कि महिलाओं को नारी-जागरण का व्रत लेकर अधिकाधिक मात्रा में वानप्रस्थी बनना चाहिए और जिस प्रकार पुरुषों के लिए पुरुषवर्ग में कार्यक्षेत्र खुला पड़ा है उसी प्रकार अछूते नारी क्षेत्र में प्रवेश करके उन्हें अपने विशिष्ट कर्तव्य पालन में जुट जाना चाहिए पुरुषों को लैक्चर झाड़ने के लिए पहले से ही पुरुष उपदेशकों की भीड़ बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है । उसी में कुछ नारियाँ भी घुस पड़े तो नारी के प्रति सहज आकर्षण होने का मनोविज्ञान उन्हें कुछ अधिक स्वागत प्रदान कर सकता है पर उससे काम कुछ न बनेगा । महिला प्रचारिकाओं को अपना अछूता क्षेत्र ही संभालना चाहिए और उसी संदर्भ में सोचना, करना चाहिए । यों वे पुरुषों को भी आवश्यकतानुसार उद्‌बोधन करें, इसके लिए कोई बंधन नहीं है । पर स्मरण रहे उन्हें नारी जागरण का मोर्चा संभालना चाहिए, उनके प्रवचन एवं कर्तृत्व का केन्द्रबिंदु नारी कल्याण की महती आवश्यकताओं की पूर्ति को ही निर्धारित किया जाना चाहिए । इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए महिला वानप्रस्थिनियों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी । सो उनकी पूर्ति के लिए प्रत्येक विचारशील को प्रबल प्रयत्न करना चाहिए ।

पुरुषों की तरह महिला वानप्रस्थों की भी दो श्रेणियाँ हो सकती हैं । एक वे जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व अभी शेष हैं और जो घर परिवार की देखभाल करते हुए अपने स्थानीय क्षेत्र में नारी जागरण के लिए थोड़ा बहुत समय निकालती रह सकती हैं । दूसरी वे जो देशव्यापी धर्म-शिक्षण के लिए दूर-दूर तक जा सकने की सुविधा से संपन्न हैं । जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व दूसरों के कंधों पर चले गए हैं और बिना कठिनाई के परिव्राजक स्थिति अपना सकती हैं । इसके अतिरिक्त महिला वानप्रस्थों का एक तीसरा वर्ग भी हो सकता है जो अपने पति वानप्रस्थों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रह सकें । कुछ साधन संपन्न महिलाएँ छात्रावासों को अथवा सुयोग्य संबंधियों को बच्चों के उत्तरदायित्व संभालकर भी सेवा क्षेत्र में उतर सकती हैं ।

विधवाओं, परित्यक्ताओं और बड़ी आयु वाली कुमारियों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके लिए अब विवाह के द्वार एक प्रकार से बंद ही हो चुके हैं । बच्चों के उत्तरदायित्व जिन पर नहीं हैं, उनके लिए इस आत्म-कल्याण

और सेवा साधना का पवित्रतम कार्यक्षेत्र ईश्वरीय वरदान की तरह मंगलमय माना जा सकता है । मानो प्रस्तुत असुविधाजनक स्थिति ईश्वर ने उन्हें इसी विशेष प्रयोजन के लिए वरदान रूप में प्रदान की है । यदि भौतिक लालसाओं से विरत होकर वे इस प्रकार की भावनात्मक उत्कृष्टता अपनाने वाला साहस एकत्रित कर सकें तो समझाना चाहिए उनका दुर्भाग्य सच्चे अर्थों में सौभाग्य बन गया । इससे वे अपना ही नहीं समस्त मानव समाज का, नारी समाज का हित साधन करती हुई धन्य बन सकेंगी ।

महिला जागरण अभियान जिस तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, वह जहाँ उत्साह एवं हर्षवर्द्धक है, वहाँ उपर्युक्त प्रकार की अपनी नयी-नयी आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व का स्मरण भी अपने संचालकों को कराता है । अभियान की केन्द्रीय व्यवस्था से लेकर क्षेत्रीय कार्यकर्त्रियों एवं सहयोगियों तक को इसका ध्यान रखना आवश्यक है । केन्द्र को जिस 'युगद्रष्टा' समर्थ सत्ता का संरक्षण प्राप्त है उसके प्रभाव से केन्द्रीय स्तर पर समुचित व्यवस्थाओं का अग्रिम क्रम चलता रहा है, चलता रहेगा । इसी के अनुरूप क्षेत्रीय कर्मनिष्ठा आस्थावान वर्ग से भी आशा की जाती है कि वह भी साहस एवं सूझ-बूझ के साथ आगे आकर अपने हिस्से के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगा । दोनों पक्ष कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा भिड़ाकर उत्साहपूर्वक चल पड़ें तो इस युगांतरीय प्रक्रिया को पुष्पित-फलित होते देर न लगेगी ।

❋

मुद्रक : युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा (उ.प्र.)